लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र]

Thirteenth Session

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

[खंड 49 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XLIX contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 25—बुधवार, 8 दिसम्बर, 1965/17 अग्रहायण, 1887 (शक)

No. 25—*Wednesday, December* 8, 1965/*Agrahayana* 17, 1887 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
714	केरल में मजदूर संघ नेताओं की गिरफ्तारी	Arrest of Trade Union Leaders in Kerala	2291–93
716	विदेशी पत्रिकाओं द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Anti-Indian Propaganda by Foreign Magazines	2294–97
717	केन्द्रीय सचिवालय में असिस्टैंटों, अपर डिविजन क्लर्कों तथा क्लर्कों के पदों में गतिरोध	Stagnation in Assistants' and Clerks' Grades in the Central Sectt	2297–2300
718	गांधी दर्शन विषयक अनुसन्धान	Research in Gandhian Philosophy .	2301–04
719	कलकत्ता के उद्योगपतियों की गिरफ्तारी	Arrest of Calcutta Industrialists .	2304–06
721	शेख अब्दुला	Sheikh Abudllah . .	2306–09
723	होम गार्ड	Home Guards	2309–10
725	उड़ीसा सरकार द्वारा लेन-देन सम्बन्धी विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	Special Audit Report on Orissa Government Transactions . .	2311–13

अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. Ncs.			
7	दस्तूर एण्ड कम्पनी	Dastur and Co.	2314–19
8	आन्ध्र प्रदेश में विश्वविद्यालयों सम्बन्धी अधिनियम	Acts of Universities in Andhra Pradesh	2319–28

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
715	उर्वरक उत्पादन क्षमता	Fertilizer Production Capacity .	2328
720	प्रशासनिक न्यायाधिकरण	Administrative Tribunals . .	2328–29
722	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में साम्प्रदायिक बैठकें	Communal Meetings in Banaras Hindu University . . .	2329

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

1—15 Lok Sabha/66

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
724	बृहत् दिल्ली	Greater Delhi	2329
726	केन्द्रीय गुप्तचर विभाग का व्यय	Expenditure on Central Intelligence	2329-30
727	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् नई दिल्ली के महा-निदेशक	Director General, C. S. I. R., New Delhi	2330
728	मद्रास का तेल शोधक कारखाना	Madras Oil Refinery . . .	2330-31
729	अधिकारी पुनःअनुस्थापित (आफिसर्स रीओरियन्टेड) योजना	Officers Re-oriented Scheme	2331
730	ट्रोम्बे में उर्वरक सयंत्र	Fertilizer Plant at Trombay .	2331-32
731	प्रशासनिक सुधार सम्बन्धी आयोग	Commission on Administrative Reforms	2332
732	केन्द्रीय सचिवालय सेवा की श्रेणी एक में पदोन्नति के लिये इन्टरव्यू	Interview for Promotion to Grade I of the Central Secretariat Service	2332-33
733	उर्वरक कारखाना, गोरखपुर	Fertilizer Factory, Gorakhpur .	2333
734	प्रादेशिक भाषाओं का विकास	Development of Regional Languages	2333-34
735	राष्ट्रीय कार्य के लिये विद्यार्थियों की सेवाओं का उपयोग	Mobilisation of Students for National Work	2334
737	मनीपुर गोली कांड की जांच	Enquiry into Manipur Firing .	2334
738	उर्वरक उत्पादन	Fertilizer Production .	2335
739	निष्क्रमण आयोग	Exodus Commission .	2335
740	राष्ट्रीय अनुशासन योजना	National Discipline Scheme . .	2335-36
741	काश्मीर में स्कूल पाठ्य-पुस्तकें	School Text Books in Kashmir	2336
742	तिब्बती स्कूल समिति	Tibetan School Committee . .	2336
743	नागा विद्रोहियों द्वारा इम्फाल पुल का उड़ाया जाना	Blowing up of Imphal Bridge by Naga Hostiles	2336

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
2017	फर्टिलाइज़रज़ एंड केमिकल्ज, त्रावनकोर, लिमिटेड (अल्वाय)	Fertilizers and Chemicals, Travancore Ltd..	2337
2018	चेथान्नूर के पुलिस इन्स्पेक्टर के विरुद्ध जांच	Enquiry against Police Inspector, Chethannoore	2337
2019	मद्रास के निकट पेट्रो-केमिकल उद्योग	Petro-Chemical industries near Madras	2338
2020	प्रशासनिक सेवाओ में पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों का चुना जाना	Selection of Backward Classes in Administrative Services . .	2338
2021	केरल में भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियान	Anti-corruption Drive in Kerala .	2339
2022	"मिलाद-ए-शरीफ"	Milad-e-Sharif	2339

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2023	बर्मा से प्रत्यावर्तित भारतीय लोग	Indian Repatriates from Burma	2339
2024	आन्ध्र प्रदेश में नजरबन्द लोगों की शिकायतें	Grievances of Detenus in Andhra Pradesh	2340
2025	आन्ध्र प्रदेश में भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तारियां	Arrests under D. I. R. in Andhra Pradesh	2340
2026	मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत	Consumption of Petroleum Products in M. P.	2340–41
2027	संसदीय शासन प्रणाली का अध्ययन	Study of Parliamentary System of Government	2341
2028	बस्तर	Bastar	2341
2029	केरल में मिट्टी के तेल की ढुलाई	Transportation of Kerosene in Kerala	2341
2030	केरल में सरकारी मडापल्ली कालिज के लिये खेल का मैदान	Play Ground for Government Madappally College, Kerala . .	2342
2031	केरल में सरकारी मडापल्ली कालिज के लिये होस्टल तथा क्वार्टर	Hostel and Quarters of Government Madappally College, Kerala .	2342
2032	कन्नानूर में लड़कियों के होस्टल का निर्माण	Construction of Girls, Hostel at Cannanore	2342
2033	केरल में नये स्कूल	New Schools in Kerala. . .	2343
2034	पिलानी संस्था द्वारा टेलिविजन का विकास	Development of T. V. by Pilani Institute	2343
2035	केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था, पिलानी	Central Electronic Engineering Research Institute, Pilani . .	2343
2036	नजरबन्द लोगों में आयकर दाता	Income Tax Payees among Detenus	2343
2037	विज्ञान के विद्यार्थियों का स्तर	Standard of Science Students .	2344
2038	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में परमाणु अनुसन्धान विभाग	Nuclear Research Department in Kurukshetra University . .	2344
2039	कैदियों को सेना में भर्ती होने की अनुमति	Permission to Prisoners to Join Army	2344
2040	मध्य प्रदेश में उर्वरक कारखाने	Fertilizer Factories in Madhya Pradesh	2345
2041	मिट्टी के तेल का राशन	Rationing of Kerosene . . .	2345
2042	सांस्कृतिक कार्यक्रम	Cultural Activities . . .	2345–46
2043	शिमला में अवकाश बिहार	Holiday Homes at Simla . .	2346
2044	दिल्ली में प्राथमिक स्कूल	Delhi Primary Schools . .	2346
2045	बोगस विश्वविद्यालय	Bogus Universities . . .	2346–47
2046	तेल निकालने के लिये ठेके	Oil Drilling Contract	2347–48
2047	समाचारपत्रों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Newspapers . .	2348

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2048	पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए व्यक्तियों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Migrants from East Pakistan. . .	2348
2049	केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में विभागीय उम्मीदवारों लिये के पदों का आरक्षण	Reservation for Departmental Candidates in the Central Secretariat Clerical Service . . .	2349
2050	लोअर डिवीजन क्लर्कों की पदालि के लिये संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा	U. P. S. C. Examination for L. D. Cs. Grade	2349–50
2051	दिल्ली में प्रशासनिक परिवर्तन	Administrative Changes in Delhi .	2350
2052	अध्यापकों की पदोन्नति	Promotion of Teachers . .	2350
2053	बालकों को होस्टल के लिये राज-सहायता	Hostel Subsidy to Children .	2350
2054	मनीपुर में गोलीबारी का बन्द होना	Cease-fire in Manipur .	2351
2055	उर्वरकों का उत्पादन	Production of Fertilizers . .	2351
2056	दिल्ली के गांवों का नगरीकरण	Urbanisation in Delhi . . .	2351–52
2057	दिल्ली में रिहायशी तथा औद्योगिक क्षेत्रों का विकास	Development of Residential and Industrial Areas in Delhi . .	2352–53
2058	दुर्गापुर-कलकत्ता लाइन पर अग्निकाण्ड	Fire in Durgapur-Calcutta Line .	2353
2059	इंजीनियरों की सेवाओं का प्राप्त किया जाना	Requisition of Services of Engineers	2354
2060	दक्षिण भारत में हिन्दी विश्वविद्यालय	Hindi University in South India .	2354
2061	भूदान आन्दोलन की स्वयं सेविकायें	Swayam Sevikas of Bhoodan Movement	2354
2062	फालतू नेफ्था	Surplus Naphtha . . .	2354–55
2063	अनधिकृत शिक्षण संस्थायें	Unauthorised Educational Institutions	2355
2064	प्राचीन वर्ति-लेखों विषयक अनुसंधान	Research into Ancient Scrolls .	2355
2065	दिल्ली में अनुव्रत सम्मेलन	Anurat Conference in Delhi .	2355–56
2066	दिल्ली से बाहर ईंट भेजना	Sending of bricks outside Delhi .	2356
2067	"क्या भारत वास्तव में स्वतंत्र है" (इज इंडिया रियली फ्री) शीर्षक से इश्तहार	Handbill entiled "Is India Really Free"	2356
2068	केरल विश्वविद्यालय	Kerala University. . .	2356
2069	दिल्ली में अपराध	Crimes in Delhi . . .	2357
2070	सामाजिक सुरक्षा समिति, दिल्ली	Social Security Committee, Delhi	2357

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2071	दिल्ली में कुछ बस्तियों का गिराया जाना	Demolition of certain Colonies in Delhi	2357–58
2072	केन्द्रीय सचिवालय सेवाओंमें अधिक्रमण	Supersesions in Central Secretariat Services	2358
2073	केरल में प्रकाशकों के विरुध्द मुकदमा	Case Against Kerala Publishers	2358
2074	विदेशी धर्म-प्रचारकों की गतिविधियां	Activities of Foreign Missionaries	2359
2076	केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के पदोन्नति सम्बन्धी दावे	Promotion Claims of S. C. & S. T. in the Central Secretariat Service	2359
2077	केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुभाग अधिकारियों को पदोन्नति	Promotion of Section Officers in Central Secretariat Service	2359–60
2078	मंगलोर में तेलशोधन एवं उर्वरक परियोजना	Refinery-*cum*-Fertilizer Project at Mangalore	2360
2079	प्रव्रजकों के लिये शिविर	Camp for Migrants	2360
2080	पुनर्वास के लिये भूमि का कृष्यकरण	Land Reclamation for Rehabilitation	2360–61
2081	लक्कादीव द्वीप	Laccadives	2361–62
2082	युद्ध प्रयासों में लक्कादीव का योगदान	Participation of Laccadives in War Efforts	2362
2084	शायर नजरुल इस्लाम को पेंशन	Pension to Poet Nazrul Islam	2362–63
2085	दिल्ली में कला महाविद्यालय	College of Arts at Delhi	2363
2087	शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी	Officers of Ministry of Education	2363–64
2088	अश्लील पुस्तकें	Obscene Books	2364
2089	शिक्षा निदेशालय, दिल्ली	Directorate of Education, Delhi	2365
2090	हिन्दी सहायक	Hindi Assistants	2365
2091	हिन्दी सहायकों की वरिष्ठता	Seniority of Hindi Assistants	2365
2092	हिन्दी सहायक	Hindi Assistants	2365–66
2093	हिन्दी सहायक	Hindi Assistants	2366
2094	गोआ में उर्वरक संयंत्र	Fertilizer Plant in Goa	2366–67
2095	हिन्दी सहायकों के लिये पृथक संघ	Separate Cadre for Hindi Assistants	2367
2096	हिन्दी विश्व कोष	Hindi Encyclopaedia	2367
2097	दयानन्द नेशनल हाई स्कूल, दिल्ली	Dayanand National High School, Delhi	S368
2098	सिविल इंजीनियर	Civil Engineers	2368
2099	हैदराबाद में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का प्रशिक्षण निदेशालय	Survey of India Directorate of Training, Hyderabad	2368

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2100	केरल में अध्यापकों को महंगाई भत्ता	D. A. to Teachers in Kerala .	2369
2101	केन्द्रीय सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion for Class IV Employees in the Central Secretariat . .	2369
2102	वरिष्ठता सम्बन्धी नियम	Seniority Rules . . .	2370
2103	वरिष्ठता नियम	Seniority Rules	2370
2104	व्यक्तियों के नाम पर विश्व-विद्यालयों का नामकरण	Naming of Universities after Individuals	2370-71
2105	राजस्थान में पाकिस्तानी राष्ट्रजन	Pakistani Nationals in Rajasthan	2371
2106	सम्बलपुर (उड़ीसा) में विश्व-विद्यालय केन्द्र	University Centre at Sambalpur, Orissa	2371
2107	दिल्ली के स्कूलों में राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये धन एकत्र करना	Collection for N. D. F. in Delhi Schools	2372
2108	भारत में निरक्षर	Illiterates in India . . .	2372
2109	विशाखापटणम में उर्वरक परियोजना	Fertilizer Project at Visakhapatnam	2372-73
2110	आसाम में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant in Assam . .	2373
2111	पर्यटन विभाग के उप-महानिदेशक के विरुद्ध जांच	Enquiry against Deputy-Director General of Tourism . . .	2373
2112	आजन्म कैदी	Life Convicts	2373-74
2113	विशेष पुलिस संस्थान	Special Police Establishment . .	2374
2114	शिमला में "आइस स्केटिंग रिंक"	Ice Skating Rink in Simla .	2374
2115	उल्हासनगर में अनधिकृत रूप में बनाये गये मकान	Unauthorised Structures in Ulhasnagar	2375
2116	त्रिपुरा में आये व्यक्ति	Migrants in Tripura . . .	2375
2117	मोटरों के पहिये चुराने वाला गिरोह	Motor Wheel Stealing Gang .	2375-76
2118	रमेश नगर, दिल्ली में गुंडागर्दी	Goonda Menace in Ramesh Nagar, Delhi	2376
2119	आतिशबाजी के लिये लाइसेंस	Licences for Fire-works . .	2376
2120	मैसूर सरकार द्वारा मद्य-निषेध नीति में ढील देना	Relaxation of Prohibition Policy by Mysore Government . . .	2376-77
2121	ब्रिटिश चाय बागान मालिक	British Tea Planters . . .	2377
2122	विश्वविद्यालयों में सैनिक विज्ञान	Military Science in Universities .	2377
2123	विश्वभारती द्वारा किराये पर लिये गये मकान	Houses rented by Vishwa Bharati	2377-78
2125	सेवाकाल बढाना तथा पुनर्नियुक्त करना	Extensions and Re-employments	2378
2127	केरल में तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम	Three-Year Degree Course in Kerala	2378

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2128	भारतीय प्रशासन सेवा के लिये आपात-कालीन भर्ती	Emergency Recruitment to I. A. S.	2379
2129	नेताजी का जन्म दिवस	Netaji's Birthday	2379
2130	"स्वराज्य" और "कल्की" के विरुद्ध मुकदमे	Prosecutions against "Swarajya" and "Kalki"	2379
2131	प्रार्थनापत्र भेजने सम्बन्धी नियम	Rules re : Forwarding of Applications	2380
2132	फर्टिलाइजरज़ एण्ड कमिकल्ज, ट्रावनकोर लिमिटेड, अलवाय	Fertilizers and Chemicals, Travancore, Ltd. Alwaye . . .	2380–81
2132-क	आसम को आदिम जातियों की ओर से ज्ञापन	Memorandum from Tribes of Assam	2381
	अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
	दिल्ली में केन्द्रीय वास्थ्य योजना के डाक्टरों द्वारा हड़ताल की धमकी—	Threatened strike by C.H.S. doctors in Delhi—	
	श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai . .	2381
	डा० सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar .	2381
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	2382
	सीमा सुरक्षा बल के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में शुद्धि—	Correction of Answer to Supplementaries to Starred Question No. 1 Re : Border Security Force—	
	श्री ल० ना० मिश्र	Shri L. N. Mishra . . .	2382–83
	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
	छिहत्तरवां प्रतिवेदन	Seventy-sixth Report .	2383
	रेलवे बजट पर चर्चा के दौरान सदस्यों द्वारा उठाई गई कुछ बातों के उत्तर के बारे में वक्तव्य—	Statement on Replies to Matters raised by hon. Members on Railway Budget Discussion—	
	श्री स० का० पाटिल	Shri S. K. Patil .	
	कुछ जातियों तथा आदिम जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची से निकाल देन के बारे में	Re : De-Scheduling of certain Castes and Tribes	2384
	संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक तथा सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—	Union Duties of Excise (Distribution) Amendment Bill, Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Amendment Bill, and Estate Duty (Distribution) Amendment Bill—	

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
विचार करने का प्रस्ताव—	Motions to consider—	
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma . .	2385
श्री युद्धवीर सिंह	Shri Yudhvir Singh .	2385–86
श्री के० दे० मालवीय	Shri K. D. Malaviya	2386
श्री काशीराम गुप्त	Shri Kashi Ram Gupta . .	2386–87
श्री अल्वारेस	Shri Alvares . .	2387–88
श्री अ० ना० विद्यालंकार	Shri A. N. Vidyalankar	2388
श्री राधेलाल व्यास	Shri Radhelal Vyas .	2388
डा० मा० श्री० अणे	Dr. M. S. Aney	2389
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	2389–90
श्री द्वा० ना० तिवारी	Shri D. N. Tiwary . .	2390
श्री ति० त० कृष्णमाचारी	Shri T. T. Krishnamachari .	2391–93
विधेयकों के खण्ड	Clauses of the Bills . .	2393–94
पारित करने के प्रस्ताव—	Motions to pass—	
श्री ति० त० कृष्णमाचारी	Shri T. T. Krishnamachari .	2394
गोवा, दमण और दीव (समाविष्ट कर्मचारी) विधेयक—	Goa, Daman and Diu (Absorbed Employees) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री हाथी	Shri Hathi .	2395–96, 2398–99
श्री शिंकरे	Shri Shinkre . .	2396
श्री अल्वारेस	Shri Alvares . .	2396–97
श्री वारियर	Shri Warior	2397
श्री तुलसीदास जाधव	Shri Tulsidas Jadhav . .	2397–98
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa . .	2398
खण्ड 2 से 5 और 1	Clauses 2 to 5 and 1 . .	2399–2400
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री हाथी	Shri Hathi	2400
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—	Indian Tariff (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री मनुभाई शहा	Shri Manubhai Shah .	2400–01, 2402
श्री व० ब० गांधी	Shri V. B. Gandhi .	2401
श्री सिंहासन सिंह	Shri Sinhasan Singh . .	2401
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa . .	2402
श्री तुलसीदास जाधव	Shri Tulsidas Jadhav . .	2402

विषय	SUBJECT	
खण्ड 2 और 1	Clauses 2 and 1 . .	2403
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री मनुभाई शाह	Shri Manubhai Shah . .	2403
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प—	Resolution re : Report of Railway Convention Committee—	
श्री स० का० पाटिल	Shri S. K. Patil . .	2403–05
श्री अल्वारेस	Shri Alvares . .	2405
कार्यवाही-वृत्तान्त से कुछ अंश निकालें जाने के बारे में	Re : Expunction . .	2405
पंजाब में नल-कूपों के लिये बिजली दिये जाने के बारें में आधे घंटे की चर्चा—	Half-An-Hour Discussion re : Supply of Electricity for Tube-Wells in Punjab—	
श्री रामेश्वरानन्द	Shri Rameshwaranand . .	2405
डा० कु० ल० राव	Dr. K. L. Rao . . .	2406–07

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 8 दिसम्बर, 1965/17 अग्रहायण, 1887 (शक)
Wednesday, December 8, 1965/Agrahayana 17, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

केरल में मजदूर संघ नेताओं की गिरफ्तारी

+
***714. श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में सबासिगिर पन-बिजली परियोजना के स्थल पर अनेक मजदूर संघ तथा साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो उनकी गिरफ्तारी के क्या कारण है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि कम्पनी के द्वारा मई, 1965 में रखे गये कर्मचारियों के मजदूर संघ के साथ किये समझौतों को हिन्दुतान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी पूरा करने से इन्कार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने सभारीगिरी परियोजना क्षेत्र को "सुरक्षित क्षेत्र" अधिसूचित किया था। इस आदेश के अनुसार इस क्षेत्र में प्रवेश पाने वाले किसी भी व्यक्ति को केरल राज्य के विद्युत बोर्ड के अधिकारियों से परमिट लेना आवश्यक है। 14 नवम्बर, 1965 को कुछ व्यक्तियों ने परियोजना क्षेत्र में बिना वैध परमिट के प्रवेश किया। इसी प्रकार 18 नवम्बर, 1965 को 8 कर्मचारियों सहित कुछ व्यक्तियों ने परियोजना क्षेत्र में बिना वैध परमिट के प्रवेश किया। इन सभी व्यक्तियों को भारत रक्षा नियम के नियम संख्या 8 के अन्तर्गत

गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था जिन्होंने उन्हें जमानतपर छोड़ देने के आदेश दिये परन्तु न्यायालय के आदेशानुसार केवल दो व्यक्ति जमानत दे सके।

हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी ने मई 1965 में कर्मचारियों के मजदूर संगठन के साथ कोई समझौता नहीं किया था। तथापि कर्मचारियों की मांगों के बारे में विवाद होने पर श्रम विभाग के अधिकारियों ने 16 जून, 1965 को कम्पनी और कर्मचारियों के बीच समझौता करा दिया था। वर्तमान् विवाद के बारे में समझौते कराने के लिये कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है और श्रम आयुक्त ने कुछ बैठके भी की हैं जिन में कम्पनी और कर्मचारियों दोनों के ही के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

श्री स० मो० बनर्जी : विवरण से यह पता नहीं लगता कि भारतीय प्रतिरक्षा अधिनियमों के अन्तर्गत कितने कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था। क्या ये कर्मचारी अभी तक जेल में हैं या इन को समझौते हो जाने के बाद छोड़ दिया गया है ?

श्री हाथी : मेरा विचार है कि कुल 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है उनको न्यायालय के सम्मख पेश किया गया था और न्यायालय ने उनको जमानत पर छोड़ने के आदेश दिया था परन्तु केवल दो व्यक्तियों ने न्यायालय द्वारा मांगी गई जमानत दी है।

श्री स० मो० बनर्जी : विवरण से पता लगता है कि इस झगड़े में बीच बचाव कराने वाले लोगों ने अपना काम आरम्भ कर दिया है और श्रम आयुक्त कर्मचारियों तथा कम्पनी के प्रतिनिधियों से कई बार मिल भी चुके हैं। क्या इन बैठकों के फलस्वरूप कोई अच्छे परिणाम निकले है और यदि नहीं तो क्या मुख्य श्रम आयुक्त इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे ?

श्री हाथी : श्री वासुदेवन नायर और श्री वारियर ने इस बारे में मेरे साथ बातचीत की थी। एसा मालूम होता है कि ठेकेदारों और कर्मचारियों में कुछ झगडे थे। मैं ने मुख्य सचिव को लिखा था कि वह इस मामले को अपने हाथ में ले और समझौता कराये। मैंने केन्द्र के मुख्य श्रम आयुक्त को भी कहा था कि वह अपने एक अधिकारी को वहां भेजे और देखे कि इस में कितनी प्रगति हो रही है। वास्तव में बैठक 25 तारीख को और उस के बाद भी हुई थी । वहां के श्रम विभाग द्वारा इस मामले की जांच हो रही है।

श्री वारियर : क्या यह सच नहीं है कि श्रम आयुक्त के समझौते सम्बन्धी सभी प्रयास निश्फल हो गये है और कि कर्मचारियों ने पुनः हड़ताल कर दी है ?

श्री हाथी : मेरे पास यह सूचना नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह झगड़ा मुख्यतः विवरण में बताये गये 16 तारीख के समझौते के सम्बन्ध में है। मेरा विश्वास है कि यह बोनस के बारे में है। समझौता यह था कि कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। क्या यह सच नहीं है कि बाद में कम्पनी वालों ने इस समझौते पर अमल नहीं किया और कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया और कि झगड़े का मुख्य कारण यही है ?

श्री हाथी : जो कुछ भी हो यह झगड़ा ठेकेदारों की एक निजी फर्म और कर्मचारियों के बीच है। केरल सरकार का इस झगड़े से कोई सम्बन्ध नहीं है। हम जो कुछ कर सकते हैं वह यही है कि श्रम विभाग को कहे कि वह अपना प्रभाव प्रयोग करें और इस झगड़े का निपटारा करा दें।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, I have received a telegram to-day morning stating that two thousand workers have again started their strike and that they are being harassed by the Police and that the Labour Commissioner is partial towards the contractors. As the hon. Minister is not aware of this thing, I have given notice of the Calling Attention Motion. It is a matter concerning the Central Government as there is no Legislative Assembly in Kerala. If you are taking up this motion then I will sit down.

Mr. Speaker : I am not taking up this motion.

Shri Madhu Limaye : My question may be answered as far as possible.

Shri Hathi : As I have stated, information received by me till yesterday morning........

Mr. Speaker : You may collect the latest information and place it on the Table of the House.

श्री हाथी : मैं निश्चय ही उनको इस बारे में सूचित करुंगा। मैं सूचना प्राप्त करके माननीय सदस्य को नवीनतम स्थिति के बारे में सूचना दूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि यह झगड़ा सचमुच एक गैर-सरकारी व्यक्ति और कर्मचारियों के बीच है सरकार का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Madhu Limaye : May I know whether the question regarding harassment of workers by police and to maintain law and order or peace is not the concern of the Government ?

Mr. Speaker : State Government will take action as far as the harassment by the police is concerned.

Shri Madhu Limaye : There is no Legislative Assembly in Kerala and that State is now being administered by the Centre. That is why I have put up this question.

Mr. Speaker : I have already told the Minister to collect the information and furnish. I cannot do any thing more.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The owners of the company which is involved in this dispute has many times violated the Labour Welfare Rules. I would like to know whether the Government is aware of this thing and action has been taken against that company ?

Shri Hathi : I have stated that once conciliation was reached. After that there was some dispute. We have written to the Chief Labour Commissioner to use his good office for conciliation and so what can be done in this matter. So far as the violation of the rules is concerned appropriate action will be taken as provided under the labour laws.

श्री अ० प्र० शर्मा : विवरण से ऐसा मालूम होता है कि इन लोगों को इस लिये गिरफ्तार किया गया था क्योंकि इन लोगों ने सुरक्षित क्षेत्र में बिना आज्ञा प्रवेश किया था। क्या केवल इसी एक कारण से या अन्य विशेष कारणों से जैसा कि हिंसात्मक और दूसरी गतिविधियों के कारण इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था ?

श्री हाथी : दूसरा कोई कारण नहीं है।

Shri Bagri : The hon. Minister has stated that he has written to the Labour Commissioner in this regard. I would like to know when was he written about it and why no reply has been received from him so far ?

Shri Hathi : We have not written to him. When Sarvashri Vasudevan Nayar and Warrior spoke to me, I asked the Chief Labour Commissioner of Delhi about this matter. He telephoned them. I also telephoned them. Conciliatory meetings are being held. I am aware of day before yesterdays' happenings. I do not have latest information.

Anti-Indian Propaganda by Foreign Magazines

+

716. **Shri Madhu Limaye :**
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Bagri :
Shri Yashpal Singh :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Dinen Bhattacharya :
Dr. Ranen Sen :
Shrimati Maimoona Sultan :
Shri P. C. Borooah :
Shri Bhanu Prakash Singh :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Himatsingka :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Dhuleshwar Meena :
Shrimati Renuka Barkataki :
Shri M. R. Krishna :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Indrajit Gupta :
Shri Sidheshwar Prasad :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the 'Time' and 'Newsweek' magazines indulged in anti-Indian propaganda ;

(b) whether these magazines have blamed India for the Indo-Pakistan fighting; and

(c) whether Government are considering to ban the entry of these magazines and other anti-Indian foreign magazines into India ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b). During the recent Indo-Pakistan conflict some of the comments appearing in these magazines were not fair and objective.

(c) Government have no such specific proposal at present under consideration. As the House is aware, Press in India is free and criticism to a certain extent has to be tolerated.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, anti-India propaganda has been made in two American Weeklies. It has been mentioned in these magazines that India has not fulfilled her promise in regard to Kashmir and that Indian Army and Air Force could not stand before the Patton tanks and Sabre jets and that India has also used American weapons against Pakistan and that these poor and beggar nations have been wasting their money on arms.

It has also been mentioned that India incited Pakistan for counter action by attacking first Haji pir and Kargil. Last time the hon. Minister agreed in principle to exempt the books which are food for the mind. But these weeklies indulge in nefarions propaganda. May I know whether Government are considering to ban these weeklies in view of their nefarious propaganda ?

Shri L. N. Mishra : At present we are not considering to ban these weeklies. Representatives of both the weeklies were called and told that we do not like the way they are working. Apart from this we have also written to our Ambassador in Washington to contact the publishers of Time and Life International and to draw their attention on these things and tell them that it is not appropriate for them. Only these two actions have been taken so far. You must have noticed more change in their attitude now.

Shri Madhu Limaye : A talk by the representative of the 'Newsweek' was broadcast over the A. I. R.; whether that talk was meant for the 48 crores Indians or it was also published in America to counteract the effect of the earlier

writings from the minds of the American people. Whether any action has been taken by our Government in this regard ?

Shri L. N. Mishra : I am not aware of any such speech. But one thing I want to say that the Chief Editor of the 'Newsweek' in his broadcast dated the 23rd & 24th March, 1965 has supported the Indian case on Kashmir and stated that Indian stand is just. We have also broadcast that speech over the All India Radio and also got it published.

Shri Bagri : May I know whether Government can ban under any rule such foreign newspapers who deliberately made anti-India propaganda. If so whether any action has been taken under that rule against these foreign newspaper in view of their misdeeds. If not, why ?

Shri L. N. Mishra : Government has definitely got the right to ban such newspapers and that has been provided by that Parliament. We have already taken action against 49 such newspapers under that right. But so far as these two weeklies are concerned we have already expressed our displeasure to their representative and we have told them that they are doing a wrong thing. We have also told them that it will be good if they publish the material in the impartial manner. It is fact that Press is free but we are also answerable to our people. As I have stated earlier there is a change in their attitude.

Shri Yashpal Singh : The hon. Minister has stated that Press is free in our country. Have we given freedom to our press for genuine criticism or to foreign newspapers also to make anti-national propaganda. After all these newspapers came through you.

Shri L. N. Mishra : I have already stated that they have not done a good thing. It is true that provisions of both Defence of India Rules and Emergency are equally applicable to Indian as well as foreign correspondents. No difference is made between the two. As I have stated we wanted to give them time to change their attitude.

Shri Onkar Lal Berwa : May I know the number of magazines banned and seized ?

Shri L. N. Mishra : I have already stated that they are 49 in number. I will place the other details on the Table of the House.

Shri Onkar Lal Berwa : You may furnish the details in regard to the few important foreign magazines.

Shri L. N. Mishra : It is a long list. One is Peking Review, one Chinese Review and many newspapers of Pakistan are included in that list. Their total is 49.

Shri Ram Sewak Yadav : May I know whether the hon. Minister is aware that this propaganda is not only anti-India but it is also against the Members. Once an article of 400 words in connection with the Phoolpur by-election was published against Shri Ram Manohar Lohia ? Whether Government have taken notice of such things and whether some action has been taken ?

Shri L. N. Mishra : I am not aware of this thing. I am getting this information only from the hon. Member.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या अमरीका सरकार हमारे अखबारों के जो उस की नीतियों की आलोचना करते है स्वतन्त्र रूप से परिचलन की अनुमति देती है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मेरे पास इस बारे में कोई विशेष सूचना नहीं है परन्तु मेरा विचार है हमारे अखबारों का वहां स्वतन्त्ररूप से परिचलन होता है ।

Shri Kishen Pattnayak : Anti-India propaganda is made on two lines. One is that they publish their opinion against India and secondly they publish all wrong, false and nefarious news against India. May I know whether Government are considering to ban these papers which publish such news in view of both the iines stated above.

Shri L. N. Mishra : I have already stated that wrong things should not have been published. We will take the action when someone crosses the limit.

Shri D. N. Tiwary : The hon. Minister has given very misleading statement. He has stated that Press is free to publish anything national or international. May I know they have given the freedom to publish any thing even when we are at war with any country ?

Shri L. N. Mishra : I have never stated that they have been given freedom to publish anything they like. Press is free in our countiy only to express the views. Opposition clamour for giving more freedom to the Press.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मन्त्री के ध्यान में यह बात आई है कि ये अखबार न केवल खबरों को तोड़मोड़कर पेश करते है परन्तु वे यह भी प्रकाशित करते हैं कि जब प्रतिरक्षा मन्त्री कोई घोषणा करते हैं तो संसद सदस्य यह जाने बिना कि उन्होंने क्या कहा है हर्षध्वनि करना आरम्भ कर देते हैं चाहे मन्त्री महोदय ने यही कहा हो कि यदि पाकिस्तान के पैटन टैंकों ने एक बार बढ़ना आरम्भ कर दिया तो भारत की हार ही होगी ? ऐसे वक्तव्य भी इन अखबारों द्वारा प्रकाशित किये गये हैं। यदि हां, तो क्या इन खबरों का प्रतिवाद किया गया है और इन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। सैनिकों ने ऐसे अखबारों को आग लगा दी हैं ।

श्री ल० ना० मिश्र : हम ने इस बारे में अब तक जो कार्यवाही की है वह मैंने सभा को बता दी है। इस के अलावा माननीय सदस्य इस बात से अवगत होंगे कि भारत में इन दो पत्रों के विरुद्ध बहुत रोष प्रगट किया गया है।

श्री स० मो० बनर्जी : आप उनपर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाते।

श्री ल० ना० मिश्र : उन में बहुत से अखबारों को भारतीयों ने आग लगा दी थी। अमरीका में भी इस की प्रतिक्रिया हुई थी और उन पत्रिकायों ने अपने रूख में काफी सुधार किया है ।

श्री प्र० चं० बरूआ : क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर गया है जिसका अखबारवालों के इस भाग ने प्रकाशित किया है कि दिल्ली की सड़कों पर ब्लक-आऊट के दिनों में उतने ही लोग हताहत हुए पड़े थे जितने लड़ाई के मैदान में, यदि हां, तो क्या समाचार पत्र के इस अंक विशेष पर प्रतिबन्ध लगाया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : हम ने सब समाचार देखे हैं। जो कुछ प्रेस में प्रकाशित हुआ है हम उसका बेकार ही प्रचार कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं मन्त्री महोदय का ध्यान 8 अक्तूबर के स्टेट्समैन में प्रकाशित हुए इस समाचार को ओर दिला सकता हूं कि कलकत्ता मे हवाई जहाज़ द्वारा बिक्री के लिये आये अमरीका के न्यूजवीक के पर्चों को डमडम हवाई अड्डे सीमा शुल्क अधिकारियों ने रोक

लिया था क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि उस में एक लेख ऐसा था जिस से भारत विरोधी और साम्प्रदायिक भावनाओं के भड़कने की शंका थी ? मैं यह जानना चाहता हूं कि इस अंक विशेष को जिसको रोक लिया गया था बाद में देश में बिक्री के लिये छोड़ देने के क्या क्या कारण थे ?

श्री ल० ना० मिश्र : मुझे इस प्रश्न के बारे में जानकारी नहीं है। मुझे इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार प्रत्येक उस बात को जिस से सरकार की नीतियों और कार्यवाहियों की प्रशंसा न की गई हो भारत विरोधी मानती है, यदि नहीं, तो इस बातकी कैसे और किस प्रकार निर्णय किया जाता है कि एक बात विशेष भारत विरोधी है या नहीं ?

श्री ल० ना० मिश्र : जनसाधारण और स्वयं लोकतन्त्र इस बात का निर्णय करेगा।

केन्द्रीय सचिवालय में असिस्टेंटों, अपर डिविजन क्लर्कों तथा क्लर्कों के पदों में गतिरोध

+
*717. **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री वारियर :
श्री दाजी :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय में दस वर्ष से अधिक समय से अपने पदों पर काम कर रहे असिस्टेंटों, अपर डिविजन क्लर्कों तथा लोअर डिविजन क्लर्कों की अभी तक पदोन्नति नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके पदों पर यह गतिरोध सब से अधिक है ; और

(ग) सरकार ने इन असिस्टेंटों और क्लर्कों की कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) : सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

सचिवालय तथा सम्बध्द कार्यालयों में कार्य कर रहे असिस्टेंटों, अपर डिविजन क्लर्कों तथा लोअर डिविज़न क्लर्कों के पदों की कूल संख्या इस प्रकार है :—

असिस्टेंट	5,500 (लगभग)
अपर डिविज़न क्लर्क	3,000 (तदेव)
लोवर डिविज़न क्लर्क	10,000 (तदेव)

केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिये नियुक्तियां समय समय पर मंजूर किये गये पदों की उल्लिखित संख्या के अनुसार की जाती हैं। तदनसार पदोन्नतियां सम्बन्धित श्रेणियों में समय समय पर हुए रिक्त स्थानों के लिये ही की जा सकती हैं। यह सही है कि प्रत्येक श्रेणी में ऐसे व्यक्ति हैं जो पिछले 10 वर्षों से अथवा इससे भी अधिक समय से कार्य कर रहे हैं और उन्हें पदोन्नति का कोई अवसर नहीं मिला है। परन्तु जैसा कि पहले बताया गया है पदोन्नति अपने आप नहीं हो जाती है परन्तु यह रिक्त स्थानों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 64 असिस्टेंट, 151 अपर डिविज़न क्लर्क और 200 लोअर डिविज़न क्लर्क ऐसे हैं जो अपनी श्रेणियों के वेतन-क्रमों में अधिकतम वेतन पा रहे हैं परन्तु उन श्रेणियों में कर्तव्य पदों की कुल संख्या के मुकाबले में यह नहीं कहा जा सकता है कि इन श्रेणियों में गतिरोध अधिक है। फिर भी कई वर्षों से कार्य कर रहे व्यक्तियों

की पदोन्नति सम्बन्धी सम्भावनाओं में वृद्धि करने के लिये सेक्शन आफिसरों और असिस्टेंटों की श्रेणियों के लिये प्रत्यक्ष रूपसे नियुक्तियों में कमी कर दी गई है और अपर डिविज़न क्लर्क की श्रेणी के लिये त्यक्ष रूप से नियुक्तियां करना बन्द कर दिया गया है।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वास्तव में प्रश्न में यह पूछा गया है कि क्या यह सही है कि 10 वर्षों स अथवा इस से भी अधिक समय से कार्य कर रहे असिस्टेंट, अपर डिविज़न क्लर्क आदि....

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे पढ़ लिया है।

श्री स० मो० बनर्जी : सरकार ने विवरण में यह कहने का प्रयत्न किया है कि "वे लोग जो अधिकतम वेतन-क्रम में है"। सभा से वास्तविक जानकारी छिपाने का प्रयत्न किया गया है। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं सही जानकारी दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें एक अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी : वह तो आप देंगे ही।

Shri Yashpal Singh : May I know whether it is a fact that there are about 4,000 Clerks and Assistants with more than 10 years of service and if so, what government propose to do to improve the prospects of promotion of such persons? If it is due to economy, may I know as to why new recruitment is being made and who is responsible for their future ?

Shri L. N. Mishra : I have given the correct information their number is not 4,000 but it is about 400 as given in the statement made by me. But if other people are also added into them, then their number is about 2400. In so far as banning of new recruitment is concerned, if we do so, then the new and young people would not be able to enter the services and only old people would remain in the secretariat. We, have however, brought about some changes in the Rules. Previously 75% posts were filled by direct recruitment, it was thereafter reduced to 50% and then to 25%. According to this ratio 75% people would be able to get departmental promotions. But these should also be a room for fresh recruitment so that fresh blood could be injected into the services.

Shri Yashpal Singh : Have the government contemplated that the increase in inefficiency in all the quarters is due to the fact that the employees are not getting any incentives. May I know who is responsible for this ?

Shri L. N. Mishra : It is wrong to say that there is no incentive. But it is correct that the condition of employees of lower grades is not good. I do agree with that and in order to improve their condition the rules have been revised to this effect that L. D. C's and U. D. C's will be eligible to take the examination for the posts of stenographer upto 35 years of age whereas previously it was only 24 years. In this way we have made some efforts in this direction but we have not been able to do much that should have been done. We are, however making efforts.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सही है कि 2200 लोअर डिविज़न क्लर्क और 800 अपर डिविज़न क्लर्क ऐसे हैं, जो 10 वर्ष से भी अधिक समय से कार्य कर रहे हैं और जिन्हें बहुत पहले पदोन्नति मिल जानी चाहिये थी परन्तु, उन्हें कोई पदोन्नति नहीं मिली है; और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का है कि इन पदों पर गतिरोध क्यों है अथवा उनका विचार इन दोनों श्रेणियों को समाप्त कर के एक ही श्रेणी बनाने का है?

श्री ल० ना० मिश्र : इनकी संख्या 2,400 की बजाये 2,800 हो सकती है । इस बात का मुझे पूरा पता नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान्, यह था मेरा व्यवस्था का प्रश्न । मैं उन को पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात किये गये गेंहू की मात्रा बताने के लिये नहीं कह रहा हूं । मने असिस्टेंटों, अपर डिविज़न क्लर्कों तथा लोअर डिविज़न क्लर्कों की संख्या पूछी है ।

विवरण में यह कहा गया है :

"असिस्टेंट लगभग 5,500"।

उनका 'लगभग' से क्या आशय है ? उनको असिस्टेंटों, अपर डिविज़न क्लर्कों तथा लोअर डिविज़न क्लर्कों की ठीक संख्या का भी पता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने संख्या बता तो दी है, 2,400 ।

श्री स० मो० बनर्जी : जी, नहीं, उनकी संख्या 2,200 है ।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि वह इस बात का पुनः पता लगायेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह बात नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : वह अब अपना प्रश्न पूछ सकते हैं । यहां कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह जानकारी सभा पटल पर रख दी जाये परन्तु इसे सभा से छिपाया नहीं जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह मुझे लिखेंगे तो मैं निश्चय ही........करूंगा........

श्री स० मो० बनर्जी : क्या उन लोअर डिविज़न क्लर्कों तथा अपर डिविज़न क्लर्कों की संख्या क्रमशः 2,200 तथा 800 है, जो 10 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं और अपने वेतन-क्रमों में अधिकतम वेतन पर रहे हैं परन्तु उनकी पदोन्नति नहीं की गई है और यदि हां, तो क्या सरकार ने इन दो श्रेणियों को मिलाने और पदोन्नति के और अवसर निकालने अथवा इस मामले की जांच कराने के लिये एक आयोग की नियुक्ति करने का कोई निर्णय किया है ?

Mr. Speaker : What would Commission do in this regard ?

श्री ल० ना० मिश्र : उपलब्ध जानकारी के अनुसार इनकी संख्या लगभग 2,400 है ......

अध्यक्ष महोदय : वह भी किसी प्रकाशन का हवाला दे रहे हैं । वह भी सरकार का ही होगा इसलिये उन्हें इसका पुनः पता लगाना चाहिये ।

श्री ल० ना० मिश्र : एक समिति की नियुक्ति के बारे में हम पिछले कुछ समय से इस मामले पर विचार कर रहे हैं । हम इन श्रेणियों के कर्मचारियों की कठिनाइयों तथा समस्याओं से अवगत हैं । हमें उनके संगठनों से कई अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं । मैं यह बता दूं कि हम इनकी शिकायतों पर विचार करने तथा उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिये एक समिति को नियुक्त करने की बात पर विचार कर रहे हैं । इस समिति में भारत सरकार का स्थापना पदाधिकारी तथा प्रतिरक्षा और वित्त मंत्रालय और प्रशासनिक सुधार विभाग से एक एक प्रतिनिधि होगा । गृह-कार्य मंत्रालय इस सम्बन्ध में विभिन्न सम्बन्धित मंत्रालयों से विचार विमर्श कर रहा है और आशा है कि इस समिति का जल्दी गठन हो जायेगा ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार इस बात को पूरा महत्व देती है कि पदोन्नति सम्बन्धी गतिरोध से प्रोत्साहन नहीं मिलता है और इससे कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है ?

श्री ल० ना० मिश्र : पदोन्नति के प्रश्न के बारे में यदि रिक्त स्थान ही नहीं होंगे तो हम उनकी पदोन्नति कैसे कर सकते हैं ? उनकी पदोन्नति न करने के दो कारण हैं । एक यह कि सेवा से निवृत्त होने की आयु 55 से बढ़ा कर 58 वर्ष कर दी गई है और दुसरा यह कि मित व्ययता सम्बन्धी उपाय किये गये हैं । इसलिये पदोन्नति के कुछ अवसरों में कमी हो गई है ।

श्रीमती सावित्री निगम : समिति कितने समय के पश्चात अपना अन्तिम निर्णय दे देगी ? इस समिति के निर्देश-पद क्या हैं जो इन क्लर्कों के भाग्य का निर्णय करेगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : निर्देश-पदों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है परन्तु हमने उसे तीन महिनों में अपना प्रतिवेदन तैयार कर लेने के लिये कहा है ।

श्री वारियर : क्या सरकार ने सचिवालय में क्लर्कों की पदोन्नति पर प्रतिबन्ध लगा दिया है जबकि वह प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियों पर ऐसा प्रतिबन्ध नहीं लगा रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : प्रतिबन्ध तो नहीं लगाया गया है परन्तु बात यह है कि मितव्ययता के कारण कुछ नये पदों को नहीं भरा जा रहा है और नयी नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं और इस के फलस्वरूप पदोन्नति के कुछ अवसरों में कमी हो गई है ।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या यह गतिरोध पदोन्नति के अपर्याप्त अवसरों के कारण से है अथवा इसके कुछ अन्य कारण हैं ? यदि ऐसा पदोन्नति के अपर्याप्त अवसरों के कारण है तो क्या सरकार उच्चतर श्रेणी के पदों में वृद्धि करने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री ल० ना० मिश्र : जी, नहीं, जैसा कि मैंने बताया, हम इन पदों में तभी वृद्धि कर सकते हैं जब इनकी आवश्यकता हो । यदि माननीय सदस्य उच्चत्तर श्रेणी के पदों में वृद्धि करना चाहते हैं ......

श्री अ० प्र० शर्मा : प्रत्येक विभाग में प्रतिशतता के आधार पर उच्चतर श्रेणी के पदों में वृद्धि की जानी चाहिये ।

श्री ल० ना० मिश्र : और यदि वे चाहते हैं कि इन सभी 18,000 लोगों की पदोन्नति की जाये तो ऐसा करना हमारे लिये कठिन है ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : May I know the name of the Ministry of the Government of India in which Assistants and clerks have been worst affected due to stagnation ?

Shri L. N. Mishra : I would require notice for this.

Shri Kashi Ram Gupta : Are the Government aware of this fact that those people who have not so far been promoted, have six to seven issues each and their per capita income works out to be not more than Rs. 20. If so, whether government propose to give any special allowance to such people ?

Mr. Speaker : Does it mean that there has been progress on that side because they are not getting promotions on this side ?

Shri Kashi Ram Gupta : I mean to say that because their per capita income is not more than Rs. 20 and as such they have become inefficient.

Mr. Speaker : Are you connecting it to this thing that those who have been promoted, have six issues even before that. Next question.

गांधी दर्शन विषयक अनुसन्धान

+
*718. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हेडा :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :--

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा देश के सभी विश्वविद्यालयों में गांधी दर्शन विषयक अनुसन्धान करने के लिये गांधी भवन स्थापित किये जायेंगे;

(ख) इन भवनों की स्थापना के लिये कितनी राशि आवंटित की गई हैं;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस कार्य के लिये केन्द्रीय गांधी स्मारक निधि के साथ सहयोग स्थापित किया है ; और

(घ) इन भवनों का निर्माण आरम्भ करने के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चुने गये विश्वविद्यालयों में 40 गांधी भवन स्थापित करने का विचार है ।

(ख) और (ग) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक एक गांधी भवन स्थापित करने हेतु चुने गये प्रत्येक विश्वविद्यालय को इस प्रयोजन के लिये आयोग तथा गांधी स्मारक निधि ने 50 : 50 के आधार पर एक लाख रुपये आवंटित किये हैं। गांधी स्मारक निधि ने 20 लाख रुपये नियत कर दिये हैं और आशा है कि आयोग भी इस कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये अपने हिस्से की राशि की व्यवस्था कर देगा ।

(घ) दिल्ली, पंजाब, नागपुर तथा राजस्थान के विश्वविद्यालयों में गांधी भवनों ने अपना कार्य करना आरम्भ कर दिया है। इलाहाबाद, जाधवपुर, कर्नाटक और केरल के विश्वविद्यालयों में निर्माण-कार्य लगभग पूरा हो गया है । आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर के विश्वविद्यालयों के कार्य में प्रगति हो रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अलीगढ़, भागलपुर और जम्मू तथा काश्मीर के विश्वविद्यालयों में भवनों के निर्माण करने की प्रस्थापनाओं का अनुमोदन कर दिया है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार द्वारा कोई ऐसी तारीख निश्चित की गई है जिससे पूर्व यह सारा निर्माण-कार्य और प्रबन्ध पूरा हो जायेगा ?

श्री मु० क० चागला : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में 40 गांधी भवन बनाने का निर्णय किया है। जहां तक संख्या का सम्बन्ध है यह लक्ष्य रखा गया है। समय-सीमा के बारे में विभिन्न विश्वविद्यालयों में गांधी भवनों का निर्माण-कार्य प्रगति की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में है, परन्तु कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की गई है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या गांधी स्मारक निधि की सलाह से कोई रूपरेखा तैयार की गई है जिस आधार पर यह अनुसन्धान कार्य किया जायेगा और यदि हां, तो अनुसन्धान के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

श्री मु० क० चागला : वित्तीय व्यवस्था 50 : 50 के आधार पर की जाती है। 50 प्रतिशत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा और 50 प्रतिशत स्मारक निधि द्वारा खर्चा दिया जाता है।

श्री प्र० चं० बरूआ : क्या यह सच है कि भारत में गांधी दर्शन विषयक अनुसन्धान कार्य के लिये बहुत अपर्याप्त प्रबन्ध है और यदि हां, तो क्या विदेशों में भी संस्थायें ऐसा कार्य कर रही हैं और सरकार विदेशों में ऐसी संस्थाओं को क्या सहायता देने जा रही है ?

श्री मु० क० चागला : मुझे खेद है कि मैं इतने शोर-गुल के बीच प्रश्न को नहीं सुन सका हूं। यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार विदेशों में गांधी भवनों के लिये कोई सहायता देने जा रही है, तो मेरा निवेदन यह है कि ऐसी कोई परियोजना नहीं है।

Dr. Ram Monohar Lohia : There are two aspects of Gandhism, one is *satyagraha* against evil and injustice and the other is promoting goodness. Have the Minister of Education tried to see that injustice is not done to Gandhism by taking only the aspect of promoting goodness and ignoring the other aspect of *Satyagraha* and if so, may I know the nature of efforts made?

श्री मु० क० चागला : गांधी भवनों को स्थापित करने का सारा उद्देश्यही यही है। इन में उस दर्शन आदर्शों और सिद्धांतों की शिक्षा दी जानी चाहिये जिनमें गांधीजी विश्वास रखते थे। आशा है वे लोग जो यहां अध्ययन करेंगे वे इस सिद्धांतों को अपनायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि सत्याग्रह वाले पहलू को छोड़ दिया गया है और दुसरे पहलू पर ही बल दिया जा रहा है।

श्री मु० क० चागला : सत्याग्रह तो गांधीजी का मूल सिद्धांत था ....

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker, I am aware of this fact that *satyagraha* aspect has totally been eliminated and only the other aspect of promoting goodness has been taken up and Gandhism has been ignored. That is why I put this question.

Mr. Speaker : It is what he is replying.

Dr. Ram Manohar Lohia : That has not been replied. Kindly help me in getting a reply from him.

श्री स० चं० सामन्त : क्या सरकार यह जानती है कि अखिल भारतीय गांधी शताब्दी समिति देश में गांधी भवन आरम्भ करना चाहती है और यदि हां तो क्या सरकार 50 : 50 के आधार पर इसकी भी सहायता करेगी ?

श्री मु० क० चागला : जैसा कि मैंने बताया, शताब्दी समिति के कार्यक्रम के अतिरिक्त हमने एक परियोजना बनाई है। शताब्दी तो 1969 में है और इसको मनाने के लिये भिन्न कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। परन्तु इस से पहले हमने एक कार्यक्रम तैयार किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गांधी भवनों को स्थापित करने के लिये 40 विश्वविद्यालयों को सहायता देने की बात को मान लिया है।

श्री हरि विष्णु कामत : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी तथा नताजी सुभाष चन्द्र बोस भारत के स्वाधीनता संग्राम के त्रिपक्षीय नेतृत्व के प्रतिनिधि और अशान्ति की क्रान्तिकारी अवस्था, संग्राम तथा क्रान्ति के प्रतीक थे, क्या इन तीनों दर्शनों का अध्ययन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे एक एकीकृत दृष्टिकोण को उन्नत किया जा सके न कि केवल किसी एक पक्षीय दृष्टिकोण को ?

श्री मु० क० चागला : मेरे विचार में विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को हमारे सभी महान नेताओं के सिद्धांतों तथा आदर्शों का अध्ययन करना चाहिये। परन्तु गांधीजी उन में से महानतम थे, इस लिये विशेषरूप से गांधी भवनों को स्थापित किया जा रहा है।

मैं अपने माननीय मित्र की इस बात से सहमत हूं कि उन्हें उन सिद्धान्तों का भी अध्ययन करना चाहिए जिनमें नेताजी, तिलकजी और नेहरूजी का विश्वास था। इस समय हम केवल एक ही नेता के बारे में बात कर रहे हैं जिस महानतम नेता को भारत ने उत्पन्न किया है।

श्री अ० ना० विद्यालंकार : अब तक किस प्रकार का अनुसन्धान किया गया है? क्या उन्होंने कोई प्रकाशन निकाला है ?

श्री मु० क० चागला : यदि मेरे माननीय मित्र मुझे इस बारे में लिखेंगे तो मैं यह जानकारी दे दूंगा। यह जानकारी अभी मेरे पास नहीं है।

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker, the hon. Minister has just pointed out that Gandhi Bhawans are being established to study the philosophy of Gandhiji who was the greatest leader of India, may I know whether government contemplate to institute studies of the philosophy of Swamy Dayananda who had done everything possible to shake the foundation of the British Raj even before Gandhiji and who had written that our own ruler is far better than a foreign ruler even if the latter is imbued with parental affection.

श्री मु० क० चागला : मैं स्वामी दयानन्द का बहुत सम्मान और आदर करता हूं। मुझे विश्वास है कि कोई विद्यार्थियों द्वारा उनके दर्शन का भी अध्ययन किया जा रहा है, समझा जा रहा है और सराहना की जा रही है। मेरे विचार में एक नेता की दूसरे नेता से तुलना करना द्वेषात्मक बात है। भारत को इस बात का गर्व है कि यहां कई महान विभूतियां हुई हैं। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं कि अधिक महान नेता कौन था।

Shri Sheo Narain : How do the Govt. propose Gandhiji's gospel that truth is god and god is truth.

डा० मा० श्री० अणे : गांधी जी के सिद्धांतों का अध्ययन करने के लिये स्थापित किये जा रहे गांधी भवनों के कार्य-भार के लिये जिम्मेदार कौन होगा ?

श्री मु० क० चागला : इनका संचालन विश्वविद्यालयों द्वारा किया जा रहा है। इनमें योग्य अध्यापक होंगे और साहित्य होगा।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच है कि कुछ विश्वविद्यालयों को, जिनमें गांधी भवन बनाये गये हैं, गांधीवाद के सिद्धांतों पर भाषण देने के लिये योग्य व्यक्तियों की सेवायें उपलब्ध करने में काफी कठिनाई होती है और यदि हां, तो इन गांधी भवनों के लिये ऐसे व्यक्ति उपलब्ध कराने के बारे में क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री मु० क० चागला : अभी तो बहुत ही कम विश्वविद्यालयों में गांधी भवन काय कर रहे हैं। ये केवल चार है दिल्ली, नागपुर, पंजाब तथा राजस्थान—और हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इन विश्वविद्यालयों को अध्यापकों की सेवायें उपलब्ध करने में कोई कठिनाई होती है।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं पंजाब विश्वविद्यालय के बारे में कह रहा था। वे न ही किसी प्रवाचक को और न ही किसी प्राध्यापक की सेवायें उपलब्ध कर सके हैं।

Shri Yamuna Prasad Mandal : Will the establishment of Gandhi Bhavans in all the universities of India be completed by 1969 and whether a Gandhi Bhavan will also be established in that part of Champaran where he had started this great work ?

श्री मु० क० चागला : मेरे विचार में बिहार विश्वविद्यालय ने इसके लिये नहीं कहा है...... मुझे खेद है, भागलपुर विश्वविद्यालय ने इस के लिये कहा है।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को इस बात का पता है कि गांधी दर्शन टालस्टाय और ईसाई धर्म द्वारा अपनाये गये जैन धर्म के कुछ सिद्धान्तों का दूसरा नाम ही है और यदि हां तो हमारा धर्मनिरपेक्षवाद कितना धर्मनिरपेक्षवादी है ?

श्री मु० क० चागला : मेरे विचार में सभा यह नहीं चाहती है कि मैं गांधी दर्शन पर कोई भाषण दूं। मैं माननीय मित्र को किसी उचित समय बताऊंगा कि गांधी दर्शन के बारे में मेरी क्या धारणा है ।

Shrimati Sahodra Bai : Will the hon. Minister be pleased to state whether portrait of Kasturba would be kept in Gandhi Bhavans along with that of Gandhi-ji as the portrait of Sita is kept along with that of Rama and worshipped.

कलकत्ता के उद्योगपतियों की गिरफ्तारी

\+
*719. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 अक्तूबर, 1965 को कलकत्ता में भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत दो बड़े उद्योग-पतियों को गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या वे किसी राष्ट्र विरोधी कार्यवाही से संबद्ध थे ; और

(ग) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) : दो उद्योगपतियों को सार्वजनिक सुरक्षा के लिये हानिकारक ढंग पर कार्य करने से रोकने और जन-व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से भारत रक्षा नियमावली के नियम 30 के अधीन 8 अक्तूबर को नजरबन्द किया गया, न कि 9 अक्तूबर, 1965 को ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इन दो व्यक्तियों के नाम गजराज सरोगी और पन्नालाल सरोगी हैं और क्या यह सच है कि वह भारत विरोधी गतिविधियों में भाग ले रहे थे और इसके लिये धन की व्यवस्था पाकिस्तान में उनके साझीदार कर रहे थे ?

श्री ल० ना० मिश्र : नाम ठीक हैं और वह 4, थेटर मार्ग, कलकत्ता के निवासी हैं । यह भी ठीक है कि वह कुछ संदिग्ध सौदे कर रहे थे और पश्चिम बंगाल सरकार ने इसी लिये उन्हें नज़रबन्द किया हुआ है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार को इस प्रकार की कोई जानकारी है कि कलकत्ता में पाकिस्तानी उप उच्चायुक्त के कार्यालय का इन दो व्यक्तियों से निरन्तर परस्पर संबंध था और उनकी गिरफ्तारी से कुछ ही समय पूर्व, इसकी आशंका होने पर बहुत से कागज़ात उस कार्यालय में पहुंचा दिये गये और वहां उन्हें गुप्त रूप से जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया ?

श्री ल० ना० मिश्र : मुझे इसकी जानकारी नहीं है । राज्य सरकार ने उन्हें भारत सुरक्षा नियमों के नियम 30 के अन्तर्गत नज़रबन्द किया है । उन्होंने हमें ब्यौरा नहीं भेजा और न ही ऐसा करना उनके लिये आवश्यक है । इस समय हम ने उन से ब्योरा नहीं मांगा है ।

Shri Yashpal Singh : May I know whether Government have prepared a list of those capitalists who are donating crores of rupees to Pakistan so that the names of such traifors might be known to the country like the proprietors of Delhi Cloth Mills, Bharat Ram Charat Ram who have donated Rs. 20 lakhs towards Pakistan National Defence Fund, whereas they have donated only Rs. 1 lakh in India towards this Fund ?

Shri L. N. Mishra : There are many kinds of lists. We prepare lists of all those persons who have connections with Pakistan in any way but we do not want to disclose their names.

Shri Yashpal Singh : They are donating crores of rupees. They should be named.

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : माननीय मंत्री ने अभी कहा कि इन दोनो सरोगी उद्योगपतियों के विरुद्ध जासूसी का आरोप है और यदि ऐसा है तो क्यों . . . .

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने 'जासूसी' तो नहीं कहा। उन्होंने तो यह कहा था कि वह व्यक्ति संदिग्ध सौदों के दोषी थे अथवा उनपर ऐसी गतिविधियों का संदेह था।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : संदिग्ध सौदे का संबंध क्या पाकिस्तान को जानकारी देने से है अथवा जासूसी करने से ?

अध्यक्ष महोदय : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ते शब्द 'जासूसी' का प्र ोग नहीं किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जब मंत्री महोदय ने शब्द 'संदिग्ध' का प्रयोग किया तो क्या यह प्रयोग शुद्ध वित्तीय अथवा व्यापारिक तौर पर था अथवा राजनीतिक तौर पर ?

श्री हरि विष्णु कामत : संदिग्धता किस रुप की है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने राज्य सरकार से इस बारे में कुछ नहीं पूछा।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नंदा) : राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों का भी आरोप है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आय-कर की चोरी का तो नहीं है ?

श्री नन्दा : जी नहीं। संदिग्ध तथा राष्ट्र-विरोधी **(अन्तर्बाधाएं)**

Shri Ram Sewak Yadav : On a point of order, Sir.

Mr. Speaker : No. Do not interrupt the proceedings of the house. Let us go ahead.

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. Minister just now said 'shady and anti-national.' I do not know what is the objection in stating the nature of allegation against then. These questions are being raised because of this. If a clear reply is given, them no such question arise.

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन्, श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न बिल्कूल वास्तविक है।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि इन व्यक्तियों को किसी प्रकार के अस्पष्ट संदिग्ध सौदे अथवा देश विरोधी गतिविधियों के लिये गिरफ्तार नहीं किया गया परन्तु वे पाकिस्तान सरकार की ओर से जासूसी कर रहेथे। क्या इस प्रकाशित आरोप में कोई सत्य है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं तो कहूंगा कि पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्य इन व्यक्तियों के बारे में जानते होंगे—भारत तथा पाकिस्तान में उनका बहुत बड़ा धंधा है और उनका पाकिस्तान सरकार के साथ सम्पर्क है। हां, उनके विरुद्ध विशिष्ट आरोपों की मुझे जानकारी नहीं है परन्तु जैसा माननीय गृह-मंत्री ने बताया कि वह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे हुये थे और मैं समझता हूं कि इस समय जबकि उनके विरुद्ध जांच हो रही है इन आरोपों का ब्योरा यहां देना लोक हित में न होगा।

श्री शिकरे : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार तो समय नष्ट हो रहा है। मुझे तो कोई ऐसा प्रश्न दिखाई नही देता।

श्री शिकरे : मैं बार बार तो ऐसा प्रश्न नहीं उठाता हूं । पहले मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी गतिविधियां संदिग्ध थीं फिर उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रविरोधी भी थीं। इस प्रकार क्या मंत्री महोदय किसी की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर पर्दा नहीं डाल रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो ऐसा कोई नियम दिखाई नहीं देता जिसके अन्तर्गत यह सब आता हो ?

श्री शिकरे : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : स्पष्टीकरण चाहना व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या सरकार इस देश के उन उद्योगपतियों पर ध्यानपूर्वक दृष्टि रखती है जिनके पाकिस्तान के साथ वित्तीय अथवा अन्य प्रकार के संबंध हैं और क्या यह ज्ञात होने पर कि उन्होंने पाकिस्तान के सुरक्षा कोष में यहां के सुरक्षा कोष की अपेक्षा कहीं अधिक दान दिया है क्या सरकार जांच करती है और उन परिस्थितियों में आवश्यक कार्यवाही करती है ?

श्री ल० ना० मिश्र : किसी भी सरकार को यह सब करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा उत्तर उचित नहीं है । इस सरकार ने क्या किया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : श्रीमन्, हम यह सब कर रहे हैं ।

श्री उ० म० त्रिवेदी : इस मामले में तो उचित कार्यवाही की गई है परन्तु क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध भी ऐसी कार्यवाही की गई है जिनकी पत्नियां अब भी दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त के कार्यालय में जा रही हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : इसके लिये तो मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : और वह इस प्रश्न से नहीं जोड़ी जायेगी ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्यों नहीं, श्रीमन् ? जब एक व्यापारी विशेष वहां जाये तो कार्यवाही की जाती है परन्तु जब किसी अधिकारी की पत्नी उस कार्यालय में जाये तो . . .

अध्यक्ष महोदय : वहां जाने की बात नहीं है ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : श्रीमन्, यह तो सुसंगत ही है । वे जो पाकिस्तानी उच्चायुक्त के कार्यालय से संबंध स्थापित कर रहे हैं .

अध्यक्ष महोदय : इस समय यह प्रश्न तो नहीं पूछा जा रहा ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : यही उत्तर तो यहां दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप तो सुविख्यात विधिवक्ता हैं । न्यायालयों में तो यह सुसंगत हो सकता है परन्तु यहां प्रश्न काल के संबंध में यह सुसंगत नहीं है ।

शेख अब्दुल्ला

+

***721. श्री राम सहाय पाण्डेय :** **श्री च० का० भट्टाचा**
श्री यशपाल सिंह : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शेख अब्दुल्ला के जो इस समय नज़रबन्द है, आने जाने पर प्रतिबन्ध लगाने और उन्हें दी गई विशेष स्थिति (स्टेटस) समाप्त करने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख) : शेख मुहम्मद अब्दुल्ला पर पहले उटकमंड नगरपालिका की सीमा में रहने का प्रतिबन्ध था और कुछ समय बाद कोडाई कनाल नगरपालिका की सीमा में। सितम्बर में युद्ध-स्थिति के उत्पन्न होने पर कोडाई कनाल की खास इमारत में ही उनकी गतिविधियों को सीमित कर दिया गया था। उनके अन्य लोगों से मिलने-जुलने तथा पत्र व्यवहार करने पर जो कुछ प्रतिबन्ध शुरू में लगाए थे वे जारी रहे।

Shri Yashpal Singh : How could he be allowed to ride a horse when he has been detained on charge of treasons. He should instead be provided an ass to ride upon.

Mr. Speaker : He may put another question.

Shri Yashpal Singh : May I know the amount being spent on him daily ?

श्री हाथी : लगभग 1,000 से 1,500 रु० मासिक।

Shri Yashpal Singh : Mr. Dalip Kumar is very frequently going to see him. Why such special favours have been granted to him.

श्री हाथी : सरकार की आज्ञा से ही लोगों को उन से मिलने दिया जाता है।

Shri Sheo Narain : May I know how Mr. Dalip Kumar is specially interested in seeing him and whether he is making a film on him ?

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda) : There is no such reason behind his frequently seeing him. As regards granting interviews to people, this is done only with the permission of Government, as already stated by my colleague. We have the names of all those persons who come to see him.

श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या यह सच है कि, मद्रास सरकार ने शेख अब्दुल्ला को कोडइकनाल में रखने की जिम्मेदारी वहन न करने के लिये कहा है ?

श्री नन्दा : जी, नहीं।

Shri Tulsidas Jadhav : Whether any official is present at meetings of outsiders with Sheikh Abdullah and whether a record of these meetings is kept as was the practice when we were in jails ?

Shri Nanda : A record is properly maitained of all this.

Shri Prakash Vir Shastri : As stated by Shri Hathi about monthly expenditure incurred on him *viz.*, Rs. 1,500, may I know whether the rent of the building where he has been detained is also included therein ?

Shri Nanda : No building has been hired for him.

Mr. Speaker : But he has been kept some where at least.

Shri Nanda : He has been kept in a Government building.

अध्यक्ष महोदय : क्या इस व्यय में इसे भी जोड़ा गया है ?

श्री नन्दा : जी, नहीं।

Shri Yudhvir Singh : May I know whether this amount is being spent on him alone or whether some members of his family are also living with him and whether this amount includes expenditure on them also ?

Shri Nanda : Whatever expenditure is incurred there, is included therein.

अध्यक्ष महोदय : क्या वहां वह अकेले रहते हैं अथवा अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं ?

Shri Nanda : Sometimes his wife also goes to live with him.

Shri Ram Sewak Yadav : Sheikh Abdullah is a political prisoner and as stated by the hon. Minister, a sum of Rs. 1,500 is being monthly spent on him excluding the rent on his residence. May I know why gross discriminatory treatment is meted out to other political prisoners like Shri Gopalan and Dr. Ram Manohar Lohia ?

Mr. Speaker : He is drawing a parallel between the two.

Shri Prakash Vir Shastri : Why special status has been granted to him ?

Mr. Speaker : The Hon. Member can ask why Sheikh Abdullah has been given special status ?

Shri Ram Sewak Yadav : The question relates to political prisoners.

Mr. Speaker : You might ask as to why a similar amount is not being spent on other political prisoners.

Shri Ram Sewak Yadav : So much money is not being spent on other political prisoners. I want to know the reasons of such discrimination ?

श्री नन्दा : विशेष कारण होते हैं और विशेष परिस्थितियां होती हैं। ऐसे निर्णय इन बातों तथा राष्ट्र हित में ही लिये जाते है। (अन्तर्बाधाएं)।

Shri Bagri : Whether giving special status to traitors is in the national interest.

Mr. Speaker : Shri Vishram Prasad.

Shri Bagri : On a point of orerd, Sir.

Mr. Speaker : There is no point of order involved at this moment.

Shri Bagri : Whether it is Government policy to spend so much on traitors and mete out discriminatory treatment towards well-wishers of the country ?

Mr. Speaker : What ruling could I give on this ?

Shri Bagri : The Government should state clearly whether it is thier policy to spend so much on traitors is in national interest ?

Mr. Speaker : Statement of Government's policy does not involve a point of order.

Shri Vishram Prasad : In reply to a similar question in Rajya Sabha the hon. Minister had stated that Rs. 22 lakhs were spent on Sheikh Abdullah in four months.

Shri Hathi : Rs. 22 lakhs ?

Shri Vishram Prasad : Yes Sir. This has been published in the press. I want to know how far it is correct.

Shri Hathi : Rs. 22 lakh were not told. But the total expenditure including that on Security and armed police etc. would have been told to be Rs. 22,000 for four months and not Rs. 22 lakhs.

Shri Vishram Prasad : It is not a question of would have been told. I have read in the papers that it was told to be Rs. 22 lakhs.

Shri Hathi : Not Rs. 22 lakhs but Rs. 22,000.

Mr. Speaker : Next question. Shri D. C. Sharma.

Shri Sheo Narain : Sir. My submission is that this question is very important for the country. Such treatment to the traitors....

Dr. Ram Manohar Lohia : Sir, I want to raise a point of order.

Mr. Speaker : There is no point of order at this moment.

Dr. Ram Manohar Lohia : One question remains. I want to raise a point of order on that.

Mr. Speaker : I have proceeded to the next question therefore there is no point of order on that now.

Dr. Ram Manohar Lohia : You are allowing a very important question to remain unanswered.

Mr. Speaker : I have allowed enough time on that. Five questions have taken a full hour already.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Why so much money is being spent on such a traitor ?

Mr. Speaker : Next question.

होम गार्ड

\+

*723. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी : **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होम गार्डों की भर्ती आशानुकूल नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो होम गार्डों की भर्ती से सबध्द संगठन को सुदृढ़ करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : अभी हाल के संघर्ष के दौरान प्राप्त अनुभव को देखते हुए होम गार्डों की भर्ती, प्रशिक्षण तथा कार्य प्रणाली पर 8 नवम्बर को यहां पर हुए विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों और गृह मंत्रियों के सम्मेलन और राज्य सरकारों के होम गार्डों के कमांडेंटों की एक बैठक में भी विचार किया गया, और बिना कुछ भी देर लगाए कमियों को दूर करने का निश्चय किया गया।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि लोग और अधिक संख्या में होम गार्डस में भर्ती क्यों नहीं हो रहे हैं ? क्या सरकार ने इस के कारणों का पता लगाया है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को प्रश्न सीधे अध्यक्षपीठ से पूछने चाहियें। मैं प्रश्न को नहीं सुन सका हूं और यह निर्णय करने की स्थिति में नहीं हूं कि प्रश्न न्यायसंगत है अथवा नहीं और इसे पूछने की अनुमति दी जाये या नहीं। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे प्रश्न सीधे मेरे से पूछे ताकि मैं प्रश्नों को समझ सकूं।

श्री दी० चं० शर्मा : श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन कारणों का पता लगा लिया गया है जिनकी वज़ह से बहुत से लोग होम गार्डस में सम्मिलित होने को तैयार नहीं है, यदि हां, तो उन्हें दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं ने अपने मूल उत्तर में कहा है कि भर्ती के प्रश्न पर पुर्नविचार किया गया था । मूल योजना में कुछ कमियां थी। हम उन्हें दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम यथा समय लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या होम गार्डस संघठन को पूर्णत: केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधिन किया जायेगा अथवा राज्य गृह मंत्रालयों का भी इस से कोई सम्बन्ध रहेगा ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह एक राज्य का विषय है। हम उन्हें 50 प्रतिशत अनुदान दे रहे हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच है कि होम गार्डस संघठन को धन की कमी की तथा अन्य कुछ कठिनाईयां है, जिन को सरकार आसानी से दूर कर सकती है ? यदि उत्तर हां में हो तो गृह मंत्रालय इन कठिनाईयों को शीघ्र दूर करने के लिये क्या कदम उठायेगा ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह सच है कि राज्य सरकारों की कुछ वित्तीय तथा अन्य कठिनाईयां भी हैं। अब इस बारे में हम ने कुछ अन्तिम निर्णय कर लिये हैं और हमें आशा है कि शीघ्र ही यह संघठन सुव्यवस्थित हो जायेगा।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know how much amount would be spent by Central Government on Home Guards and whether the amount would be sufficient to meet our requirements in this regard ?

Shri L. N. Mishra : I am not in a position to give details as yet, but according to the scheme formulated by us an amount of nearly 23 to 24 crores of rupees is likely to be spent.

श्री मा० ल० जाधव : होम गार्डस को क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गये हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह कहना कठिन है कि उन के ठीक ठीक कर्तव्य क्या हैं ? वे पुलिस का कार्य करेंगे तथा नागरिक सुरक्षा के कार्य में सहायता करेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि जो सरकरी कर्मचारी स्वेच्छया से होम गार्डस का शिक्षण लेने को तैयार हैं, सम्बन्धित विभाग उन्हें छुट्टी आदि की सुविधायें नहीं देते ? यदि हां, तो क्या ये सुविधायें प्रदान करने के लिये विभागों को साफ अनुदेश दे दिया गया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : जब वे होम गार्डस के प्रशिक्षण के लिये जाते हैं, तो उन्हें काम पर हाज़िर समझा जाता है।

श्रीमती ज्योतसना चन्दा : क्या होम गार्डस को राईफल चलाने का प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

श्री ल० ना० मिश्र : उन्हें राई फल चलाने का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

Shri Onkar Lal Berwa : Whether Central Government have issued orders to State Governments for arresting the members of Home Guard, if not, under which orders they are being arrested ?

Shri L. N. Mishra : No such orders for arresting the Home Guard have been issued, but whosoever commits crime will be arrested, what so ever his social position may be.

उड़ीसा सरकार द्वारा लेन-देन सम्बन्धी विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

+

*725. **श्री हरि विष्णु कामत :** **श्री जेना :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री गोकुलानन्द महन्ती :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ महीनों में कई समाचारपत्रों ने 3 मार्च, 1965 को सभा-पटल पर रखे गये दस्तावेज को उड़ीसा सम्बन्धी मामलों पर केन्द्रीय जांच विभाग की रिपोर्ट के रूप में छापा है तथा बाद में उस दस्तावेज़ की उड़ीसा सम्बन्धी मामलों पर केन्द्रीय जांच विभाग की रिपोर्ट के रूप में कई भाषाओं में पुस्तिकाएं निकली है ;

(ख) क्या सरकार ने उन प्रकाशनों में छपे समाचार का खण्डन किया है, उसकी प्रमाणिकता अथवा सत्यता से इन्कार किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो राजकीय भेद अधि-नियम (आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट) के अन्तर्गत उन समाचारपत्रों तथा पुस्तिकायें के प्रकाशकों के विरूद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : प्रश्न में कुछ कागज़ात के बारे में कुछ धारणाएं की गई हैं। अतः खेद है कि सरकार उन धारणाओं के बारे में कोई विचार व्यक्त करने में असमर्थ है। माननीय सदस्य का ध्यान सर्वश्री जसवंत मेहता तथा एच० सी० माथुर द्वारा 14 अप्रेल, 1965 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 862 के उत्तर की और भी आकृष्ट किया जाता है। सरकार के पास उस उत्तर में बताई गई स्थिति में जोडने के लिये और कुछ भी नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे प्रश्न में कोई किसी प्रकार की धारणा नहीं की गई है। सरकार इसे जानबूझ कर टालना चाहती है। यदि आप कृपया प्रश्न को पढ़े तो देखेंगे मैंने क्या धारणा की है। मैंने तथ्यों के बारे में पूछा है। भाग (क) में मैंने पूछा है कि क्या यह सच है कि 3 मार्च को सभा-पटल पर रखे गये दस्तावेज़ को कई पुस्तिकाओं तथा समाचारपत्रों में केन्द्रीय जांच विभाग की रिपोर्ट के रूप में छापा है। इस में क्या धारणा है ? फिर मैंने पूछा है कि क्या सरकार ने उन प्रकाशनों में छपे समाचार की सत्यता का खण्डन किया है ? इस में कोई धारणा कहां है ? तीसरे मैंने पूछा है कि कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ? इस में कोई धारणा नहीं है। मैंने पूछा है कि क्या यह सच है। वे केवल प्रश्न को टालना चाहते हैं।

श्री हाथी : वे केन्द्रीय जांच विभाग की रिपोर्टों के रूप में छपी गई थी और क्या वे केन्द्रीय जांच विभाग की रिपोर्टें हैं या नहीं स्वयं ही... **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री हरि विष्णु कामत : सरकार के लिय यह रवैया अपनाना निन्दा जनक तथा बहुत खराब है। वे आप के विनिर्णय का कायरता पूर्वक ढंग से लाभ उठा रहे हैं। श्रीमन् यह उचित समय है कि आप उन के विरूद्ध कार्यवाही करें और उन्हे ठीक रास्ते पर लायें।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : वे यह कह सकते है कि यह केन्द्रीय जांच विभाग की रिपोर्ट है या नहीं... **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें तीनों को एक साथ बोलने का विशेषाधिकार नहीं दे सकता।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : वे यह कह सकते हैं कि वह केन्द्रीय जांच विभाग की रिपोर्ट है या नहीं लेकिन उन्हें यह बताना चाहिये कि क्या सभा पटल पर रखे गये दस्तावेज़ के आधार पर ऐसी पुस्तिकायें तथा पत्रिकायें प्रकाशित हुई है जिन में इसे केन्द्रीय जांच विभाग की रिपोर्ट समझा गया है। यह एक तथ्य है जिसका वे 'हां' या 'ना' में उत्तर दे सकते हैं .... **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : इस बारे में आप को दो मिनट समय बढ़ाने का अधिकार है, क्योंकि प्रश्न समय रहते पूछा गया था और उस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था। वह कोई अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछ सके।

अध्यक्ष महोदय : जब श्री कामत प्रश्न पूछने के लिये मुझ पर जोर डाल रहे थे तो केवल एक मिन्ट शेष था।

श्री हरि विष्णु कामत : जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : वह कह रहे थे अभी एक मिन्ट बाकी है।

श्री हरि विष्णु कामत : हम आपको धन्यवाद देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने वह प्रश्न पूछ लिये है। अब उसे जारी कैसे रखा जा सकता है।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन् मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मैं एक गैर सरकारी सदस्य की हैसियत से बोल रहा हूं। मुझे यह बिल्कुल ज्ञात नहीं है कि किसी के लिये आप पर दबाव डालना भी संभव है। इस से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरा सम्बन्ध तो प्रश्न से है जोकि मुझे महत्वपूर्ण जान पड़ता है। आप ने इसे पूछा और आपने उन्हें अनुपूरक पूछने को भी कहा, परन्तु उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाना उचित समझा। मेरे विचार में व्यवस्था का प्रश्न निसंदेह कुछ महत्व का मामला होता है और विशेष रूप से जब श्री कामत जैसा सदस्य उसे उठाये, क्योंकि वह बिना कारण व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाते। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विशेषकर अनुपूरकों के पूछने की आज्ञा दी जाये क्योंकि सरकार हर प्रकार के वक्तव्य दे कर उसे टालना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय : केवल एक मिनट शेष था और सदस्य महोदय चाहते थे कि उन का प्रश्न अवश्य पूछा जाये। मैंने उन्हें इसे पूछने की रियायत दे दी और उन्हें एक अनुपूरक पूछने की अनुमति भी दे दी, हालांकि समय प्राय: समाप्त हो गया था परन्तु उन्होंने अनुपूरक पूछने की बजाये व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया। व्यवस्था का प्रश्न उठा कर उन्होंने वह अवसर खो दिया है जोकि मैं ने उन्हें अनुपूरक पूछने को दिया था। इस में मैं उन की क्या सहायता कर सकता हूं..... (अन्तर्बाधाएं)

श्री हरि विष्णु कामत : नियमों के अन्तर्गत यह ..... (अन्तर्बाधाएं)

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : श्री देव ने जो प्रश्न उठाया वह बिल्कुल भिन्न है। उसे किसी और रूप में उठाया जा सकता है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : व्यवस्था के प्रश्न पर आपने अपना निर्णय नहीं दिया है। वे धारणायें नहीं हैं। उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। उन्हें हां या नहीं कुछ भी उत्तर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने मंत्री महोदय से पूछा था कि वह बतायें कि धारणायें क्या थी और उन्होंने इस का उत्तर दे दिया है।

श्री नाथ पाई : उत्तर क्या था।

श्री हरि विष्णु कामत : जहां तक हमारा सम्बन्ध है आप ने यह उचित निर्णय दिया है कि हमें ठीक ठीक संक्षप में तथा आवश्यक बात ही कहनी चाहिये। क्या यह निर्णय मंत्रियों पर लागू नहीं होता?

अध्यक्ष महोदय : मैं कहूंगा कि उन्हें यह नहीं कहना चाहिये कि वे हमेशा इस का पालन करते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : हम तो भरकस प्रयत्न करते हैं, लेकिन वे बिल्कुल नहीं करते।

श्री नाथ पाई : परन्तु धारणायें क्या है ?

श्री ही० ना० मकर्जी : यह वह प्रश्न है जिसकी आपने अनुमति दी थी और जिस में सरकार से पूछा गया था कि क्या यह सच है कि कुछ मामलों को केन्द्रीय जांच विभाग के प्रतिवेदन के रूप में छापा है। सरकार ने इस का हां या नहीं में उत्तर देना चाहिये। सरकार की हमें ये सब अनुमान बताने की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री हरि विष्णु कामत : इस का उत्तर कल दिया जा सकता है।

श्री हाथी : यदि हम प्रश्न पर विचार करें तो इस का अर्थ होगा कि कुछ दस्तावेज़ प्रकाशित किये गये थे।

श्री हरि विष्णु कामत : कई भाषाओं में—अंग्रेजी, उड़िया।

श्री हाथी : हां, उन का उड़ीसा सम्बन्धी मामलों पर केन्द्रीय जांच विभाग की रिपोर्ट के रूप में उल्लेख किया गया था और बाद में उक्त दस्तावेज़ को उड़ीसा सम्बन्धी मामलों पर केन्द्रीय जांच विभाग की रिपोर्ट के रूप में कई भाषाओं में पुस्तिकाएं निकली थी।

अब ये सब अनुमान ही हैं कि यह केन्द्रीय जांच विभाग की रिपोर्ट है या नहीं...... **(अन्तर्बाधाएं)** इसलिये प्रश्न यह है कि क्या ये दस्तावेज़ जिन्हें केन्द्रीय जांच विभाग की रिपोर्ट के रूप में छापा गया था, अथवा क्या सरकार को ज्ञात है—अनुमान यह है कि ये दस्तावेज़ केन्द्रीय जांच विभाग की रिपोर्ट थी और उन्हें प्रकाशित किया गया था —**(अन्तर्बाधाएं)** यह एक अनुमान है और इस लिये सरकार इन अनुमानों के आधारपर कोई उत्तर नहीं दे सकती।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह प्रश्न को देखें।

श्री शशिरंजन : प्रश्न काल समाप्त हो गया।

अध्यक्ष महोदय : इस का निर्णय करना मेरा काम है। यदि प्रश्न काल समाप्त भी हो गया तो भी इसे बीच में तो नहीं छोड़ा जा सकता। यह मेरी जिम्मेदारी है।

श्री शशिरंजन : पहले मौकों पर आपने इस की अनुमति नहीं दी थी।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री यह बताये कि क्या यह सच है कि गत कुछ महिनों में कई समाचार पत्रों ने 3 मार्च 1965 की सभा-पटल पर रखे गये दस्तावेज की..... **(अन्तर्बाधाएं)**

शांति, शांति। प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि उन्हें समाचारपत्रों में केन्द्रीय जांच विभाग के रूप में छापा गया था। यह प्रश्न धारणा नहीं है।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : यह सच है कि यह धारणा माननीय सदस्य की नहीं है। यह धारणा समाचारपत्रों की है।

अध्यक्ष महोदय : फिर तो सरकार को कहना चाहिये था कि तथ्य ये हैं, ये इस रूप में सामने आये थे, इन इन समाचार पत्रों ने इन्हें छापा था लेकिन सरकार के लिए य केवल धारणायें है और सरकार उन्हें कोई मान्यता नहीं देती।

श्री नन्दा : जी हां, यह ठीक है।

3—15 Lok Sabha/66

दस्तूर एण्ड कम्पनी

+
अ० सू० प्र० 7. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्री नि० चं० चटर्जी :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री यशपाल सिंह :
डा० रानेन सेन :
श्री शिकरे :
श्री काशीराम गुप्त :
श्री ह० प० चटर्जी :
श्री गौरी शंकर कक्कर :
श्री नी० श्रीकान्तन नायर :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री व० कु० दास :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० उ० मिश्र :
डा० शि० कु० साहा :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनका ध्यान दिनांक 28 नवम्बर, 1965 के "स्टैट्समैन" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि मैसर्स दस्तूर एण्ड कंपनी, इस्पात परामर्शदाता, को ही एक मात्र भारतीय कम्पनी के रूप में बोकारो इस्पात संयंत्र से सम्बन्धित कार्य के लिये सरकार द्वारा चुना गया है, और यह कि सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय पहले ही लिया जा चुका है, और

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना के रूसी सहयोगियों के साथ यह विचार विमर्श किया गया है कि इस परियोजना के समय पर निष्पादन तथा पूरा होने पर इस कदम का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार का सदा ही यह उद्देश्य रहा है कि बोकारो इस्पात कारखाने के स्थापन सम्बन्धी काम मसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी को सौंपे जायें बशर्ते कि उनके साथ कार्य-क्षेत्र और फीस के बारे में सन्तोषजनक समझौता हो सके। दस्तूर एण्ड कम्पनी को वह काम सौंपा जायेगा जिसका उत्तरदायित्व सोवियत संगठनों पर नहीं होगा और जो भारतीय परामर्श—इंजीनियरों की प्राइवेट फर्मों द्वारा किया जाएगा। कार्य के ठीक ठीक क्षेत्र के बारे में निर्णय सम्बन्धित सोवियत संगठनों के साथ परामर्श करने के पश्चात ही किया जायेगा। यह सब बातें तय करते समय सभी सम्बन्धित विषय जैसे कार्य को समय पर क्रियान्विति और प्रायोजना की समय पर समाप्ति, ध्यान में रखे गये थे।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : भारतीय इंजीनियरों को दी जाने वाली डिजाइन, पर्यवेक्षण तथा परामर्श जैसी सेवाओं के लिये सरकार ने किन विशेष कारणोंवश परामर्शदाताओं की केवल एक ही फर्म अर्थात्, दस्तूर एड कम्पनी को नियुक्त किया है? जब कि भारत के लिये ब्रिटिश-अमरीकी इस्पात सार्थ संघ के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि हमारे यहां अनेक इंजीनियरी फर्म हैं जो इस प्रकार का काम कर रही हैं, एक ही फर्म को क्यों अधिमान दिया गया और खुले टेंडर क्यों नहीं मांगे गये ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : ब्रिटिश अमरीकी सार्थ संघ द्वारा कुछ कहे जाने के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। परन्तु इसके लिये एक पृष्ठ भूमि है............

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : वह यह भी नहीं जानते कि मूल.......

श्री संजीव रेड्डी : वह एक पृथक प्रतिवेदन है। हम बोकारो और दस्तूर एंड कम्पनी की बात कर रहे हैं। दस्तूर एैंड कम्पनी का ब्रिटिश-अमरीकी सार्थ संघ से कोई संबंध नही

है नही बोकारो का इससे कोई संबंध है। इसके लिये एक पृष्ठ भूमि है। मेरे पूर्वाधिकारी, इस्पात तथा भारी उद्योग मंत्री ने उन दिनों इस सभा में घोषणा की थी कि भारतीय परामर्शदाता, दस्तूर एड कम्पनी को ही परियोजना के डिज़ाइन और इंजीनियरी का काम दिया जायेगा। यह घोषणा अप्रैल, 1964 में की गई थी। परन्तु, बाद में जब हमने रूसियों के साथ करार किया, स्वभावतः रूसी इस में एक हिस्सा चाहते थे, और वे अपने उपकरणों तथा मशीनों के लिये जिम्मेदारी लेना चाहते थे। इसलिये प्रारूप करार में भी, जिसपर कि हस्ताक्षर नहीं किये गये थ, एक खंड था कि यदि संभरणकर्ताओं को कोई परामर्श चाहिये तो दस्तूर ऍंड कम्पनी को उस हद तक परामर्शदातृ का शुल्क दस्तूर एंड कम्पनी को देना चाहिये।

रूसियों ने कार्य के भाग को ले लिया और शेष कार्य को इस सभा में दिये गये नैतिक वचन को देखते हुए, दस्तूर एंड कम्पनी को दे दिया गया। यह ऐसा कायदा नहीं है जो कि हाल ही में किया गया हो। इसके पीछे एक बड़ा इतिहास है।

हमने दस्तूर एंड कम्पनी से बातचीत करने का प्रयत्न किया था और उस कम्पनी को सरकारी क्षेत्र की कम्पनी में बदलने का भी प्रयत्न किया था, परन्तु दुर्भाग्य से वैसा नही हुआ। परन्तु हमने फैसला किया कि जो काम रूसी करेंगे अथवा निर्माण निगम करेगा अथवा बोकारो इस्पात निगम करेगा उन कामों को छोड़ कर जो शेष काम होगा उसे दस्तूर एंड कम्पनी को दिया जायेगा। मैं नहीं समझता कि इस कार्य में बाधा पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम यह नहीं जानते हैं कि भारत में अन्य परामर्शदाता भी हैं। हम उसकी सेवाओं का भी लाभ उठाते हैं। दस्तूर एंड कम्पनी को काम देने का यह अर्थ नहीं है कि अन्य लोगों को कार्य नहीं दिया जायेगा। दस्तूर एंड कम्पनी का बोकारो से आरम्भ से ही संबंध है, और कुछ नैतिक वचनबद्धता है, और इसलिये हम समझते हैं कि यह आवश्यक है।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री नैतिक वचनों का उल्लेख कर के मामले को उलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मान्य प्रश्न यह है कि दस्तूर एंड कम्पनी को आरम्भ में परामर्शदाता क्यों नियुक्त किया गया था और टेंडर मंगाये बिना इस सभा में एक नैतिक वचन क्यों दिया गया था जब कि सरकार जानती है कि इस देश में अनेक परामर्शदाता फर्में हैं। खुले टेंडर क्यों नहीं मंगाये गये थे और गैर-सरकारी बातचीत-द्वारा सारा काम क्यों नहीं कराया गया था?

श्री संजीव रेड्डी : जब कोई परामर्शदाता परियोजना प्रतिवेदन लिखता है तो बादकी अवस्थाओं के लिये भी उससे काम लिया जाता है। दस्तूरी एंड कम्पनी न केवल बोकारों के लिये ही परामर्शदाता है अपितु वह इस्पात मंत्रालय के लिये भी है। हम विभिन्न परामर्शों के लिये उसकी सेवाएं प्राप्त करते हैं, और प्रत्येक वर्ष हम उसको कई लाख रुपये का भुगतान करते हैं; विभिन्न प्रश्नों पर हम उसका परामर्श लेते हैं। इसीलिये वह केवल इसी परियोजना के लिये नहीं है? कई योजनाएं उनको दी गई हैं.....

अध्यक्ष महोदय : अब केवल एक प्रश्न है कि खुले टेंडर क्यों नही मांगे गये थे।

श्री संजीव रेड्डी : तत्कालिन प्रभारी मंत्री तथा सरकारने यह विचार किया कि इस कम्पनी को कार्य करना चाहिये और करार लगभग कर लिया गया था; जैसा कि मैंने बताया कानूनी वचनबद्धता नहीं थी क्योंकि करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये थे, परन्तु इसपर बातचीत की गई थी और इसलिये यह एक नैतिक वचनबद्धता थी।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : प्रश्न यह नही है कि माननीय मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से क्या किया। प्रश्न यह है कि सरकारने क्या किया है और सरकार में माननीय मंत्री के पूर्वाधिकारी भी आ जाते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि ऐसी प्रक्रिया पहले क्यों अपनाई गई थी।

श्री संजीव रेड्डी : एसी प्रक्रिया अपनाई गई थी और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गलती थी।

श्री नि० चं० चटर्जी : क्या यह सच नहीं है कि नवीनतम परियोजना प्रतिवेदन में ब्रिटिश-अमरीकन स्टील इन्डियन कंजर्टियम ने पहले से ही यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस प्रकार के इस्पात संयंत्र के निर्माण के लिये इस देश में 50 से 60 प्रतिशत अपेक्षित इंजीनियरी तथा तकनीकी ज्ञान उपलब्ध है, और यदि हां, तो सरकार ने उस प्रतिवेदन का अध्ययन क्यों नहीं किया और अन्य पांच और छः सार्थों के तकनीकी ज्ञान तथा अर्हताओं का अध्ययन क्यों नहीं किया जो कि इस कार्य को करने के लिये पूरी तरह सक्षम हैं ?

श्री संजीव रेड्डी : मुझे बताया गया है कि परामर्शदातृ के लिये साधारणतया टेंडर नही मांगे जाते। एक उचित व्यक्ति को जिम्मेदार और उपयोगी समझा जाता है और मूल्य और शुल्क के बारे में उससे बातचीत की जाती है। इस मामले में ऐसा ही किया गया था । इस संबंध में दो वर्ष पहले जो कुछ किया गया था उसमें कोई अनियमितता अथवा गलती नहीं थी।

Shri Yashpal Singh : To what extent Government will finance it or whether M/s. Dastur & Co. will carry on it ?

श्री संजीव रेड्डी : मैं नहीं समझ पाया कि माननीय सदस्य का इससे क्या अर्थ है; हम उसको काम के लिये पैसा देंगे और काम लेंगे ।

Shri Yashpal Singh : How much money Government will be giving ?

श्री संजीव रेड्डी : इसपर बात चीत की जायेगी । उत्तर में यह बताया गया था ।

श्री च० का० भट्टाचार्य : भिलाई इस्पात संयंत्र के मामले में यह घोषणा की गई थी कि रूसी इस कार्य को हिन्दुस्तान स्टील के परामर्श से करेंगे और किन्हीं बिचोलियों की आवश्यकता नहीं थी। क्या बोकारो के मामले में यही तरीका नहीं अपनाया जा सकता था, अर्थात्, बिचोलियों को बुलाये बिना ही काम को बोकारो इस्पात लिमिटेड तथा रूसियों को ही सौंप दिया जाता ?

श्री संजीव रेड्डी : जी नहीं; निर्माण में सहायता के लिये चाहे वह भिलाई हो या बोकारो किसी परामर्शदाता का होना आवश्यक है।

श्री शिकरे : क्या यह सच नहीं है कि आरम्भ में रूसियों ने दस्तूर एंड कम्पनी द्वारा तैयार किये गये परियोजना प्रतिवेदन को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि यदि इसको स्वीकार कर लिया जाता और क्रियान्वित कर दिया जाता तो बोकारो इस्पात संयंत्र की लागत 20-40 करोड़ अधिक होती ? यदि यह सच है तो यह सुनिश्चित करने के लिये सरकारने क्या कदम उठाये हैं कि दस्तूर एंड कम्पनी के मूल परियोजना प्रतिवेदन केवल उसको खुश करने के लिये नहीं लिया जायेगा और इस प्रकार सरकार को आवश्यकता से अधिक पैसा खर्च करने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा ? क्या यह सच नहीं है कि दस्तूर एंड कम्पनी ने सरकारी क्षेत्र का उपक्रम बनने से इन्कार कर दिया और इस प्रकार सरकार को इस व्यवस्था को स्वीकार करने के लिये बाध्य किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : परियोजना से संबंधित प्रश्न के केवल एक भाग का उत्तर दिया जाये।

श्री संजीव रेड्डी : अमरीकी सहायता की आशा रखते हुए परियोजना प्रतिवेदन लिखा गया था। बाद में जब रूसी आये तो वे एक भिन्न परियोजना प्रतिवेदन चाहते थे जो उनकी टेकनालोजी के लिये उपयुक्त होता। इसलिये वे अपना ही परियोजना प्रतिवेदन लिखना चाहते थे और उन्होंने उसे लिखा। स्वभावतः दस्तूर एंड कम्पनी का सहयोग रूसी परियोजना प्रतिवेदन पर आधारित होगा नाकि पुराने प्रतिवेदन पर जो दस्तूर ने लिखा था। वह अब नहीं है। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण रूसियों द्वारा लिखे गये परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर होगा जो कि नया है। इसलिये उसका इसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री शिकरे : क्या उसने सरकारी क्षेत्र का उपक्रम बनने से इन्कार कर दिया है ?

श्री संजीव रेड्डी : इसके लिये बातचीत की गई थी। उसके साथ करार करना सम्भव नहीं हुआ था ।

Shri Kashi Ram Gupta : The hon. Minister said that if the Russians suggest about anything that work would be taken from M/s Dastur and Company. May I know whether under the terms M/s Dastur and Company will be given a definite sum of money for the Bokaro Steel Plant or whether they will be paid on the basis of the work taken ? If they are to be paid on the basis of work taken from them, whether terms for this have been considered ?

श्री संजीव रेड्डी : जैसा कि मैंने कहा रूसी लोग जो काम करेंगे उसके अतिरिक्त हमारे अपने निगम भी हैं। एक सरकारी क्षेत्रीय निर्माण निगम है। बोकारो इस्पात भी कुछ काम करेगा। इसलिये हमे शेष काम को निश्चित करना होगा जो कि दस्तूर एँड कम्पनी को दिया जायेगा, और तब ही हम कह सकेंगे कि उसको कितना पैसा दिया जायेगा। हमें काम और पैसे के संबंध में बातचीत करनी होगी।

श्री ह० प० चटर्जी : क्या यह सच नहीं है कि छः अन्य फर्मों, अर्थात्, कुलजिमान कारपोरेशन, कलकत्ता, टाटा-एनेस्को कन्सलटिंग इंजीनिरिंग सर्विस (बम्बई), बिलानी एंड कम्पनी, बम्बई, युनाइटिड इंजीनियर्स, कलकत्ता, भागवती एंड कुमानी, कलकत्ता, चटर्जी एंड पल्क, कलकत्ता तथा जनरल इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन ब्यूरो आफ एच० एस० एल० (रांची) ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि बोकारो में जिन की सेवाओं की आवश्यकता होवे उनको देने तथा उनके लिये टेंडर देने के लिये तैयार हैं ? यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है ? या क्या इन अभ्यावेदनों को अस्वीकार कर दिया गया है ?

श्री संजीव रेड्डी : मैं सारा मामला पहले ही बता चुका हूं। हमने सभी पहलुओं पर विचार किया है। एक या दो कम्पनियों के प्रतिनिधि भी मुझसे मिले थे। सभी बातों पर विचार कर के और क्योंकि इस सभा में वचन दिया गया था इसलिये हमने उस काम को दस्तूर एंड कम्पनी को देने का निर्णय किया है।

श्री गौरी शंकर कक्कड : किन विशेष परिस्थितियों के कारण दस्तूर एंड कम्पनी को अधिमान दिया गया था ? अन्य किसी फर्म को काम क्यों नहीं दिया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर आ चुका है।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : क्या इस काम को करने के लिये अन्य परामर्शदाता तथा इंजीनियरिंग कम्पनियां समान रूप से सक्षम हैं और यदि हां, तो क्या भविष्य में जब काम दिया जायेगा तो उनको भी उस काम में हिस्सा दिया जायेगा ?

श्री संजीव रेड्डी : मैं नहीं चाहता कि इन बातों पर मैं अपना मत प्रकट करूं। वहां पर तकनीशन हैं। तुलनात्मक गुणदोषों पर इस सभा में चर्चा नहीं की जानी चाहिये।

श्री स० चं० सामन्त : माननीय मंत्री ने कहा कि इंजीनियरिंग परामर्शदाताओं के लिये खुले टेंडर नहीं मांगे गये थे। क्या डिजायनिंग तथा अन्य इंजीनियरी कार्यों के लिये खुले टेंडर मंगाये जायेंगे ?

श्री संजीव रेड्डी : जी, नहीं। मैंने सारा मामला बता दिया है। जो काम रूसी तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम करेंगे उसको छोड़ कर शेष कार्य दस्तूर एंड कम्पनी को दिया जायेगा।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : हिन्दुस्तान इंजीनियरी तथा डिजाइनिंग विभाग हमारा एक सुसंगठित एकक है। क्या बोकारो संयंत्र के निर्माण तथा परामर्श के साथ इस विभाग के साथ किसी समय कोई संबंध रखा जायेगा ? हमने इसपर विचार क्यों नहीं किया है ?

श्री संजीव रेड्डी : जी नहीं, क्यों कि भिलाई, दुर्गापुर और रूरकेला के विस्तार के कारण उसके पास काफी काम है। विस्तार परियोजनाओं का काम है। बोकारो एक पृथक निगम है। हिन्दुस्तान इस्पात के उसको नहीं कर सकता था।

श्री ब० कु० दास : क्योंकि परियोजना को तैयार करने का काम दस्तूर एंड कम्पनी से रूसियों द्वारा ले लिया गया है, क्या बोकारो इस्पात संयंत्र के साथ उसका किसी भी रूप में संबंध है ?

श्री संजीव रेड्डी : परियोजना प्रतिवेदन में नहीं। मैंने सारा मामला बता दिया है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : उस डिजाइनिंग और पर्यवेक्षण के काम की कुल लागत क्या होगी जो दस्तूर एंड कम्पनी को नहीं दिया जायेगा ?

श्री संजीव रेड्डी : परियोजना प्रतिवेदन के प्राप्त होने के बाद तथा उस पर रूसियों के साथ बातचीत करने के बाद ही हम यह अनुमान लगा सकेंगे कि दस्तूर एंड कम्पनी को कितना काम दिया जायेगा।

श्री प्र० चं० बरूआ : क्या इस कम्पनी को जो काम दिया जायेगा उसकी कुल लागत लगभग 400 करोड़ रु० होगी ?

श्री संजीव रेड्डी : जी नहीं; 400 करोड़ रु० सारे संयंत्र की लागत है।

डा० उ० मिश्र : माननीय मंत्री ने कहा कि दस्तूर एंड कम्पनी की ओर एक नैतिक दायित्व था। क्या सरकार इस दायित्व को अधिक अच्छी तरह पूरा करेगी और हिन्दुस्तान इस्पात के डिज़ाइन विभाग की तरह इसको अपने हाथ में लेगी और इसको बोकारो संयंत्र के लिये एक पृथक विभाग बनायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह कोई अच्छा सुझाव नहीं है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या यह सच नहीं है कि भारत में केवल दस्तूर एण्ड कम्पनी ही एक ऐसी पूर्णतः भारतीय कम्पनी है जिसके गुण और योग्यता की केवल भारत में ही नहीं बल्कि कई विदेशों में भी सराहना की गयी है और क्या यह सच नहीं है कि दस्तूर एण्ड कम्पनी को सभा में दिये गय वचनों के अनुसार ही नहीं बल्कि इसके गुणों के कारण ही इस कार्य के लिये चुना गया ?

श्री संजीव रेड्डी : दस्तूर एण्ड कम्पनी के गुणों का बरवान करने को मैं बुरा नहीं मानता लेकिन मैं दूसरों को भी बेकार नहीं समझता। दुसरी कम्पनियां भी इतनी ही अच्छी हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : सरकारी क्षेत्र में परामर्श सेवा के विकास के लिये सरकार की अपनी क्या योजनायें हैं ? हम तीन बडे इस्पात संयंत्र बना चुके हैं। क्या हम इन संयंत्रों के भावी विस्तार और नये संयंत्र स्थापित करने के बारे में परामर्श सेवा का विकास नहीं कर सके हैं ?

श्री संजीव रेड्डी : रांची में एक बडा अच्छा डिजाइन सेल है। वहां बडा अच्छा काम हो रहा है। लेकिन हमारी विस्तार योजनायें काफी हैं और वह अतिरिक्त काम नहीं संभाल सकते। हमारे इस्पात संयंत्रों में भी डिज़ाइन सेल हैं। रांची में 'सेन्ट्रल इंजीनियरिंग एण्ड डिज़ाइन ब्यूरो' बहुत बडा यूनिट है और वहां अनेक इंजीनियर हैं। सभी इस्पात संयंत्रों के विस्तार कार्य के लिये यह पर्याप्त नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरा प्रश्न यह है कि क्या हमारी योजना एक ऐसी परामर्श सेवा बनाने की नहीं है जिससे हम भावी विस्तार कार्य और नये संयंत्रों की स्थापना के कार्य की देखभाल कर सकें ?

श्री संजीव रेड्डी : तत्काल ही सारे कार्य के लिये संगठन नहीं बनाया जा सकता। मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूं कि हमें एक योजना बनानी पड़ेगी ताकि यह काम सरकारी क्षेत्र के डिज़ाइन संगठनों को सौंपा जा सके।

श्री उ० म० त्रिवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जांच पड़ताल से यह पता चला है कि दस्तूर एण्ड कम्पनी के विरुद्ध कोई बात नहीं है ?

श्री संजीव रेड्डी : यदि हमने यह महसूस किया होता कि उनमें कुछ त्रुटि है तो हमने उनको यह काम न सौंपा होता। मैं दूसरों को बुरा नहीं बताना चाहता। अन्य तकनीशन भी इतने ही अच्छे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि कलजियन कारपोरेशन आफ इंडिया नामक एक अमरीकी कम्पनी दस्तूर एण्ड कम्पनी के विरुद्ध कम्पनी है और क्या यह सच है कि उन्होंने भिलाई इस्पात संयंत्र के भतपूर्व जनरल मनेजर, श्री सेन और श्री बी० के० नेहरू के पुत्र को सरकार पर प्रभाव डालने के लिये नियुक्त किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पर प्रभाव नहीं डाला जा रहा है......
(अन्तर्बाधा)

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ! सरकार ने इसका प्रतिकार किया है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या श्री बी० के० नेहरू के पुत्र ने उनपर दबाव डाला, क्योंकि वे वहां काम करते थे ?

श्री भागवत झा आजाद : मंत्री महोदय ने अपने पूर्वाधिकारी के वक्तव्य का उल्लेख किया था जिसमें कहा गया था कि हम अब अपनी दस्तूर एण्ड कम्पनी और अन्य कम्पनियों पर निर्भर करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने 'अन्य कम्पनियों' से भी परामर्श किया है। यदि वह उस वचन का जिक्र करते हैं तो उसका भी यही तात्पर्य है।

श्री संजीव रेड्डी : रेकार्ड से पता चलता है कि दस्तूर एण्ड कम्पनी के साथ एक समझौते पर बातचीत की गयी। उस पर हस्ताक्षर नहीं हुए। इसलिये अन्यों से परामर्श करने का प्रश्न ही नहीं उठा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने एक बात देखी है। अधिकांश अनुपूरक प्रश्नों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम किसी के पक्ष में दलील दे रहें हों। हम सरकार की कार्यवाही की आलोचना कर सकतें हैं कि सरकार ने किसी एक को प्राथमिकता क्यों दी। लेकिन जिस प्रकार प्रश्न पूछे जा रहें हैं यह तरीका ठीक नहीं है। हमें इस प्रकार कार्य करना चाहिए ताकि ऐसा प्रतीत न हो कि हम किसी के पक्ष में या विपक्ष में बात कर रहे हों।

श्री नि० चं० चटर्जी : हम ऐसी किसी चीज से प्रभावित नहीं हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आशा करता हुं कि किसी को भी किसीने प्रभावित नहीं किया है लेकिन फिर भी ऐसी बात पैदा न होने दी जाय।

Acts of Universities in Andhra Pradesh

\+
S. N. Q. 8. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Bakar Ali Mirza :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the University Grants Commission has requested the Central Government and the Andhra Pradesh Government that the Acts relating to the three Universities of Andhra Pradesh should not be brought into force at present;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir. The University Grants Commission has passed a resolution to that effect.

(b) The University Grants Commission is of the view that the amending bills contain features which are not in the best interests of the State Universities and their progress.

(c) The resolution of the Commission has been transmitted to the State Government. I have also conveyed my views to the Chief Minister of Andhra Pradesh.

Shri Prakash Vir Shastri : Yesterday in reply to a question in Rajya Sabha he said that he had asked the Chief Minister and the Government of Andhra Pradesh that pending the passage of Bills regarding Banaras University and Jawahar Lal Nehru University they should not enforce or take some decision in this regard. A letter written by the Chief Minister of Andhra Pradesh to the Education Minister has been published in today's newspapers from which it appears that he is firm on his decision and he does not want to change that. In such circumstances the Hon. Prime Minister advised him to settle the matter after discussing with the Chief Minister of Andhra Pradesh. But I think there is no possibility of the settlement. Would the hon. Prime Minister intervene and find some solution to settle this issue ?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : I have discussed this with the Chi ef Minister and he said that until we finalise it he would not pursue. That Bill has been passed but it has not been consulted. So, there is scope of discussion.

Shri Prakash Vir Shastri : There have been three alarming incidents regarding universities. One is in regard to Andhra Pradesh University under discussion here ; the other is that the Allahabad High Court has set aside the appointment of Vice-Chancellor of the Allahabad University and on the second day the Governor of U. P. issued a notification declaring his appointment valid. Thirdly, in the Punjab University, that person was appointed as Vice-Chancellor who retired compulsorily in Madhya Pradesh. In view of this what action Central Government are proposing to take to safeguard the sanctity of Universities ?

श्री मु०क० चागला : मैं मानता हुं कि उप कुलपतियों की कुछ नियुक्तियां निन्दनीय हैं और जब कभी इस ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया गया है, हालांकि यह पूर्णतः मेरे अधिकार में नहीं है, मैंने फौरन राज्य के मुख्य मंत्री अथवा शिक्षा मंत्री को यह लिखा है कि उच्चतर शिक्षा के हित में, विश्वविद्यालय की एकता के हित में उपयुक्त व्यक्ति को उप-कुलपति नियुक्त किया जाय। इलाहाबाद के बारे में मुझे पूरे तथ्य नहीं मिले हैं। जहां तक मुझे पता है उच्च न्यायालय ने केवल कानूनी आधार पर नियुक्ति को अवैध ठहराया है। मुख्य न्यायाधीश ने किसी अन्य को नियुक्त करने की बजाय स्वयं को उस पद पर नियुक्त कर दिया है। इसका उप-कुलपति के गुणों से कोई सम्बन्ध नहीं है। (अन्तर्बाधा) यह प्रक्रिया सम्बन्धी मामला है। अपीलीय न्यायालय ने यह समझा कि प्रक्रियात्मक रूप से नियुक्ति ठीक नहीं है।

Shri Prakash Vir Shastri : I want your protection, Sir. My question was that in view of all these incidents what steps are being taken by the Central Government for stopping the recurrence of such incidents in Universities.

Mr. Speaker : He has already said that it is not within his domain.

Shri Prakash Vir Shastri : They can amend the Constitution, or take some other step.

Mr. Speaker. : It is a suggestion.

श्री मु० क० चागला : मैं उच्चतर शिक्षा को समवर्ती बनाने का भरसक प्रयत्न करुंगा। संविधान के अनुसार जब तक अधिकांश राज्य इस पर सहमत न हो जाएं ऐसा नहीं किया जा सकता। मैं इस सभा में और अन्यत्र भी यह बता चुका हूं कि मेरे अनुरोध के बावजूद भी पंजाब को छोड कर कोई और राज्य विश्वविद्यालय शिक्षा को एक समवर्ती विषय बनाने को सहमत नहीं हुए हैं। आज मेरे पास ऐसा अधिकार नहीं है। मैं केवल उन्हें परामर्श दे सकता हूं और यही कह सकता हूं कि यह बात गलत है। यदि राज्य सरकार किसी अयोग्य व्यक्ति को उप-कुलपति नियुक्त करना चाहे तो इस में मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री एकनाथ सिंह : अध्यादेश का क्या हुआ ?

श्री मु० क० चागला : अध्यादेश तो उप-कुलपति के किसी कार्य को अवैध ठहराने के लिये पास किया गया था। **(अन्तर्बाधा)**

श्री बाकर अली मिर्जा : हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन में और केन्द्र में भी बडा भ्रम है। तीन विश्वविद्यालयों में से दो अध्यादेशों के अन्तर्गत चल रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने दुसरे सदन में जो कहा उस के अनुसार अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड यह समझता है कि आन्ध्र विधेयक से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का हनन हुआ है। मुख्य मंत्री का कहना है कि वह अत्यावश्यक आन्तरिक स्वायत्तता का संरक्षण कर रहे ह। ये दोनों विचार परस्पर विरोधी हैं। अतः क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार, विश्वविद्यालय या शिक्षा मंत्री ऐसी क्या व्यवस्था कर रहे हैं जिससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बनी रहे ?

श्री मु० क० चागला : हमने आन्ध्र सरकार को बहुत साधारण सी व्यवस्था का सुझाव दिया था। इसका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मैंने भी समर्थन किया था। सुझाव यह था कि इस विधेयक को लागू न किया जाय, एक छोटी सी उप-समिति बनाई जाय जिस में राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि हों और शिक्षा मंत्री हो। वे इस विधेयक के उपबन्धों पर विचार करें और किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। दुर्भाग्यसे यह विधेयक हमसे और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श किये बिना ही पास किया गया। मैंने मुख्य मंत्री को यह बता दिया है कि यद्यपि विश्वविद्यालय विषय राज्य विषय है, वे हमसे अनुदान लेते हैं और इसलिए एक ऐसी परम्परा डाली जाय कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय से परामर्श किये बिना कोई भी विश्वविद्यालय सम्बन्धी कानून न बनाया जाय और किसी भी विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक में संशोधन न किया जाय।

श्रीमती विमला देवी : अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड के सर्कुलर का क्या संभव परिणाम है ? क्या बोर्ड आन्ध्र विश्वविद्यालय के कालिजों द्वारा दी गई डिग्रियों को मानने से इन्कार कर सकता है ? क्या अन्तर्विश्व-विद्यालय बोर्ड के इस निर्णय के बाद आन्ध्र विश्वविद्यालय कालिजों की डिग्रियों को अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता दी जायगी ?

श्री मु० क० चागला : एक यह शिकायत की गई थी कि इस विधेयक से विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का हनन हुआ है और यह विश्वविद्यालय सरकार के अधीन हो गया है। किसी विश्वविद्यालय की स्वीकृति देने से पूर्व अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा यह सिद्धांत रखा जाता है कि विश्वविद्यालय स्वतन्त्र होना चाहिये। इस मामले की जांच करने के लिये अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड ने एक उप-समिति नियुक्त कर दी है। यदि यह मान लिया जाय कि वे विश्वविद्यालय को सम्बन्ध नहीं करते तो इसका यह परिणाम नहीं निकलता कि इसकी डिग्रियों को अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता नहीं दी जायगी। परिणाम केवल यह ेगा कि वह विश्वविद्यालय विशेष अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा।

श्री यलमंदा रेड्डी : जब यह विधेयक पारित किया जा रहा था तब क्या इस सरकार ने मुख्य मंत्री को यह सलाह दी थी कि वह विधयक को रोक दें और इस बारे में प्रधान मंत्री से परामंश करें? क्या इस बारे में प्रधान मंत्री ने पहल की थी और मुख्य मंत्री को कोई पत्र लिखा था ?

श्री मु० क० चागला : जब यह विधेयक लम्बित था तब मैंने मुख्य मंत्री को पत्र लिखा था जिसमें उनसे अनुरोध किया था कि जब तक हम परामर्श न कर लें वह इस विधेयक को रोक रखें। मैंने उन्हें लिखा था कि बनारस विश्वविद्यालय विधेयक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विधेयक पर संसद में विचार हो रहा है और शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन मार्च के अन्त तक प्राप्त होने वाला है और इस विधान को पारित कराने की कोई जल्दी नहीं है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : जब एक उच्च न्यायालय यह निर्णय देता है कि उप-कुलपति विशेष को पद त्याग करना चाहिये तो क्या सरकार के लिये कम से कम अन्तरिम अवधि के लिये उस आदेश को मानना उचित और प्रतिष्ठाकारक नहीं है चाहे सम्बन्धित उप-कुलपति के गुणों के बारे में उनके विचार कसे ही हों। यदि ऐसा है तो शिक्षा मंत्री किस प्रकार उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कार्यवाही को स्वीकृति देते हैं ?

श्री मु० क० चागला : मैं यह बता रहा था कि उप-कुलपति की नियुक्ति की अवैधता गुणों के आधार पर नहीं है बल्कि प्रक्रियात्मक आधार पर है। मैंने इस बारे में कुछ नहीं कहा है कि यह आदेश देने में राज्य सरकार ने उचित कार्य किया है या नहीं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : हम तथ्यों के बारे में जानना चाहते हैं। पहले आपने गृह मंत्री जी से कहा था क्योंकि उन्होंने तथ्य सम्बन्धी एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। यह भी तथ्य सम्बन्धी एक प्रश्न है जिस में मंत्री महोदय स्पष्ट रूप से अपनी बात कह कर आश्रय लेना चाहते हैं।

श्री मु० क० चागला : हमारी सरकारने यह अध्यादेश पास नहीं किया। यह अध्यादेश राज्य सरकार न पास किया है। इस पर अपनी राय देने के लिये मेरे से नहीं कहा गया है और मैंने अपनी राय नहीं दी है। मैंने तो केवल यह कहा था कि उप-कुलपति को गुणों के आधारपर अनचित ढंग से नियुक्त नहीं किया गया बल्कि केवल प्रक्रियात्मक आधार पर उनको उचित ढंग से नियुक्त नहीं किया गया।

Dr. Ram Manohar Lohia : On a point of order, the Education Minister while referring to Allahabad and Banaras Universities has violated many acts and rules. First of all he has referred to the special law of Allahabad and has stated that the ordinance has been promulgated only for procedural matters. According to the procedure the Chief Justice had a right to nominate some body. An ordinance could have been promulgated empowering the Chief Minister to nominate himself also. So the State Government was never in a position to issue an ordinance reappointing the same person unless the law was repealed.

An ordinance repealing the law or changing it might have been issued and that would have empowered the Chief Justice to nominate himself. As the State Government did not issue any such ordinance, the appointment of the Vice-Chancellor of Allahabad is quite illegal. I have very much felt the words of Mr. Chagla and he must not have said that.

Mr. Speaker : How long will he take for the point of order?

Dr. Ram Manohar Lohia : It will take me one more minute because I want to say something about Kashi Vishvavidhalaya because that........

Mr. Speaker : Dr. Sahib has said that he wants to raise a point of order...........

Dr. Ram Manohar Lohia : The University students had been suppressed and tortured so much in 1959 by the armed police that they had left the Hindi name "Kashi Vishvavidhalaya" and were fighting for the English name "Banaras Hindu University" I take that the Education Minister is responsible for that.

Mr. Speaker : What decision can I give in this matter ?

Dr. Ram Manohar Lohia : You have to decide, why they justified the ordinance.

Mr. Speaker : I am sorry to say that whenever I ask an hon. Member not to raise a point of order, he argues with me on the plea that I am saying so without hearing him but I am hundred per cent sure that that is not a point of order. Whenever I am told that I am giving my ruling without hearing, I have to sit silent but there is no point of order. 99·9 per cent of them at least are not point of order. They are only interruptions made, interruptions created.

Dr. Ram Manohar Lohia : But it is hundred per cent point of order. Confusion is being created in the whole system of education **(Interruptions)**

Mr. Speaker : If confusion is being created, what can I do ? You better remove the Government.

Dr. Ram Manohar Lohia : We are trying to do so. This Government ....**(Interruptions)**

Mr. Speaker : If you are not in a position to remove the Government, there is no use in complaining against them.

Dr. Ram Manohar Lohia : The proceedings should be guided by rules.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं इस बारे में यदि कोई माननीय सदस्य व्यवस्था के प्रश्न के आधार पर सभा में भाषण देते है, तो क्या उसे सभा कि कार्यवाही में शामिल किया जायेगा, मैं आप का विनिर्णय जानना चाहता हूं ।

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं **(अन्तर्बाधाएं)**

Shri Ram Sewak Yadav : **

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। क्या यह भी कोई तरीका है ? मैं इस समय किसी के साथ रियायत नहीं करुंगा । यदि सभा मेरी बात का अनुमोदन करे तो वास्तव में जो सदस्य एक महीने में व्यवस्था सम्बन्धी ऐसे दो प्रश्न उठाता है, जो आधारहीन पाये जाते हैं, तो उसे उस महीने में व्यवस्था का अन्य कोई प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

Shri Ram Sewak Yadav : Mr. Speaker **(Interruptions)**

Shri Bagri : ** ....

Shri Ram Sewak Yadav : Your suggestion would mean an end of Lok Sabha itself.

अध्यक्ष महोदय : जब तक पुकारा न जाये, किसी को नहीं बोलना चाहिए । मैं किसी को बिना बुलाये बोलने की आज्ञा न दूंगा ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्रीमान्, श्री यादव ने फिर बहुत आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है ।

Shri Kishen Pattnayak : **

Shri Ram Sewak Yadav : You want to bring an end of Lok Sabha......... **(अन्तर्बाधाएं)**

Shri Bagri : Mr. Speaker............**(Interruptions)**

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

**Expunged as ordered by the Chair.

Shri Ram Sewak Yadav : If two points of order raised by an hon. Member are found to be frivolous, it does not mean that his third point of order would also be found frivolous. **(Interruptions)**

Mr. Speaker : **

Shri Bagri : Mr. Speaker.............**(Interruptions)**

Shri Ram Sewak Yadav : Mr. Speaker.............**(Interruptions)**

Mr. Speaker : Please sit down. I can not allow you to go on speaking like this.

Shri Ram Sewak Yadav : Mr. Speaker...............

Mr. Speaker : I will not allow you to speak unless I have called you.

Shri Ram Sewak Yadav : It cannot go on like this.

अध्यक्ष महोदय : श्री राम सेवक यादव सभा की कार्यवाही में रुकावट डाल रहे हैं ।

Shri Kishan Pattanayak : This is a wrong statement of yours and you will penalise others for it.

अध्यक्ष महोदय : मेरे कहने के बावजुद श्री रामसेवक यादव बार बार सभा की कार्यवाही में रुकावट डाल रहे हैं ।

Shri Kishen Pattanayak : This is quite wrong statement.

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री राम सेवक यादव से कहूंगा कि वह सदन से बाहर चले जायें ।

Shri Ram Sewak Yadav : I am going.** Your suggestion would mean the end of Lok Sabha itself.

(इस के पश्चात् श्री रामसेवक यादव सभा भवन से उठकर चले गये ।)

(Shri Ram Sewak Yadav then left the House.)

Mr. Speaker : I am sorry I was only proposing it to the House. I have not passed any orders.

Shri Bagri : There should be some method.

Mr. Speaker : Please sit down. I am not allowing you to speak.

Mr. Kishen Pattanayak : We can postpone it to-day. We can discuss it tomorrow. You seem to be annoyed today.

Shri Bagri : Your are angry.

Mr. Speaker : He has also used very objectionable words. He is obstructing the proceedings of the House. I will ask him just now to go out of the House.

(इसके पश्चात् श्री किशन पटनायक सभा भवन से उठ कर चले गये ।)

(Shri Kishen Pattayanayak then left the House.)

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

**Expunged as ordered by the Chair.

Shri Bagri : Turn out all the Members one by one except yourself and the Prime Minister.

Mr. Speaker : I will ask Shri Bagri just now to go out of the House. He is obstructing the proceedings of the House.

Shri Bagri : I will not go like this.

Mr. Speaker : Will you not go ?

(इस के पश्चात् श्री बागड़ी सभा भवन से उठ कर चले गये ।)

(Shri Bagri then left the House.)

Dr. Ram Manohar Lohia : It will be very kind of you, if you sit down for a second and listen to me. You have been entrusted the office of Speakership so that business may be transacted in an order by manner and the dignity may be maintained. I have so often repeated it. If you apply the rules and procedure of Lok Sabha in this manner and the Minister wish you to get them applied in a manner that no discussion takes place here and whatever is happening in the country is not reflected, what is the necessity of this Lok Sabha ? You see that almost in all educational institutions whether it may be Allahabad University or Banaras University there is a lot of indiscipline and rather they have become centres of indiscipline. In such circumstances.....................

Mr. Speaker : Please take your seat. You have asked me to listen to you for one second only.

Dr. Ram Manohar Lohia : It will be very kind of you, if you allow me to complete my sentence.

Mr. Speaker : I do not know how long will you take to complete your sentence. You have requested for one second only.

Shri Ram Manohar Lohia : I may finish it in a very short time, if I am not interrupted.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I would request you to listen to me. **These words are shameful for the House. The object of what is being done is that their names and photoes might be published on the front page of the newspapers. This practice should be stopped and expunged from the proceedings of the House.

Mr. Speaker : I shall look into this matter and your suggestion will also be considered. I have repeatedly told that when things happen like this, such words are used which might have same reflection on me. I exercise too much restraint. It has been pointed out to me by the people from outside as well as by the Members of this House that I exercise too much restraint and give too much latitude. Even then Dr. Lohia complains that I do not allow anybody to speak. If speaking here means that everybody should be allowed to speak at any time, in any manner and whatever he likes, whether it is relevant or not and whatever time he may take, it cannot be allowed in the Lok Sabha.

**This House has elected me as Speaker and empowered me to enforce the rules. If anybody is in a position to point out to me that I am going against the rules I am prepared either to sit down or quit the office.

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

**Expunged as ordered by the Chair.

The quesrion before the House is that a lot of time is wasted on frivolous points of orders.

**It is to the pleasure of the House to agree or not to whatever I had stated in this regard. I cannot go against the wishes of the House. I want to make it clear that I have to exercise those powers, which have been conferred upon me by the House.

**Now it is entirely left to the decision of the House. I have not so far passed any orders and issued any directions.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I want to know your ruling on my submission.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : श्रीमान्, अभी आपने कहां है कि यदि कोई सदस्य एक महीने में दो आधारहीन व्यवस्था के प्रश्न उठाता है तो उसे तीसरा व्यवस्था का प्रश्न उठाने की आज्ञा न दी जाये। मैं कहता हूं कि यदि कोई सदस्य एक भी आधारहीन व्यवस्था का प्रश्न उठाता है जो उसे दूसरा व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये और वह भी सभा की कार्यवाही से निकाल देना चाहिये क्योंकि व्यवस्था का प्रश्न सस्ते प्रचार का माध्यम बन गया है। म समझता हूं कि आसानी से प्रसिद्धता प्राप्त करने के लिये ही सदस्य व्यवस्था के प्रश्न उठाते हैं। हम भी ऐसी कठिनाइयां पैदा कर सकते है, परन्तु हम ऐसा नहीं करते जिसका परिणाम यह होता है कि हमारी पार्टी को दूसरों से कम प्रसिद्धता प्राप्त होती है। मैं इसे सहन नहीं करूंगा। मैं फिर कहता हूं कि यदि व्यवस्था के प्रश्न केवल सस्ते प्रचार के लिये उठाये जाते हैं, तो उन्हें तुरन्त बन्द किया जाये।

श्रीमती रेणुका चक्रवर्ती : श्रीमान्, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत से बेकार के व्यवस्था के प्रश्न उठाये जाते हैं। परन्तु मैं निवेदन करना चाहती हूं कि मुझे याद है पहले भी हम में से कुछ सदस्यों ने प्रस्ताव रखा था कि यदि कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता है तो वह उस नियम का निदेश करे जिस के अधीन वह व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता है। यदि आप इस पर आग्रह करें तो मैं समझती हूं बहुत से बेकार के व्यवस्था के प्रश्नों का बहिष्कार किया जा सकता है और आप को यह देखने की कि उस सदस्य ने एक महीने में दो बेकार के व्यवस्था के प्रश्न तो नहीं उठाये है कि कोई आवश्यकता नहीं होगी। मेरे विचार में एक महीने में दो व्यवस्था के प्रश्नों की सीमा निर्धारित करना ठीक नहीं होगा। यदि हम सदन का समय बचाना चाहते है तो हमें नियमों का अध्ययन करना चाहिये ताकि हम जब चाहे व्यवस्था का प्रश्न उठा सके और उस विशेष नियम का उल्लेख भी कर सकें जिस के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है। इस समस्या के हल के लिये यह एक अधिक अच्छा तरीका है।

Shri Madhu Limaye : Some days ago I read a book named Office of Speaker. You have just said that you have been told by people from outside that you are too lenient and you should be more strict. It has been stated in that book that the Speaker of Lok Sabha in India enjoys so many discretionary powers, as are not enjoyed by the Speaker of House of Commens in U. K. and the Members of Lok Sabha have given him so many rights as are not given to any Commonwealth country. When you have so many discretionary powers under the rules, why are you approaching the House for further rights ?

It is quite obvious that the Members of Congress Party have two thirds majority here and they are in a position to take any decision, whatever they like.

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

**Expunged as ordered by the Chair.

That is why I am requesting you that you should not ask for further discretionary powers, while in the opinion of political thinkers you have too many discretionary powers.

Mr. Speaker : I agree with you after considering which words should be expunged, such words will be expunged and the Press will be informed accordingly. I am sorry over the statement of an hon. Member that those who do such things get publicity and their news are published on the front page of the news papers. I have no rights to issue directions to the Press. There is freedom of Press. But if members now hold the opinion that those who flout the authority of the Speaker, get their news published on the front page, than the Press should also realise its responsibility though I have no right to issue them directions. I fail to understand whether it is right that those who give very good speech should not be given preference and those who quarrel with the Speaker should get their news published on the front page. But this can be left on the Press. I can do nothing in this matter.

I agree with Shri Madhu Limaye that the Indian Speaker has got many powers, but there are reasons for that. So far as the House of Commons is concerned, there are two equal parties in that House. Once I have already stated that if there was a strong opposition and if their leader alone spoke he would be given a patient hearing and his talk would carry more weight. There are splinter groups here and they vie with one another. Six to eight persons start speaking at one time. If that would not have been the case, there would have been no necessity for me to exercise my powers and to speak for the whole hour. The present situation would not have arisen. I do not want to exercise any right. Some Members have just now expressed their view that the answer given by the Hon. Home Minister is not correct and I should ask him to give a correct answer.

This surprised the Members of African Parliament present here that the Indian Speaker intervenes like this. The opinion that correct answer is not given is expressed by the Members themselves and in case I consider that there is some weight in their opinion then I ask the Ministers to furnish correct answers. If you want me to sit silent, I have no objection. The job of the speaker of the House of Commons is very easy. Both the parties there fully realise their responsibility and the business is transacted without his intervention. He only keeps a watch on the proceedings. Once I myself witnessed the proceeding there and there was a huge uproar in the House there, but he has to say once only the following words.

"Now the House will consult its own dignity. The Members would be careful."

That was all that he had to say. Now the Members care themselves compare the proceedings there and the proceedings here.

Shrimati Renu Chakravarti has just stated that I should ask the Members to quote the rules. Earlier I had issued such orders. One day a Member stood up and I asked him to quote the rules. He was Swamiji. Tell me should I ask him to quote the rules.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : आप को ऐसा करना ही होगा। हमें एक विशेष प्रक्रिया अपनानी होगी अन्यथा ऐसी बातें होती रहेंगी।

Mr. Speaker : I may remind Shrimati Renu Chakravarti that there was another Member, who is present here and in case I tell you his name he may feel it. I asked him to quote the rules, but he replied that I should consult the

book. This has happened with me. Even then I agree with the opinion of the House and will enforce it in future that if anybody wants to raise a point of order he or she should first mention the rule under which that point of order is sought to be raised.

श्री नाथ पाई : श्रीमान्, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं बार बार खड़ा होता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : जो नहीं, मैं ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं पर चला गया हूं :

श्री नाथ पाई : एक प्रश्न पूछने को अनुमति तो दी जानी चाहिये थी।

अध्यक्ष महोदय : अब अनुमति नहीं दी जा सकती।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

उर्वरक उत्पादन क्षमता

*715. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकारी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र में उर्वरक के कितने उत्पादन के लिये 1963-64 और 1964-65 में लाइसेंस दिये गये थे ;

(ख) प्रत्येक वर्ष में कितनी अनुमत क्षमता का वास्तव में उपयोग किया गया और इस प्रयोजन के लिये कितने कारखाने खोले गये अथवा खोलने का विचार है ; और

(ग) कितने लाइसेंस वापस ले लिये गये और अनुमत क्षमता का उपयोग न करने के क्या मुख्य कारण बताये गये?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) 1963-64 में गैर-सरकारी या सहकारी क्षत्र में किसी क्षमता के लिये लाइसेंस नहीं दिया गया। 1964-65 में गैर-सरकारी क्षेत्र में 260,000 मीटरी टन नाइट्रोजन और 5,730 मीटरी टन (P_2O_5) की अनुमत स्वीकृत क्षमता है। 1964-65 में सहकारी क्षेत्र में क्षमता में के लिये कोई लाइसेंस नही दिया गया।

(ख) उक्त वर्षा में उत्पादित क्षमता निम्न प्रकार थी :—

1963-64 सुपरफास्फेट 74160 मीटरी टन

1964-65 सुपरफास्फेट 99970 मीटरी टन

(ग) 1963-64 में एक नाइट्रोजनी उर्वरक और दो सुपरफास्फेट कारखानों तथा 1964-65 में एक नाइट्रोजनी उर्वरक कारखाने का लाइसेंस वापिस लिया गया। नाइट्रोजनी उर्वरक कारखानों के लिये पार्टियां विदेशी सहयोगियों को प्राप्त करने में असमर्थ थी और सुपरफास्फेट कारखानों के लाइसेंस प्राप्त कर्ताओं ने कोई प्रकृति नहीं की।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण

*720. **श्री बृजराज सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने और किस प्रकार के प्रशासनिक न्यायाधिकरण काम कर रहे हैं।

(ख) वे किस कानून तथा प्रक्रिया के अनुसार कार्य करते हैं;

(ग) उन्हें शिकायतों को दूर करने में अब तक कितनी सफलता मिली है; और

(घ) प्रशासन के किन अन्य क्षेत्रों में न्यायाधिकरणों की व्यवस्था लागू करने से लाभ हो सकता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ) तक : प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को कार्य पद्धति का पूरी तरह अध्ययन कर लेने के बाद ही इस प्रश्न का पूरो तरह जबाब दिया जा सकता है। ऐसा अध्ययन शुरू करने का प्रश्न विचाराधीन है।

Communal Meetings in Banaras Hindu University

***722. Shri Bibhuti Mishra :**
Shri N. P. Yadab :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that regular parades and meetings are being held by some communal organisation in the precincts of the Banaras Hindu University, Varanasi ; and

(b) if so, the action taken by Government to check the same ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) It is reported that meetings are held and exercises are done by one such organisation on the campus of the University.

(b) Government proposes to look into the matter.

बृहत् दिल्ली

***724. श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब के साथ लगने वाले क्षेत्रों को मिलाकर बृहत् दिल्ली बनाने की मांग सरकार के विचाराधीन थी ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ठीक-ठीक ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

Expenditure on Central Intelligence

***726. Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on the Central intelligence Bureau during 1963-64 ;

(b) the number of employees belonging to the Central Intelligence who were posted in Kashmir during July-August, 1965 ; and

(c) the causes of inactivity on the part of our Central Intelligence Bureau personnel at the time when armed Pakistani Jawans were collecting in Kashmir ?

Deputy Minister of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) Attention is invited to Demand No. 51 in the "Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs for 1965-66".

(b) It is not in the public interest to disclose this information.

(c) The assumption behind part (c) is completely unjustified. As a matter of fact, our intelligence organisation has fully stood the test of the time.

Director-General C. S. I. R., New Delhi

***727. Shri Kishen Pattanayak :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Bade :
Shri Lahri Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the post of the Director-General, C. S. I. R., is borne on the Central Government Services Cadre ;

(b) if so, the reasons why the rules regarding the age of retirement are not applicable to him; and

(c) whether it is also a fact that the services of the present Director-General are being further extended in spite of the fact that adverse views have frequently been expressed about him in Parliament ?

Minister for Education (Shri M. C. Chagla) : (a) No, Sir. The appointment is made by Government, but the post is not borne on the cadre of any Central Government Service.

(b) Does not arise.

(c) The existing term of the present incumbent of the post of Director-General, C. S. I. R., expires on the 6th November 1966. There is at present no proposal under consideration for the extension of his term beyond that date.

मद्रास का तेल शोधक कारखाना

***728. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री किन्दर लाल :
श्री प्र० चं० बरूआ :
डा० श्रीनिवासन :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय इरानियन तेल कम्पनी तथा अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनी के साथ, मद्रास में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं; और

(ग) परियोजना की कुल लागत क्या है तथा तेल शोधक कारखाना ठीक-ठीक किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : (क) जी हां। 18-11-1965 को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

(ख) शोधनशाला की अभिकल्पित (designed) क्षमता प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन मीटरी टन होगी। सामान्य उत्पादों के अतिरिक्त शोधनशाला चिकनाई आधारित स्टाकों (lube base stocks)

के 200,000 मीटरी टन का भी उत्पादन करेगा। स्थापित की जाने वाली शोधनशाला कम्पनी में सरकार का 74 प्रतिशत और दो विदेशी सहयोगियों का बराबर अनुपात में 26 प्रतिशत इक्विटी भाग (equity participation) होगा।

(ग) शोधनशाला पर अनुमानत: 25 करोड़ लागत आयेगी। लागत का सम्पूर्ण विदेशी मुद्रा अंश विदेशी ईक्विटी एवं विदेशी ऋण से पूरा किया जायेगा। शोधनशाला मद्रास में मनाली के पास स्थापित की जायगी

अधिकारी पुनः अनुस्थापित (आफिसर्स रीओरियन्टेर) योजना

*729. **श्री वारियर :**
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री लखमू भवानी :
श्री वाडीवा :
श्रीमती श्यामकुमारी देवी :
श्री लिंग रेड्डी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय का विचार निर्माण और आवास मंत्रालय में इस समय परीक्षणाधीन अधिकारी पुनः अनुस्थापित योजना को भारत सरकार के केन्द्रीय सचिवालय के विभागों में आरम्भ करने का है ;

(ख) योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या योजना के बारे में कर्मचारी संगठनों से विचार विमर्श करके उनकी राय ली गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) राज्य-सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 606 के उत्तर में 3 दिसम्बर, 1965 को दिये गये उस वक्तव्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसकी प्रति सदन के सभा-पटल पर रख दी गई है।

(ख) लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 22 के 3 नवम्बर, 1965 को दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) योजना को बनाते समय सेवाओं के हितों पर भी ध्यान रखा गया है।

ट्रोम्बे में उर्वरक संयंत्र

*730. **श्री मधु लिमये :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्राम्बे में उर्वरक संयंत्र के औपचारिक उद्घाटन के कुछ ही दिनों के भीतर नाईट्रोजन के एक सलेन्डर में दबाव पैदा करने के कार्य के दौरान आग लग गई ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा संयंत्रों को चलाने वाले तीन अभिकरणों, अर्थात् (1) संधारण अनुभाग; (2) इंजीनीयरी (उत्पादन) अनुभाग; और (3) विदेशी सहयोगियों के बीच समन्वय की कमी द्वारा पैदा हुई लापरवाही के कारण हुआ ;

(ग) क्या इस घटना के विषय में कोई स्वतन्त्र जांच करने का आदेश दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां। 11 नवम्बर 1965 को अमोनिया संश्लिष्ट संपरिवर्तक (Converter) जो अभी चालू नहीं हुआ है उपरी भाग में मामूली आग लगी थी। यह एक दुर्घटना थी और कोई विशेष हानि नहीं हुई।

(ख) जी नहीं। इस आकार के कारखाने को शुरू करने में ऐसी मामूली दुर्घटनाएं सामान्य हैं।

(ग) क्योंकि कोई विशेष हानि नहीं हुई अतः स्वतंत्र जांच को अनावश्यक समझा गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Commission on Administrative Reforms

*731. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 124 on the 10th November, 1965 and state :

(a) whether a decision has since been taken regarding the appointment of the Chairman, Members and Secretary of the Administrative Reforms Commission alongwith its terms of reference ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if the answer to part (a) above be in the negative, the reasons for the delay ?

Minister for Home Affairs (Shri Nanda) : (a) to (c). The details are still under consideration. A decision is likely to be taken very soon.

केन्द्रीय सचिवालय सेवा की श्रेणी एक में पदोन्नति के लिये इन्टरव्यू

***732. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा की श्रेणी एक में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकारियों का इन्टरव्यू करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो चरित्र-पंजियों के आधार पर चयन करने की जो पद्धति अब तक अपनाई जाती थी उसे छोड़ कर नई प्रणाली अपनाने का क्या कारण हैं;

(ग) क्या अन्य श्रेणियों के लिये पदोन्नत करने के लिये भी इस प्रकार इन्टरव्यू किये जा रहे हैं ; और

(घ) चरित्रपंजी में उल्लिखित योग्यता निर्धारण तथा इन्टरव्यू में दिखाई गई योग्यता के लिये क्रमशः कितने-कितने प्रतिशत अंक निर्धारित हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) प्रत्येक चयन समिति प्रत्याशियों की योग्यता की जांच करने के लिये अपना तरीका निकालने के लिए स्वतंत्र है। इस समय उल्लिखित चयन करने वाली समिति का विचार यह था कि चरित्र पंजी की जांच के साथ साथ प्रत्याशियों का इन्टरव्यू लेना आवश्यक है, एक तो इसलिए कि गोपनीय रिपोर्ट लिखने के स्तर में यदि कोई विशेष अन्तर हो, तो उसे ठीक किया जा सकता है, और दूसरे केन्द्रीय सचिवालय सेवा प्रथम ग्रेड जो प्रथम श्रेणी की सेवा है,

का एक विशिष्ट उत्तरदायित्व है और इसके लिए उपयुक्तता का निश्चय प्रत्याशियों के व्यक्तित्व, दूरदर्शिता, सामान्य ज्ञान और अभिव्यक्ति की शक्ति आदि का निर्धारण किये बिना उचित रूप से नहीं किया जा सकता और केवल इन्टरव्यू में ही इन सबका पता चल सकता है।

(ग) जी, हां। किसी विशेष चुनाव के लिए यदि चयन समितियां प्रत्याशियों का इन्टरव्यू लेना आवश्यक समझें तो इसके लिये मनाही नहीं है; और वास्तव में कुछ अन्य सेवाओं में उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति करने में इस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

(घ) चयन समिति द्वारा विचार किये जाने वाले अधिकारियों का योग्यता-निर्धारण उनकी चरित्र-पंजी और उनके इन्टरव्यू, दोनों के आधार पर किया जायेगा।

उर्वरक कारखाना, गोरखपुर

***733. श्री सिंहासन सिंह :**

श्री गौरी शंकर कक्कड :

श्री शिकरे :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इमारतों और अन्य निर्माण कार्यों के लिये टेंडर स्वीकार करने के लिये कोई दर अनुसूची निर्धारित की हुई है और क्या अनुसूची की ये मानक दरें केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों के लिये बन्धनकारी हैं;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम ने गोरखपुर में एक उर्वरक कारखाने की इमारत बनाने के लिये दिल्ली की एक फर्म को, जिसने किसी अवस्था पर कोई टेंडर नहीं दिया था, केन्द्रीय लोक निर्माण द्वारा निर्धारित दरों से 90 से 100 प्रतिशत अधिक दरों पर ठेका दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (ग) : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने विभिन्न स्थानों के लिए विभिन्न दर अनुसूचियां निर्धारित की हैं। केन्द्रीय सरकार के सारे विभाग इन अनुसूचियों का पालन करते हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की अनुसूची गोरखपुर के लिये नहीं है सम्भवतः इसलिये कि उक्त विभाग ने अब तक वहां पर कोई बड़ा काम नहीं किया है।

यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम द्वारा गोरखपुर कारखाने के लिये दिये गये सिविल कार्य-ठेके की दरें दिल्ली के लिये निर्धारित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की दरों से 90 प्रतिशत अधिक हैं। प्राप्त हुए टेंडरों की ध्यानपूर्वक जांच एवं टेंडर कर्ताओं के साथ विस्तृत बातचीत करने के बाद सरकार की मंजूरी से ऐसा किया गया है। इस के अलावा टैण्डरों के आरम्भिक मांग का उत्तर असन्तोषजनक था और अन्तिम निर्णय करने से पहले नेशनल बिल्डिंगज कन्स-ट्रक्शन कारपोरेशन या विभागीय एजेन्सियों द्वारा कार्य को कराने की सम्भाव्यता पर भी विचार किया गया था। मौजूदा ठेकेदार को शामिल करते हुए बहुत पार्टियों से दूसरी बार टैण्डर मांगे गये थे। निदेशकों के बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई समिति से निवेदों का मूल्यांकन कराने के बाद ठेके को उपलब्ध सब से उचित प्रतियोगी दरों पर दिया गया।

प्रादेशिक भाषाओं का विकास

***734. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रादेशिक भाषाओं के विकास के विभिन्न पहलुओं पर सरकार को सलाह देने के लिए एक सलाहकार बोर्ड बनाने का प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां।

(ख) इस सलाहकार निकाय का नाम 'भारतीय भाषा समिति' होगा, इसका मुख्य कार्य हिन्दी तथा संस्कृत के अलावा—जिनके लिए इस प्रकार की समितियां पहले से ही कार्य कर रही है—आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास सम्बन्धी सामान्य अभिरुचि के सभी विषयों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देना होगा।

समिति में राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, लोक सभा तथा राज्य सभा के सदस्य, भारतीय भाषाओं के प्रसिद्ध विद्वान अथवा लेखक तथा कुछ सरकारी अधिकारी होंगे।

राष्ट्रीय कार्य के लिये विद्यार्थियों की सेवाओं का उपयोग

*735. **श्री मुथिया** : **श्री दे० शि० पाटिल** :

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्री तुलशिदास जाधव** :

श्री जसवन्त मेहता :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कार्य, विशेषत: राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संबंधी कार्य के लिये, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की सेवाओं का उपयोग करने की कोई योजना बनाई है,

(ख) क्या सरकार का विचार कोई ऐसा विधान पेश करने का है कि जिससे विद्यार्थियों के लिये यह अनिवार्य हो जाए कि उन्हें विश्वविद्यालय उपाधि मिलने से पहले अनुशासन में प्रशिक्षण लेना होगा और इस प्रयोजन के लिए कार्य करना होगा, और

(ग) क्या प्रस्तावित योजना को राज्य सरकारों ने स्वीकार कर लिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा के शुरू करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) योजना के ब्यौरे तैयार किए जाने के बाद, राज्य सरकारों से परामर्श किया जाएगा।

Enquiry into Manipur Firing

*737. **Shri Madhu Limaye** :

Shri Bagri :

Shri Hari Vishnu Kamath :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received the report of the high-powered committee appointed to enquire into the police firing that took place in Manipur on the 27th August, 1965; and

(b) if so, the main conclusions thereof?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supply in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) Yes, Sir.

(b) The main conclusions are that the first firing within the compound of the Chief Commissioner's House was both justified and necessary and the second firing which was resorted to on the open Dimapur Road was neither justified nor necessary.

उर्वरक उत्पादन

*738. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिये गैर-सरकारी विदेशी पूंजी-पतियों से सहयोग लेने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में केवल सरकारी क्षेत्र में ही कारखाने खोलने की पुरानी नीति को बदलने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : **अभी तक** सरकार की नीति यह है कि सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों क्षत्रों में उर्वरक कारखानों को स्थापित किया जाए। गैर-सरकारी क्षत्र में विशाखापत्तनम, कोथागुड्म, गोआ, कोटा और कानपुर में विदेशी सहयोग से पांच परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं।

निष्क्रमण आयोग

*739. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए अल्प-संख्यकों की दशा के बारे में जांच करने के लिये नियुक्त द्विसदस्यीय आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो उसका कार्य इस समय किस स्थिति में है तथा उसे क्या कार्य करना शेष है ; और

(घ) उसका प्रतिवेदन कब तक मिलने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) इस आयोग में एक अध्यक्ष और दो सदस्य हैं (न कि यह एक द्विसदस्यीय आयोग है) । आयोग ने अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) आयोग का कार्य काफी आगे बढ़ चुका है। इसने पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर 878 साक्षियों की जांच की है। इसने पश्चिम बंगाल, आसाम त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों द्वारा शरणार्थियों से एकत्रित किये गए 12000 वक्तव्य भी प्राप्त किये जिनका अब सारणीबद्ध करके विश्लेषण किया जा रहा है। अब बंगाल और आसाम से बाहर के शरणार्थियों की जांच की जा रही है। उनका साक्ष्य एकत्रित हो जाने के बाद आयोग ने जो प्रश्नावलियां जारी की है उनके उत्तरों की जांच की जायेगी और तब आयोग अपना प्रतिवेदन तैयार करेगा ।

(घ) आशा है कि आयोग का प्रतिवेदन फरवरी 1966 तक मिल जायेगा।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

*740. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुशासन योजना का अन्य संगठनों से एकीकरण करना संतोषजनक सिद्ध हुआ है तथा उससे जिन परिणामों की आशा थी वे निकले हैं, और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में एकीकृत योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) शारीरिक शिक्षा के समेकित कार्यक्रम की राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के नाम से 1965–66 के शिक्षा-सत्र से ही शुरू किया गया है। इसलिए इसके परिणामों का मूल्यांकन करना बहुत जल्दी होगा।

(ख) राष्ट्रीय स्वस्थता कोर शिक्षा प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में कार्य कर रहा है और यह V/VI कक्षा से X/XI वीं कक्षा तक के स्कूल छात्रों के लिये अनिवार्य पाठ्य चर्या-कार्य क्लाप बनाया जाएगा। योजना के अन्तर्गत, सभी राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों के लिये एक ही प्रकार के पाठ्यक्रम की सिफारिश की गयी है। संसद पुस्तकालय में पाठ्यक्रम की प्रतियां रख दी गयी हैं।

काश्मीर में स्कूल पाठ्य-पुस्तकें

***741. श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर सरकार द्वारा प्रकाशित स्कूल-पुस्तकों में चीन की प्रशंसा की गई है,

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ विशेष पुस्तकें गलतियों तथा गलत सूचना से भरी पड़ी हैं, और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : राज्य सरकार से सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तिब्बती स्कूल समिति

***742. श्री मधु लिमये :**
श्री राम सेवक यादव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बती स्कूल समिति ने कोई प्रतिवेदन उनके मन्त्रालय को पेश किया है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्द्रम रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नागा विद्रोहियों द्वारा इम्फाल पुल का उड़ाया जाना

***743. श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री 1 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 357 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा विद्रोहियों द्वारा इम्फाल नदी पर मिनुथोंग पुल के एक भाग को उड़ाये जाने के बारे में अब जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की उपपत्तियां क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जाँच अभी तक पूरी नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Fertilisers and Chemicals, Travancore Ltd.

2017. Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) whether a number of complaints have recently been received by Government against the management of 'FACT' factory ;

(b) whether it is a fact that the production of ammonia and sulphuric acid in the Fertilisers and Chemicals, Travancore Ltd. factory had gone down during January and February this year ;

(c) whether there has been no improvement in the production since then; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri O. V. Alagesan) : (a) Only one complaint was received recently by Govt. This was a letter dated 15-9-1965 from the FACT Employees' Association as a sequal to the unsuccessful labour strike in FACT from 24-8-1965 to 6-9-1965, alleging unilateral stoppage of some benefits to employees.

(b), (c) and (d). There was an accident in the Ammonia Plant when a high pressure pipe failed on 12-11-1964. As a result one of the ammonia loops went out of production. These are special alloy pipes which are not manufactured in the country. The pipes were ordered immediately, but it took time to arrive. Production of ammonia was therefore reduced to that extent.

Sulphuric acid is produced according to requirements. Production of sulphuric acid during the period was therefore limited to the quantity required for the utilisation of ammonia produced.

The failure of the high pressure pipe was quite accidental and could not have been anticipated.

चेथान्नूर के पुलिस इन्स्पेक्टर के विरुद्ध जांच

2018. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेथान्नूर क्विलोन, के पुलिस इन्स्पेक्टर के विरुद्ध गंभीर शिकायतें की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके विरुद्ध कोई जांच करने का आदेश दिया गया है ;

(ग) उसके विरुद्ध क्या क्या आरोप लगाये गये हैं ; और

(घ) जांच कब आरम्भ होगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां । चेथान्नूर, क्विलोन के उप-निरीक्षक, पुलिस के खिलाफ एक शिकायत प्राप्त हुई है ।

(ख) जी हां ।

(ग) कहा जाता है कि इस उप-निरीक्षक ने एक व्यक्ति पर उस समय आक्रमण किया जब वह पुलिस की हिरासत में था ।

(घ) राज्य सरकार ने जिला कलक्टर को आदेश दिया है कि वह इस मामले की रवेन्यू डिवीजनल आफिसर से जांच कराये

मद्रास के निकट पैट्रो-केमिकल उद्योग

2019. श्री अ० क० गोपालन : क्या पैट्रोलियम और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के निकट मानाली में पेट्रो-कैमिकल उद्योग स्थापित करने के लिये गैर-सरकारी फर्मों को आशय-पत्र दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो किन फर्मों को ;

(ग) संयंत्रों की अपेक्षित क्षमता कितनी है ; और

(घ) क्या कोई यूनिट स्थापित हो चुके है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

Selection of Backward Classes in Administrative Services

2020. Shri Ram Sewak Yadav : Shri Dhuleshwar Meena :
Shri Utiya : Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of candiates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes selected in the Indian Administrative Services (I. A. S., I. P. S., I. F. S.) during 1964 and 1965 so far ; and

(c) whether the posts reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been filled up exclusively by such candidates ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supply in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) and (b). The information in respect of the Combined Competitive Examinations held in the years 1963 and 1964, appointments on the results of which were made in 1964 and 1965, is as follows :

Year of Examination	Year of appointment	Service	Number of posts reserved for		Number of posts actually filled by	
			Sch. Castes	Sch. Tribes	Sch. Castes	Sch. Tribes
1963 . .	1964 . .	I.A.S. .	14	5	14	5
		I.F.S. .	3	2	*2	2
		I.P.S. .	10	3	10	3
1964	1965 . .	I.A.S. .	16	6	†15	6
		I.F.S. .	2	1	2	1
		I.P.S. .	9	3	9	3

*The candidates allotted against the third post was found physically unfit for appointment The vacancy was carried over.

†The 16th post is kept in reserve for a Scheduled Caste candidate pending decision on his physical fitness for appointment.

केरल में भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियान

2021. श्री मुहम्मद कोया : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में केन्द्रीय जांच विभाग ने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिये एक जोरदार अभियान चलाया था ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कौन कौन से विभाग चुने गये थे ;

(ग) कितने कितने राजपत्रित और गैर-राजपत्रित अधिकारी भ्रष्टाचार में अन्तर्गस्त थे और

(घ) जांच की अन्य मुख्य बातें क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां, केन्द्रीय सरकार के छः विभागों में।

(ख) 1965 में देशभर में जिसमें केरल भी शामिल है पूर्ति और निपटान महानिदेशालय, सीमा शुल्क, केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, आयात व निर्यात के मुख्य नियंत्रक, पत्तन न्यास तथा तकनीकी विकास का महानिदेशालय विभागों को संकेद्रित अभियान के लिये चुना गया था।

(ग) इस अभियान के फलस्वरूप 5 राजपत्रित और 7 अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ़ मामले चलाये गए।

(घ) 1964-65 में पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के एक अराजपत्रित अधिकारी, सीमा शुल्क विभाग के 2 राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारी तथा पत्तन न्यास विभाग के 3 राजपत्रित और 5 अराजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ़ मामले चलाये गए। जहां तक केरल राज्य का सम्बन्ध है, शेष तीन विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कोई मामले नहीं चलाये गए।

"मिलाद-ए-शरिफ"

2022. श्री मुहम्मद कोया : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने "मिलाद-ए-शरीफ" को सार्वजनिक छुट्टी घोषित किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : भूतकाल में 'मिलाद ए-शरीफ़' केरल की सार्वजनिक छुट्टियों की सूची में शामिल हुआ करती थीं। ऐसी सार्वजनिक छुट्टियों की संख्या, अधिक समझी गई थी। अस्तु अब 1966 में कुछ सार्वजनिक छुट्टियों को सीमित छुट्टियों में बदल कर इस संख्या को कम कर दिया गया है। इन सीमित छट्टियों, की संख्या 13 है। "मिलाद-ए शरीफ़" भी इनमें शामिल है, और किसी भी धर्म अथवा सम्प्रदाय का कोई भी सरकारी कर्मचारी इनमें से 5 को ले सकता है।

बर्मा से प्रत्यावर्तित भारतीय लोग

2023. श्री मुहम्मद कोया : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर, 1965 तक कितने भारतीय लोग बर्मा से केरल लौट आये हैं ;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को सरकारी तथा अर्ध-सरकारी विभागों में रोजगार दिया गया है; और

(ग) ऐसी सेवाओं में बड़ी संख्या में व्यक्तियों को नियुक्त न करने के क्या कारण हैं, जैसा कि मद्रास सरकार ने किया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा संभव समय में सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

आन्ध्र प्रदेश में नजरबन्द लोगों की शिकायतें

2024. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या गृह-कार्य मंत्री 3 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार भत्ता, पाठ्य सामग्री, और कानूनी सलाह देने तथा अस्पताल में भरती हुए नज़रबन्द व्यक्तियों की रिहाई के मामले में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

(ख) आन्ध्र प्रदेश के नज़रबन्द लोगों की और क्या क्या शिकायतें हैं ; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क), (ख) और (ग) : आन्ध्र प्रदेश सरकार से सूचना मांगी जा रही है और यथा समय सदन के सभा पटल पर एक विवरण रख दिया जायेगा ।

आन्ध्र प्रदेश में भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

2025. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1965 के दुसरे सप्ताह में आन्ध्र प्रदेश में भारत सुरक्षा नियमों के अन्तगत के लोगों को फिर से गिरफ्तार तथा नज़रबन्द किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति गिरफ्तार तथा नज़रबन्द किये गये हैं ;

(ग) यदि नज़रबन्द किये गये लोगों का किसी राजनीतिक विचारधारा अथवा दल से सम्बन्ध है तो किस दल से ;

(घ) उनमें से कितने लोग वकील हैं तथा डाक्टर हैं ;

(ङ) नज़रबन्द लोगों में से कितने व्यक्ति राज्य तथा जिला स्तर की नागरिक स्वतंत्रता संघों के पदाधिकारी हैं ;

(च) वकीलों, डाक्टरों तथा नागरिक स्वतंत्रता संघों के पदाधिकारियों को नज़रबन्द तथा गिरफ्तार करने के क्या कारण हैं ; और

(छ) नवम्बर, 1965 के पहले पखवाड़े के अन्त तक कुल कितने व्यक्ति नज़रबन्द थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : 12 नवम्बर, 1965 को 22 व्यक्तियों को भारत सुरक्षा नियमों के अधीन नज़रबन्द किया गया ।

(ग) उनका भारत के साम्यवादी दल के वाम-पक्ष से सम्बन्ध है ।

(घ) 6 वकील और एक डाक्टर ।

(ङ) नज़रबन्द लोगों में आन्ध्र प्रदेश नागरिक स्वतंत्रता समिति के 4 सदस्य हैं ।

(च) उनकी गतिविधियां भारत की सुरक्षा तथा नागरिक सुरक्षा और सैनिक कार्यवाहियों के दक्ष सम्पादन के लिये हानिकर समझी गई थीं ।

(छ) 201 (आन्ध्र प्रदेश में)

मध्य प्रदेश में पैट्रोलियम उत्पादों की खपत

2026. श्री लखमू भवानी : क्या पट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1964-65 में तथा चालू वित्तिय वर्ष में 31 अक्तूबर, 1965 तक मध्य प्रदेश में पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पादों की कुल कितनी खपत हुई ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : 1964-65 में मध्य प्रदेश में पैट्रोलियम उत्पादों की कुल खपत लगभग 3,67,000 टन थी। अप्रैल-अक्तुबर 1965 के दौरान में कुल खपत लगभग 2,17,000 टन थी।

Study of Parliamentary System of Government

2027. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether there is any Institute in the country exclusively for the study and research in Parliamentary System of Government ;

(b) the names of Universities and Institutes having independent departments for such studies ; and

(c) the nature of help given by Government to such Universities or Institutes indicating the dates when the help was given ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) and (b). According to available information, there is no Institute or University with a department exclusively for the study and research in Parliamentary System of Government.

(c) Does not arise.

बस्तर

2028. श्री लखमू भवानी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बस्तर में श्री प्रवीनचन्द्र भंजदेव को उनके अधिकार लौटाये जाने तथा बस्तर के वर्तमान शासक श्री विजयचन्द भंजदेव को सिंहासनाच्युत करने के सम्बन्ध में अनेक बार प्रदर्शन किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार बस्तर में आदिवासियों द्वारा चावल के दाम बढ़ने और जहां फसल मारी गई वहां लगान में छूट के बारे में कुछ प्रदर्शन किये गए थे। कहा जाता है कि कुछ आदिवासियों ने बस्तर के भूतपूर्व शासक श्री प्रवीण चन्द्र भंजदेव को उनके अधिकार दोबारा दिलाने के लिये भी प्रदर्शन किये थे। यह समस्या एक विधि तथा व्यवस्था से सम्बन्धित है और मध्य प्रदेश सरकार ने यथोचित उपाय किये हैं। सरकार बस्तर के शासक के बारे में प्रश्न को दोबारा नहीं उठाना चाहती।

केरल में मिट्टी के तेल की ढुलाई

2029. श्री अ० व० राघवन : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन के मिट्टी के तेल के थोक एजेंटों को, केरल में अपने स्टोरेज डिपो तक मिट्टी का तेल ले जाने के मामले में कोई सुविधायें दी जाती हैं ;

(ख) क्या अन्य तेल कम्पनियां अपने एजेंटों को इस प्रकार की सुविधायें देती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इंडियन आयल कारपोरेशन का अपने थोक एजेंटों को अपने टैंक वैगनों में मिट्टी का तेल भेजने के लिए कार्यवाही करने का विचार है, ताकि विदेशी तेल समवायों के एजेंटों से प्रतियोगिता कर सकें ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

केरल में सरकारी मडापल्ली कालिज के लिये खेल का मैदान

2030. श्री अ० व० राघवन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सरकारी माडपल्ली कालेज के लिए खेल का मैदान बनाने के लिए कुछ कार्यवाही की गई है,

(ख) क्या कालेज के निकट कहीं भी खेल का मैदान तथा परेड न होने के कारण राष्ट्रीय छात्र सेना दल के विद्यार्थियों को होने वाली कठिनाइयों का सरकार को ज्ञान है, और

(ग) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) : केरल सरकार से जानकारी मांगी गयी है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में सरकारी मडापल्ली कालेज के लिये होस्टल तथा क्वार्टर

2031. श्री अ० व० राघवन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सरकारी मडापल्ली कालेज के कर्मचारियों के लिये क्वाटर तथा विद्यार्थियों के लिए होस्टल बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस काम के कब आरम्भ होने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कन्नानूर में लड़कियों के होस्टल का निर्माण

2032. श्री अ० व० राघवन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कन्या प्रशिक्षण स्कूल कन्नानूर के विद्यार्थियों के निवास के लिये केरल में कन्नानूर के स्थान पर एक कन्या होस्टेल बनाने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भूमि अर्जन का काम चल रहा है ;

(ग) क्या इस कार्य के लिये चुनी गई भूमि पर इमारतें बनी हुई हैं, जिनका किराया 800 रुपये मासिक से अधिक है ;

(घ) क्या डाक विभाग ने पांच वर्ष के लिये इमारतें खाली करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या कन्या होस्टल के निर्माण कार्य को शीघ्रतापूर्वक करने के लिये कोई नई भूमि अर्जित करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) जी हां, राज्य सरकार एक छात्रावास निर्माण करने का विचार कर रही है।

(ख) जी हां ।

(ग) इस बारे में पता लगाया जा रहा है।

(घ) जी हां ।

(ङ) जी नहीं ।

केरल में नये स्कूल

2033. श्री अ० व० राघवन : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 में नये स्कूलों की मंजूरी देने के लिए केरल सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या नये स्कूल खोलने के लिये आवेदन-पत्र मांगने हेतु कोई अधिसूचना जारी की गई है; और

(ग) क्या लड़कियों के लिये नये हाई स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पिलानी संस्था द्वारा टेलिविजन का विकास

2034. श्री लखमू भवानी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी अनुसंधान संस्था, पिलानी, आकाशवाणी के टेलीविजन के विकास के सम्बन्ध में काम कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं । संस्थान का प्रयत्न, फिलहाल टी०वी० रीसीवरों पर केन्द्रित है । संस्थान में, आकाशवाणी के लिए स्टूडियों अथवा ट्रांसमिटर उपस्कर पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है । संस्थान ने सस्ते टी० वी० केमरों और कम शक्ति के टी० वी० ट्रांसमिटरों पर कुछ समन्वेषी कार्य को स्वयं ही अपने हाथ में लिया हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केंद्रीय इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था, पिलानी

2035. श्री लखमू भवानी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग अनसंधान संस्था, पिलानी, परमाणु शक्ति आयोग, बम्बई को इसके इलेक्ट्रानिक्स सम्बन्धी अनुसंधान-कार्य में सहायता करने में समर्थ हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : संस्थान में विकसित "फोर पाइंट रेजिस्टिविटी प्रोब" नामक यंत्र को सप्लाई करने के अलावा संस्थान को परमाणु शक्ति आयोग, बम्बई, से इलेक्ट्रानिक के अनुसंधान कार्य में सहायता की कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है । इस यंत्र का प्रयोग अर्ध चालक पदार्थों के विशेष गुण को नापने के लिए किया जाता है ।

नजरबन्द लोगों में आयकर दाता

2036. डा० सारादीश राय : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सुरक्षा नियमों के परीक्षणीय धाराओं के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में कथित अपराधों के लिये इस समय कुल कितने व्यक्ति नज़रबन्द अथवा गिरफ्तार है; और

(ख) उनमें से आय-कर देने वाले लोगों की संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और जितनी भी उपलब्ध होगी सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

विज्ञान के विद्यार्थियों का स्तर

2037. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अणु शक्ति विभाग ने भारत में विज्ञान के विद्यार्थियों के योग्यता स्तर की कटु आलोचना की है; और

(ख) क्या सरकार अणु शक्ति विभाग की इन उपपत्तियों से सहमत है कि पुराने ढंग के पाठ्यक्रम, पर्याप्त व्यावहारिक प्रशिक्षण की कमी तथा कम योग्यता वाले अध्यापक विज्ञान के विद्यार्थियों का योग्यता स्तर कम होने के लिये उत्तरदायी है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) परमाणु शक्ति विभाग ने कोई विस्तृत जांच नहीं की है। फिर भी सरकार इन कमियों से अवगत है और देश में विज्ञान की शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिये बहुत से उपाय कर रही है ।

Nuclear Research Department in Kurukshetra University

2038. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Nuclear Research Department is being set up in the Kurukshetra University ;

(b) whether Government have given permission for this ; and

(c) whether a Nuclear Medical Treatment Department is also being set up in this University ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) No Nuclear Research Department as such has been set up in Kurukshetra University. However, the Physics Department of the University has started developing facilities for research and advanced studies in different branches including high and low energy Nuclear Physics (both theoretical and experimental).

(b) and (c). Do not arise.

कैदियों को सेना में भर्ती होने की अनुमति

2039. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संगठनों ने सरकार से मांग की है कि लम्बी अवधि के दण्डभोगी कैदियों को संकट की घड़ी में सेना में भर्ती होने दिया जाना चाहिये ;

(ख) क्या कुछ कैदियों ने इस के लिये प्रार्थना की है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) लम्बी अवधि के कैदियों को प्रतिरक्षा सेवाओं में भर्ती करना वांछनीय नहीं समझा जाता ।

मध्य प्रदेश में उर्वरक कारखाने

2040. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री भानु प्रकाश सिंह :**
श्री बागड़ी : **श्री चन्द्रभान सिंह :**
श्री मधु लिमये :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 तथा 1966-67 में मध्य प्रदेश में कितने उर्वरक कारखाने लगाने का विचार है; और

(ख) वे कहां-कहां पर लगाये जायेंगे तथा उनसे उर्वरकों का कितना उत्पादन होने की आशा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) इस समय मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्रीय उर्वरक कारखाने की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मिट्टी के तेल का राशन

2041. **श्री मधु लिमये :**
श्री बागड़ी :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल का राशन लागू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : (क) और (ख) : मिट्टी के तेल का राशन लागू करने के बारे में केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव अथवा सुझाव नहीं है, किन्तु सितम्बर, 1965 में रक्षा की आवश्यकताओं के लिये मिट्टी के तेल की काफी मात्राओं के विशाखन (diversion) के परिणाम-स्वरुप राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि वे असैनिक इस्तेमाल के लिए ईस ईंधन की सप्लाई का नियमन और नियंत्रण करें तदनुसार कुछ राज्यों ने प्रतिबन्ध लगायें। इन प्रतिबन्धों की पद्धति एक राज्य की दूसरे राज्य से भिन्न है।

Cultural Activities

2042. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Education** be plased to state :

(a) the cultural activities of his Ministry during 1964-65 and from April to September, 1965 and the amount spent thereon ;

(b) the names of the countries to which Delegations were sent for the promotion of cultural relations during the above period along with the purpose of their visit and their achievements;

(c) whether any literature is available on the activities and programmes of the Cultural Affairs side of his Ministry and whether it will be laid on the Table ; and

(d) if not, the reasons therefor?

5—15 Lok Sabha/66

Minister for Education (Shri M. C. Chagla) : (a), (b) and (c). Information about the activities undertaken during 1964-65 is given in chapters XII to XVI of the Ministry's Annual Report for that year. Copies of this Report were sent to all Members of Parliament and copy is available in the Parliament Library. Information in respect of cultural activities from April to September, 1965 is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) Does not arise.

Holiday Homes at Simla

2043. Shri Bagri :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have set up Holiday Homes for Government employees at Simla and other hill stations ;

(b) if so, whether the rent for staying there is so high that it is difficult for the low-paid employees to stay there ; and

(c) if so, the steps proposed to be taken in this regard ?

Deputy Minister of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) While no Holiday Homes as such have been set up either at Simla or at any other hill station, a portion of the Grand Hotel, Simla, consisting of 51 rooms, has been set apart and designated as 'Holiday Home' for the use of Government servants, officers of Corporations etc., visiting Simla.

(b) and (c). As the daily rents originally fixed were considered high, they have recently been reduced on *ad hoc* basis.

दिल्ली में प्राथमिक स्कूल

2044. श्री यशपाल सिंह : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या इन स्कूलों में अध्यापकों की संख्या बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है। जिससे इस बात की पुष्टी हो सके कि स्तर गिर रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सभी प्राथमिक स्कूलों में, कक्षा के एक अनुभाग के लिए एक अध्यापक तो पहले से ही नियुक्त किया जा रहा है और इसे बढाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बोगस विश्वविद्यालय

2045. श्री यशपाल सिंह : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से बोगस विश्वविद्यालय ऐसे लोगों को नकली प्रमाण-पत्र तथा उपाधियां दे रहें हैं, जिन्हें नौकरी प्राप्त करन के लिये उनकी आवश्यकता होती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे किन्हीं विश्वविद्यालयों का पता लगाने में सफल हुई है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : जहांतक सरकार को जानकारी है "कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड" दरयागंज दिल्ली नामक एक संस्था है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 23 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए डिग्रियां प्रदान कर रही है। आयोग ने इस संस्था के विरुद्ध कानूनी कारवाई शुरु कर दी है।

तेल निकालने के लिये ठेके

2046. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल निकालने के ठेके विदेशी तेल समवायों को देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या कोई ऐसा ठेका किया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : (क) और (ख) : जी, हां। व्यधन के ठेके इटली के मेसर्स स्नाम, यूगोसलाविया के रूडीस तथा फ्रांस के फोरासोल के साथ किये गये हैं।

(ग) शर्तों का सारांश निम्नप्रकार है :—

(1) मैसर्ज स्नाम के साथ पंजाब में व्यधन का ठेका :

स्नाम के साथ ठेका की काय अवधि 2 साल और 2 मास के लिए है। इसमें स्नाम को 2.25 करो रुपये का भुगतान करना है; जिसमें 1.66 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा का भाग है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की ओर से मैसर्स स्नाम पंजाब क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर स्थित कुओं का स्नाम के अपने व्यधन रिंग (इडीकों 2,5000) का इस्तेमाल करते हुए तथा व्यधन के लिये आवश्यक उपकरण एंव समन्वेषी कुंओं का 65000 मीटरों की अधिकतम गहराई तक पूरा करने के लिये व्यधन करेगा। आयोग इस ठेके के अन्तर्गत सारे दायित्वों को पूरा करने के लिये आवश्यक परमिट तथा लाइसेंस आदि प्राप्त करेगा। आयोग भारत में आदा किय जाने वाले सीमाशुल्क, टैक्स आदि भी देगा। स्वीकृत न्यूनतम कार्य अवधि के समाप्त होने के बाद तेल और प्राकृतिक गैस आयोग रिंग एंव सम्बन्धित उपकरण की खरीद के लिए ऐच्छिक अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है।

(2) गंगा घाटी में व्यधन ठेके के लिये मैसर्ज स्नाम के साथ ठेका :

यह ठेका 2 साल की कार्य-अवधि के लिय है तथा मैसर्स स्नाम को 1.97 करोड़ रुपये का भुगतान करना है; जिसमें लगभग 1.36 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा शामिल है। अन्य शर्तें वही है जो पंजाब में खुदाई के ठेके के लिए बताई गई हैं।

(3) रूडीस के साथ ठेका :

मैसर्ज रूडीस युगोसलाविया के माइनिंग इण्डस्ट्रीयल एस्सोसीयेशन के साथ किया गया व्यधन ठेका, जिसमें अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में 20 लाख रुपये से कम की अदायगी शामिल है, आसाम क्षत्र में समन्वषी व्यधन के लिये 28 व्यक्तियों के दो व्यधन दलों की सेवाओं के लिए था। यह करार श्रम ठेके के रूप में था तथा उस तिथि से, जब रूडोस के सभी कर्मचारी कार्य क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, एक साल तक रहेगा। हाल ही में ठेका खत्म हो गया है।

(4) फोरासोल के साथ ठेका :

फांस के फोरोसोल के साथ ठेका राजस्थान के जसलमेर क्षेत्र में संरचनात्मक व्यधन कार्य के लिए है। शुरू शुरू में यह ठेका व्यधन कार्य की आरम्भिक तिथि से लेकर एक साल की अवधि के लिए है किन्तु यह आयोग की इच्छा पर निर्भर है कि वह ठेके को एक और साल की अवधि के लिए बढ़ा सकता है बशर्ते कि इस सम्बन्ध में शर्तों के लिये दोनों परस्पर सहमत हों। दो साल की अवधि के लिए 116 लाख रूपये

की विदेशी मुद्रा को शामिल करते हुए 179.2 लाख रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया था। फोरासोल को रेत और टीबा छिद्रित मरूभूमि (Sandy dune riddled deserts) में व्यधन के पर्याप्त अनुभव वाले योग्य विदेशी व्यक्तियों और अपने व्यधन रिंगों, मशीनरी तथा इस उद्देश्य के लिए अन्य उपकरणों की व्यवस्था करना है। फोरासोल की बधनी (drilling bits) रूढ़ कोड बरमों (Conventional corebits), हीरा-कोड बरमों (diamend core-bits) खोल पाइप, खोल-जूते और फ्लोट कालरज़ (Float collars) की व्यवस्था करनी है। जिनका मूल्य आयोग द्वारा अदा किया जायेगा। फोरासोल द्वारा भारत में लाय गये व्यधन-रिंग, मशीनरी और उपकरण के मदों को मूल्य-ह्रास लागत पर खरीदने की इच्छा आयोग पर निर्भर है।

Action Against Newspapers

2047. **Shri D. N. Tiwari** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of newspapers and magazines in each State against whom action was taken during the last three years under the Defence of India Act or Rules made thereunder ;

(b) the number of those punished out of that ;

(c) the number of cases in which action was taken against the advice of the Central Press Advisory Committee or without consulting them ; and

(d) the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supply in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) to (d). The information is being collected and will be placed on the table of the House.

पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये व्यक्तियों को वित्तीय सहायता

2048. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने के संबंध में एक योजना को मंजूर की है;

(ख) महाराष्ट्र मे बसने का निर्णय करनेवाले आप्रव्रजकों को कितना राशि की वित्तिय सहायता और ऋण दिये जाते हैं ;

(ग) सहायता शिबिरों से कितने परिवार उस राज्य में भेजे जा रहे हैं; और

(घ) क्या आप्रव्रजकों के पुनर्वास के लिये मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की सरकारोंने भी तत्समान सुविधाएं देने का प्रस्ताव किया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) : (क) और (घ) : शिबिरों में रहने वाले पूर्वी पाकिस्तानी से आये विस्थापितों को कृषि तथा कृषि भिन्न धन्धों से बसाने के लिये भारत सरकार ने पुनर्वास सहायता की मात्रा निर्धारित की है। शरणार्थियों को बसाने के लिये महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश को मिलाकर यह मात्रा अन्य राज्य सरकारों ने भी अपना ली है।

(ख) एक विवरण जिसमें दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा दिया गया है, सभा की मेज पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखियें संख्या एल० टी० 5327/65।]**

(ग) 4,703 परिवार महाराष्ट्र के विभिन्न शिबिरों में भेज दिये गये हैं।

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में विभागीय उम्मीदवारों के लिये पदों का आरक्षण

2049. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियमों के अन्तर्गत, सहायक पदालि, (असिस्टेन्टस ग्रेड) के 50 प्रतिशत पद विभागीय यू० डी० सी० के लिये आरक्षित है; और

(ख) इस अभ्यांश के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में, प्रतिवर्ष, कितने यू० डी० सी० को सहायक पदों पर पदोन्नति किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) सम्भवत: केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली, 1962 की ओर संकेत है जिसमे यह व्यवस्था की गई है कि अक्तूबर 1962 से तीन वर्ष की अवधि के लिये सहायक पदाली के स्थायी पदों में से 50% विभागीय पदोन्नति के लिये आरक्षित हैं ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

लोअर डिबिजन क्लर्कों की पदालि के लिये संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा

2050. **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री वारियार : **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सचिवालय कार्यालयों के लिये लोअर डिवीजन क्लार्क की भर्ती के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिपि पदालि के लिये परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या कम हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्रा) : (क) जी, नहीं । केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में लोअर डिवीजन क्लर्कों की भरती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली एक प्रतियोगिता के परिक्षा आधार पर की जाती है। 1958 से अब तक संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ऐसी 7 परीक्षाएं ली जा चुकी है। पिछले पांच साल में इन परीक्षाओं के आवेदन पत्र रखने वाले और वास्तव में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या नीचे दी गई है :—

परीक्षा का वर्ष	उन उम्मीदवारों की संख्या जिन्होंने	
	आवेदन पत्र दिया	परीक्षा दी
1961	6816	4101
1962	4513	2283
1963	2000	919
1964	2675	1873
1965	4040	2839

उपरोक्त परीक्षाओं में से कुछ में उम्मीदवारों की संख्या इसलिये कम थी कि परीक्षा में टाइपराइटिंग भी थी । 1964 से परीक्षा के पाठ्यक्रम से टाइपराइटिंग को हटा दिया गया है और अब उम्मीदवारों को नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष के अन्दर-अन्दर टाइपिंग की परीक्षा

पास करनी पड़ती है। जब से यह परीवर्तन लागू किया गया तब से परीक्षा के लिये आवेदन पत्र देने वाले और परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में प्रशासनिक परिवर्तन

2051. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री यशपाल सिंह :

श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के बेहत्तर प्रशासन की दृष्टि से दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : 18 अगस्त 1965 को तारांकित प्रश्न संख्या 79 और 10 नवम्बर, 1965 को तारांकित प्रश्न संख्या 137 के उत्तर में सदन के सभा-पटल पर रखे गए विवरणों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। "दिल्ली प्रशासन विधेयक" नामक एक विधेयक पहले ही सदन के सन्मुख प्रस्तुत है।

अध्यापकों की पदोन्नति

2052. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) दिल्ली के सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूलों के प्रिंसिपलों के पदों पर पदोन्नति के संबंध में अध्यापकों की वरिष्ठता निर्धारित करने के नियम क्या हैं;

(ख) क्या ये नियम दिल्ली नगर निगम के स्कूलों पर भी लागू होते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) दिल्ली प्रशासन (वरिष्ठता) नियम, 1965 उपबन्धों के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित की जाती है। सामान्यतया ग्रेड में नियुक्ति की स्थिति के अस्थायी अथवा स्थायी-वरिष्ठता निर्धारित होती है।

(ख) और (ग) : दिल्ली नगर निगम अभी तक दिल्ली राज्य सेवा (वरिष्ठता) नियम, 1954 का पालन कर रहा है। दिल्ली प्रशासन (वरिष्ठता) नियम, 1965 को अपनाया जाए अथवा नहीं, इस संबंध में निगम ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

बालकों को होस्टल के लिये राज-सहायता

2053. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री यशपाल सिंह :

श्री क० ना० तिवारी :

डा० सरोजिनी महिषी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्कूल योजना के अन्तर्गत रिहायशी स्कूलों में पढने वाले बच्चों के संबंध में कुछ श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को होस्टल सम्बन्धी राज सहायता देने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम् रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) छात्रवास उपदान योजना की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5328/65 ।]**

मनीपुर में गोलीबारी का बन्द होना

2054. श्रीमती रेणूका बड़कटकी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के मुख्यमंत्री ने गोलीबारी बन्द करने सम्बन्धी समझौते को मनीपुर में लागू करने के बारे में शान्ति मिशन के प्रस्ताव पर आपत्ति की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख) : गोलीबारी बन्द करने का समझौता मनीपुर के तीन सबडिवीज़नों पर शुरू से ही लागू है। इस समझौते को मनीपुर के किसी और इलाके पर लागू करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, और इसलिये मनीपुर के मुख्य मंत्री के इस बारे में विचार प्रगट करने का भी प्रश्न ही नहीं उठता ।

उर्वरकों का उत्पादन

2055. श्री मं० रं० कृष्ण : क्या पैट्रोलियम और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने उनके मंत्रालय के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है कि चौथी योजनावधि में देश की उर्वरकों सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो विस्तार कार्यक्रम के बिना ही उर्वरकों की आवश्यकता को पूरी करने के सम्बन्ध में योजना आयोग ने क्या वैकल्पिक उपाय सुझाए हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (अलगेसन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली के गांवों का नगरीकरण

2056. श्री शिवचरण गुप्त : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के अनेक गांव शहरी गांव बन गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो 1 सितम्बर, 1964 से पहले उनकी संख्या कितनी थी और इस समय कितनी है ;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकार ने किनकिन गांवों के ले आउट प्लान तैयार किये हैं ; और

(घ) इन शहरी गांवों में मकान बनाने और छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने के लिये क्या सुविधायें दी जा रही हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 29 गांवों को दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 507 के अधीन शहरी क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है। और भी 88 गांवों को शहरी क्षेत्र घोषित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) (i) 1 सितम्बर, 1962 से पहले शहरी घोपित किये गए गांवों की संख्या . 20*

(ii) शहरी घोषित किये गए गांवों की वर्तमान संख्या . . . . 29 ।

*इनमें से 11 गांव आंशिकरूप से 1-9-1962 के पहले और आंशिक रूप से उसके बाद शहरी घोषित किये गए ।

(ग) 1. तामुन नगर खिज़राबाद ।

2. सराया जुलिआना ।

3. जोगा बाई ।

4. ओखला ।

5. गढ़ीझरिआ मरिआ ।

6. समरूदपुर ।

7. मस्जिद मोठ ।

8. शाहपुर जाट ।

9. मुहम्मद पुर ।

10. मसीह गढ़ ।

11. खिड़की ।

12. शेख सराय ।

13. बेर सराय ।

14. कतवारिया सराय ।

15. आज़ादपुर ।

16. भरोला ।

17. पीपलथाला ।

18. रामपुरा ।

19. वज़ीरपुर ।

20. नरैना ।

21. बसई बारापुर ।

22. तातारपर ।

23. नांगल राया ।

24. अस्सलतपुर ।

25. पोस्सगीपुर ।

26. नांगली जलाब ।

उपरोक्त गांव उन 88 गांवों में हैं जिनको दिल्ली के शहरी क्षेत्र का भाग घोषित करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

(घ) ऐसे व्यक्तियों को जो ईमानदारी से अपने रहने के लिये दिल्ली के शहरी क्षेत्र में मकान बनना चाहते हैं, निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग वालों के लिये मकान योजना के अन्तर्गत् मकान बनाने के आर्थिक सहायता की सुविधाएं, उपलब्ध हैं। इन गांवों में छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने के लिये सुविधाओं के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा जांच की जा रही है।

दिल्ली में रिहायशी तथा औद्योगिक क्षेत्रों का विकास

2057. **श्री शिवचरण गुप्त :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकार तथा दिल्ली नगर निगम ने रिहायशी तथा औद्योगिक क्षेत्रों के कितने प्लाटों का अब तक विकास किया है अथवा कितने प्लाटों का विकास हो रहा है ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में किन क्षेत्रों का विकास होने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकार तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया अथवा किया जा रहा है :—

	रिहायशी		औद्योगिक	
	क्षेत्रफल (एकड़ों में)	प्लाटों की संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ों में)	प्लाटों की संख्या
दिल्ली विकास प्राधिकार	3,629	4,638	2,538	1,011
दिल्ली नगर निगम	. 372 (लगभग)	18,573 (पच्चीस-पच्चीस गज़ के अस्थायी निवास-स्थान)	..	..
	180 (लगभग)	3,803 (अस्सी-अस्सी गज़ के प्लाट		
	128 (लगभग)	6,427 (पच्ची-पच्चीस गज़ के अस्थायी निवास-स्थानों का विकास किया जा रहा है)	..	

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा . . . 8,500 एकड़

दिल्ली नगर निगम द्वारा . 663 एकड़ (लगभग)

दुर्गापुर-कलकत्ता लाइन पर अग्निकाण्ड

2058. **श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर-कलकत्ता लाइन पर गैस ग्रिड में हाल ही में तीन दिनों में दो बार आग लग गई थी ?

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच करवाई की गई है;

(ग) इसका क्या परिणाम निकला ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या जांच करवाई जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जो सूचना सिंचाई तथा बिजली मंत्रालय को पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त हुई है उसके अनुसार 28 अक्तूबर 1965 को बर्दवान के निकटवर्ती गैस ग्रिड में आग लग गई । स्थानीय फ़ायर ब्रिगेड तथा दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के कर्मचारियों को संदेश प्राप्त होने के कुछ घंटों बाद आग बुझा दी गई । ज्ञात हुआ कि ज़मीन की सतह से लगभग 5 फुट नीचे पाइप लाइन की तली के एक छोटे से छेद में से गैस रिस रही थी । अतः गैस की यह रिसन पाइप लाइन में खराबी के कारण थी । तोड़फोड़ को किसी कार्यवाही का आदेश नहीं है ।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

इंजीनियरों की सेवाओं का प्राप्त किया जाना

2059. **श्री गोकुलानन्द महन्ती :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में क्रियान्वित की जाने वाली सड़क निर्माण परियोजना में लगाने के लिये उड़ीसा राज्य से इंजीनियरों, सहायक इंजीनियरों तथा ओवरसियरो की सेवायें मांगी हैं ; और

(ख) कितने व्यक्तियों ने इस परियोजना में काम करने के लिये अपनी सेवाएं पेश की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) अभी तक कोई मांग नहीं की गई है। इसकी सम्भावनाओं की जांच की जा रही है ।

(ख) राज्य सरकार ने अभी तक किसी के नाम की सिफ़ारिश नहीं की है ।

Hindi University in South India

2060. **Shri Ramchandra Veerappa :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a Hindi University in South India ;

(b) whether Government have conducted a survey of Gulbarga city for being considered as a proper place for this purpose ; and

(c) if so, the result threre of ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Swayam Sevikas of Bhoodan Movement

2061. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two Swayam Sevikas of the Bhoodan Movement went to Kashmir in the first week of August, 1965 for an on-the-spot study of the situation in the Kashmir valley ;

(b) whether it is also a fact that the said Swayam Sevikas acted in collusion with the Pakistani elements during their stay in Kashmir ; and

(c) if so, the action taken by Government in this connection ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supply in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) Two Swayam Sevikas of the Bhoodan Movement visited Jammu and Kashmir State from the 13th July, 1965, to the 20th July, 1965 (and not in the first week of August, 1965) to study the situation in the Kashmir valley.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise

फालतू नेफ्था

2062. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री वाडीवा :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री चांडक :
श्री दाजी :
श्री शिवदत्त उपाध्याय :
श्री पाराशर :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान संकेतों से ऐसा आभास मिलता है कि पांचवी योजनावधि में उर्वरकों के उत्पादन के लिये बड़ी मात्रा में फालतू नेफ़था उपलबध होगा ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर): (क) और (ख) : जी हां। चौथी योजना के अन्त तक समस्त उपलब्ध नेफ्था के इस्तेमाल के लिए उर्वरक संयन्त्रों एवं पैट्रो-रसायन संयन्त्रों की योजनाएं बनाई गई हैं।

अनाधिकृत शिक्षण संस्थायें

2063. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चलने वाली अनधिकृत शिक्षण संस्थाओं की गतिविधियों का विनियमन करने के लिये एक विधेयक तैयार किया जा रहा है ;

(ख) क्या इस मामले में जनता की राय मालूम की गई है ; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : देश की प्राइवेट शैक्षिक संस्थाओं (मान्यता-प्राप्त को छोड़कर) की स्थापना और उनके कार्यकलापों को नियमित करने के लिए, एक आदर्श मसौदा विधेयक तैयार किया गया है और सभी राज्य सरकारों और संघीय प्रशासनों को इसे उनके विचारार्थ और टिप्पणी तथा ऐसी कार्रवाई के लिए जो वे उचित समझें, भेज दिया गया है। इस विधेयक की शर्तों के अनुसार केवल ऐसी ही गैर-मान्यता प्राप्त संस्थाएं स्थापित तथा अनुरक्षित की जा सकती हैं जो मान्यताप्राप्त डिग्रियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने का दावा करती हों।

प्राचीन वार्ति-लेखों विषयक अनुसंधान

2064. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास विश्वविद्यालय नाडिस नाम से विख्यात प्राचीन वार्तिलेखों के संबंध में योजनाबद्ध अनुसंधान कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उन अनुसंधान-कर्ताओं के नाम तथा पदनाम क्या हैं ; और

(ग) उनके द्वारा अब तक किये गये कार्य का संक्षिप्त विवरण क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

Anuvrat Conference in Delhi

2065. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Yudhvir Singh :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the 19th Anuvrat Conference was held on the 29th October, 1965 in Delhi ;

(b) if so, the number of countries which participated in it ; and

(c) the decision taken thereat ?

Deputy Minister of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) Yes, Sir.

(b) It was not an international conference.

(c) It was decided to improve the organisation of the Anuvrat Samiti. It was also decided to issue an appeal to the Samiti workers all over the country to forego one meal in a week.

Sending of Bricks Outside Delhi

2066. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain restrictions have been imposed for sending bricks outside Delhi; and

(b) if so, the reasons therefor ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) Yes, Sir.

(b) To check rise in price of bricks and meet local requirements.

Handbill Entitled "Is India Really Free"

2067. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been invited to the hand bill written by one, Shri Ram Narayan and bearing the headline "Is India really Free", which was distributed among the Members of Parliament recently ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) :

(a) Yes, Sir.

(b) The contents of the hand-bill do not call for any action by Government

Kerala University

2068. Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the period for the study of certain subjects is proposed to be raised in the Kerala University ;

(b) whether there is also a proposal to reduce the hours of study in respect of certain subjects ; and

(c) whether Hindi is included in the subjects for which time is being reduced ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (c). Yes. Sir.

(d) Reorganisation of degree courses from next academic year, necessitated by the introduction of Pre-degree course has shown the need for additional hours of study of compulsory subjects. This will reduce the number of hours allotted for languages, including Hindi. Students taking Hindi as an optional subject will, however, be taught for more hours than at present.

दिल्ली में अपराध

2069. श्री रामेश्वर टांटिया :

श्री हिम्मतसिंहका :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच युद्ध-विराम लागू होने के पश्चात् दिल्ली में अपराधों की संख्या बढ़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि दिल्ली में अपराधों की इस वृद्धि के लिए कुछ विदेशी लोग दोषी पाये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Social Security Committee, Delhi

2070. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the working hours and pay scales of employees of all categories working under the Social Security Committee of Delhi;

(b) the total number of employees working there;

(c) whether it is a fact that chowkidars have to work for 18 to 22 hours;

(d) if so, whether they are paid some extra allowance ; and

(e) whether it is also a fact that several times complaints have been submitted to Government through the Staff Councils that these people are under-paid and over worked and no leave is granted to them; if so the action taken in this regard?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) The Ministry of Education is not aware of any Social Security Committee of Delhi existing under the Education Departments of the Delhi Administration or the Municipal Corporation of Delhi.

(b) to (e). Do not arise.

Demolition of Certain Colonies in Delhi

2071. Shri Hukum Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the construction work of about 3000 houses has already been completed in Onka Nagar extension, Sudama Nagar, Lekhu Nagar, Budh Nagar, Hansa Puri and Saroop Nagar near Raipura and Shanti Nagar, Delhi;

(b) whether it is also a fact that people had purchased lands for those houses with their Personal money and they had got them registered with Government but those houses are being demolished by Government; and

(c) the reasons for demolishing them and the purpose for which Government propose to utilise the lands in the said colonies ?

Deputy Minister of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) The question presumably refers to the large number of unauthorized constructions which are under notice from the Municipal Corporation of Delhi in Onkar Nagar Extension, Sudama Nagar, Lekhu Nagar, Budh Nagar, Hansa Pur, Sarup Nagar and Shanti Nagar, Delhi.

(b) and (c). These constructions are unauthorized, *i.e.*, they have not been approved under Sections 312 and 313 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957. As such, action has been taken to demolish these structures by the Municipal Corporation of Delhi under Section 343 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, as these structures are unauthorised and not for utilising lands in these colonies.

केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में अधिक्रमण

2072. श्री वारियर :

श्री दाजी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय के दिनांक 22 दिसम्बर, 1959 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/11/55 आर० पी० एस० के जारी होने से पहले, केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं सहित केन्द्रीय सेवाओं में वरिष्ठता उस मंत्रालय के दिनांक 22 जून 1949 के ज्ञापन संख्या 30/44/48-एपौआइंटमेंट्स, तथा 30/49 में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार निर्धारित की जाती थी ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सचिवालय को क्लर्की और सहायकों की सेवाओं में बड़ी संख्या में अधिक्रमण हो जाने के क्या कारण है तथा प्रभावित व्यक्तियों के साथ हुए अन्याय को दूर करने के लिये इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) गृह-मंत्रालय का 22 जून, 1949 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 30/44/48-एपौंइटमैंटस, सिवाय उन मामलों के जिनमें गृह मंत्रालय की सहमति से पृथक वरिष्ठता नियम बनाये गए हों, सभी केन्द्रीय असैनिक सेवाओं पर लागू होता था। जहां तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड का सम्बन्ध है, उसके प्रारम्भिक गठन के लिये इन आदेशों के जारी होने से पहले ही इन आदेशों में निहित सिद्धांतों के समान ही सिद्धात बनाये गए थे । दूसरी तरफ 22 जून 1949 का कार्यालय ज्ञापन सं० 30/49 आर० केवल केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा पर ही लागू था ।

(ख) यह सत्य नहीं है कि सहायकों को पदोन्नति के बारे में अधिक्रमण हुए हैं । लिपिक वर्ग में तथाकथित अधिक्रमण के बारे में माननीय सदस्य का ध्यान अतारांकित प्रश्न संख्या 1240 के उत्तर में 24 नवम्बर 1965 को सदन के सभा-पटल पर रखे गए विवरण की ओर आकर्षित किया जाता है ।

केरल में प्रकाशकों के विरुद्ध मुकदमा

2073. श्री वासुदेवन नायर :

श्री वारियर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में 'जनयगुण' तथा 'नवजीवन' के सम्पादकीय कर्मचारियों तथा प्रकाशकों के विरुद्ध फोटो स्टेट मुकदमा राज्य से बाहर के किसी अन्य न्यायालय को बदलने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो यह मुकदमा किस न्यायालय को भेजा जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है । इससे देखते हुए प्रश्न के (क) और (ख) भाग उठते ही नहीं ।

विदेशी धर्म-प्रचारकों की गतिविधियां

2074. **श्री ह० च० सोय : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात विदेशी ईसाई धर्म-प्रचारकों की धर्म-परिवर्तन करने से सम्बन्धित गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्हें उनकी शिक्षण तथा चिकित्सा संस्थाओं के लिये, विशेषत: आदिम जातीय क्षेत्रों में, बड़ी राशि के सरकारी अनुदान और सहायता दी जाती है, जिसका उपयोग वे धर्म-परिवर्तन करने के कामों के लिये करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन अनुदानों के दुरुपयोग को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के पदोन्नति सम्बन्धी दावे

2076. **श्री बूटा सिंह :**
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, केन्द्रीय सचिवालय में अवर सचिवों के पदों पर पदोन्नति के लिये केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अनुभाग अधिकारियों के दावों को उपेक्षा किये जाने के विरुद्ध संगठनों तथा व्यक्तियों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई छानबीन की गई है ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां । मई 1965 में जारी होने वाली सूची में इन वर्गों के किसी भी अनुभाग अधिकारी के शामिल न किये जाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ।

(ख) और (ग) : केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली, 1962 तथा उसके अधीन बनाये गए विनियमों के अधीन सेवा के ग्रेड 1 में नियुक्तियां योग्यता के आधार पर की जाती हैं । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के जो भी अनुभाग अधिकारी पात्रता के क्षेत्र में आते थे उन सभी की पदोन्नति के लिये संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में एक चयन समिति ने विचार किया था । इस प्रकार इन अधिकारियों के दावों की उपेक्षा नहीं की गई ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुभाग अधिकारियों की पदोन्नति

2077. **श्री बूटा सिंह :**
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 में अवर सचिवों के पदों पर पदोन्नति के हेतु चयन के लिये केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों की एक सूची विभागीय पदोन्नति समिति के सामने रखी गई थी ;

(ख) क्या उस सूची में अनुसूचित जातियों के किसी अनुभाग अधिकारी का नाम नहीं था ; और

(ग) यदि हां, तो सूची में अनुसूचित जातियों के अधिकारियों का एक भी नाम शामिल न किये जाने के क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मंगलौर में तेलशोधन एवं उर्वरक परियोजना

2078. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या पैट्रोलियम और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में, मंगलौर में तेलशोधन एवं उर्वरक परियोजना की पेशकश के बारे में एक प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) क्या मसूर के मुख्य मंत्री ने हाल ही में इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से बातचीत की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : उर्वरक संयन्त्र की स्थापना के बारे में कुछ बातचीत हो रही है किन्तु मैसूर क्षेत्र में पट्रोलियम उत्पादों की मांग को ध्यान में रखते हुये चौथी योजना के दौरान में एक शोधनशाला एवं उर्वरक परियोजना को स्थापित करना उचित नहीं दिखाई देता ।

प्रव्रजकों के लिये शिविर

2079. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसुर राज्य में पेरियापत्तन में नवागन्तुक प्रव्रजकों के लिये एक शिविर खोला गया है ;

(ख) उस शिविर में प्रव्रजकों को केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की ओर से क्या सुविधायें प्रदान की जाती हैं ; और

(ग) उस शिविर में कितने प्रव्रजको को रखा जायेगा ?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी): (क) से (ग) : केन्द्रीय सरकार ने पेरियापत्तन में नये प्रव्रजकों के लिये कोई शिविर नहीं खोला है और न ही इस बारे में मैसुर सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

पुनर्वास के लिये भूमि का कृष्यकरण

2080. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से नवागन्तुक प्रव्रजकों को बसाने के लिये भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) इस कार्य पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ;

(ग) इस सम्बन्ध में बनाई गई योजनाओं की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन सी योजनायें शामिल करने का विचार है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) : (क) पूर्वी पाकिस्तान से आये नये विस्थापितों को बसाने के हेतु वन भूमि सुधार के लिये पुनर्वास भूमि सुधार संस्था के नाम से एक केन्द्रीय एजेन्सी प्रत्यक्ष रूप

से पुनर्वास मंत्रालय के अधीन नवम्बर, 1964 में स्थापित की गई थी। इस संस्था के पास 13 पूर्ण यंत्र-चालित खण्ड हैं जिनमें 193 क्रालर ट्रेक्टर्स तथा वन साफ करने का अन्य सहायक साज सामान है। इनको विभिन्न राज्यों में तथा दण्ड-कारण्य परियोजना क्षेत्र में बहुत बड़े वन भूभाग के सुधार के लिये फैलाया जा रहा है।

ऊपर बताये गये कार्य के अलावा कुछ राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश तथा आसाम में भूमि सुधार का कार्य राज्य सरकारों के विभागों द्वारा किया जा रहा है।

(ख) अब तक जो धन राशि खर्च की गई है वह 130 लाख रुपये से ऊपर है।

(ग) यंत्रीकृत क्रिया योजना के प्रमुख लक्षण हैं, क्योंकि विस्थापित परिवारों को कृषि भूमि पर बसाने के लिये प्राय वन क्षेत्र ही प्राप्य होता है। कृषि प्रयोजना के लिये भूमि की उपयुक्तता निर्धारण करने के लिये भूमि सुधार से पहले भूमि सर्वेक्षण किये जाते हैं। भूमि सुधार के कार्य के अंतर्गत वृक्ष गिराने से हैरो चलाने को क्रियायें आती है। भूमि संरक्षण के हेतु सुधार किए गये क्षेत्र की मेढ़बन्दी का कार्यभार भी लिया जाता है।

(घ) चतुर्थ योजना के लक्ष्य के अनुसार, दण्डकारण्य, अन्दमान तथा विभिन्न राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा बिहार में 3.40 लाख एकड़ भूमि के सुधार की प्रस्तावना है।

लक्कादीव द्वीप

2081. श्री मुहम्मद कोया : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य भूमि से भर्ती किये गये व्यक्तियों को लक्काद्वीप द्वीपों में काम करने के लिये दिये जाने वाले प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस प्रोत्साहन के द्वारा अच्छे पदाधिकारियों की भर्ती करने में कितनी सफलता मिली है ;

(ग) मुख्य भूमि के कितने व्यक्ति द्वीप समुहों में काम कर रहे हैं और द्वीपसमूहों के कितने व्यक्ति मुख्य भूमि के तत्समान विभागों में काम कर रहे हैं ; और

(घ) द्वीप समुह तथा मुख्य भूमि के कर्मचारियों को अपने-अपने राज्यक्षेत्रों में स्थानान्तरित करने में यात्रा भत्ता तथा दनिक भत्ते और प्रोत्साहन पर खर्च की जाने वाली कितनी धनराशि की अनुमानतः बचत की जा सकती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) मख्य भूमि से लक्कादीव प्रशासन के लिये भर्ती व्यक्तियों को द्वीपसमूह में स्थानांतरण होने पर दी जाने वाली रियायतें इस प्रकार हैं :—

(क) मूल वेतन के 40% की दर से विशेष वेतन जिसकी सीमा अधिक से अधिक 350 रु० प्रतिमास तक है।

(ख) बिना किराये के असज्जित आवास अथवा निम्नलिखित दरों पर मकान का किराया भत्ता :—

(i) 75 रु० से कम वेतन पाने वाले व्यक्तियों के लिये . 7.50 रु०

(ii) 75 रु० या उससे अधिक किन्तु 100 रु० से कम वेतन पाने वाले व्यक्तियों के लिये 10.00

(iii) 100 रु० और उससे अधिक किन्तु 200 रु० से कम वेतन पाने वाले व्यक्तियों के लिये . . . . 15.00 रु०

6—15 Lok Sabha 66

(iv) 200 रू० और उससे अधिक वेतन पाने वाले व्यक्तियों के लिये मूल वेतन का $7\frac{1}{2}\%$ यदि कर्मचारी का परिवार मुख्य भूमि पर निवास कर रहा हो तो कर्मचारी को, मख्य भूमि पर दिये जाने वाले किराये अथवा ऊपर कही गई दर पर भत्ते में से जो भी कम होगा वह दिया जायगा ।

(ग) पहली नियुक्ति के समय तथा वर्ष में एक बार, छुट्टी पर जाते या आते समय, समुद्री यात्रा के दौरान दैनिक भत्ते के साथ-साथ अपने तथा परिवार के लिये मुफ्त समुद्री यात्रा ।

(ख) ये रियायतें आम तौर पर लक्कादीव प्रशासन के लिये उपयुक्त अधिकारियों की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये सहायक सिद्ध हुई हैं ।

(ग) और (घ) : आकड़े एकदम उपलब्ध नहीं हैं और उन्हें एकत्रित करने की चेष्टा का परिणाम इतना उपयोगी नहीं होगा । लक्कादीप द्वीपसमूह में सेवा-रत व्यक्तियो का मुख्य भूमि पर स्थानान्तरण सम्भव न होगा । इन लोगों की अन्यत्र प्रतिनियुक्ति की कोई गुंजाइश नहीं है । अभी लक्कादीप का पूरी तरह विकास होना है अतः कुछ समय तक और वहां बाहर से अधिकारी भेजने पडेंगे । इसमें द्वीपसमूह का ही लाभ है ।

युद्ध प्रयासों में लक्कादीव का योगदान

2082. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्कादीव के लोगों ने युद्ध प्रयासों में सक्रिय भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) युद्ध में लक्कादीव के कितने जवानों ने बीरगति पाई ; और

(घ) सरकार ने उनके परिवारों को क्या सहायता दी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय म राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) जनता तथा अधिकारियों से नगद तथा मूल्यवान वस्तुओं, दोनों ही के रूप चंदा प्राप्त हो रहा है । 15 सितम्बर, 1965 से अबतक लगभग 21,100 रु० नकद राष्ट्रीय सुरक्षा निधि में चंदे के रूप में प्राप्त हो चुका है । इसके अलावा 260 ग्राम सोना और 8630 ग्राम चांदी भी प्राप्त हुई । लक्कादीव के कई निवासियों ने रक्तदान की भी पेशकश की है । कई द्वीपों में आम जलसे भी किये गए जिनमें पाकिस्तानी हमले की निन्दा की गई ।

(ग) एक ।

(घ) उस जवान के परिवार को सेना सहायता निधि में से 200 रुपये की राशि दी गई । उसके आश्रितों को परिवार पेंशन नियमों के अधीन मिलने वाले अन्य लाभ प्राप्त करने का भी अधिकार होगा ।

शायर नजरूल इस्लाम को पेंशन

2084. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान शायर नजरुल इस्लाम के पुत्र काजी सव्यसाची के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान सरकार ने अगस्त, 1965 से शायर को साहित्यिक पेंशन देना बन्द कर दिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उनका परिवार इस बात के लिये उत्सुक है कि है यदि भारत सरकार उतनी ही पेंशन देना स्वीकार कर ले तो वह पाकिस्तान से पेंशन नहीं लेंगे ; और

(ग) क्या संघ सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है और शायर को तंगी से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) शायर के पुत्र श्री काजी सव्यसाची से पता चला है कि कलकत्ता स्थित पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त ने हाल ही में सितम्बर, 1965 के भत्ते के रूप में शायर को 350 रुपये का चेक भेजा है और सूचित किया है कि अगस्त 1965 की अदायगी बाद में की जाएगी । शायर से अक्तूबर, 1965 का बिल पेश करने के लिये भी कहा गया है ।

शायर को, 1944 से, पश्चिम बंगाल सरकार से 200 रुपये मासिक की स्थायी साहित्यिक पेंशन भी मिल रही है ।

इसके अतिरिक्त शायर को प्रधान मंत्री की विवेकाधीन व्यय निधि से भी 100 रुपये मासिक का भत्ता (600 रुपये की दो छमाही किस्तों में दिया जाता है) भी मिल रहा है ।

College of Arts at Delhi

2085. Shri Yudhvir Singh :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the material used during the training in sculpture by the students of the Department of Sculpture of the College of Arts at Delhi is supplied by the College itself;

(b) whether it is also a fact that this facility is not provided to those students of the said College who have taken fine arts and crafts

(c) whether it is also a fact that the facility of filmswhich was given on previous occasions during the tours of the students has been discontinued; and

(d) if so, the reasons therefor ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) and (b). Yes, Sir. Since the materials used for sculptures are heavy in nature, such materials are supplied to the students by the College itself.

The students of Fine and Commercial Arts are, however, required to bring their own materials which are light in nature and can be carried by them easily.

(c) No such facilities were extended previously and as such the question of their discontinuance does not arise.

(d) Does not arise.

Officers of Ministry of Education

2087. Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether his Ministry had issued any orders to the effect that the Officers of that Ministry will not hold any office in the educational institutions which are given grants by the Ministry ; and

(b) if so, the number of Officers who are holding offices at present in the institutions getting grants from the Ministry of Education and the action being taken by Government against those Officers ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Orders have been issued to the effect that Officers and members of the staff of the Ministry of Education should not, as a rule, held office, in their private capacity, in institutions which receive grants from the ministry, except well-established bodies like the University Grants Commission.

(b) No officer of the Ministry is holding office in his private capacity in an educational institution receiving grants from the Ministry of Education.

Obscene Books

2088. **Shrimati Shyamkumari Devi :** **Shri Warior :** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** **Shri Ram Harakh Yadav :** **Shri Lakhmu Bhawani :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Police has arrested three persons while they were selling certain obscene books in Aligarh and Hathras in U. P.;

(b) whether it is also a fact that Government have seized 1028 copies of obscene books from them ;

(c) if so, the titles of those books ; and

(d) the place from where they were published ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) :

(a) Yes, Sir.

(b) Delhi Police seized a total of 1068 obscene books in these cases.

(c) The titles of the seized books are given in the attached list.

(d) It has not so far been possible to ascertain the place where these books were published.

1. Bhang Ki Pakori
2. Miss Vijay
3. Mere Mahboob
4. Albela Pia
5. Mera Bachpan Meri Jawani
6. Aa Gale Lagja
7. Yaden
8. Uee Ma (Uraf Badla)
9. Andheri Raaten.
10. Kok Shastra (Hindi)
11. Kok Shastra (Urdu)
12. A book containing obscene photographs
13. Bewafa
14. Jhini Sari
15. Istari Raj

Directorate of Education, Delhi

2089. Shri Vishram Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of posts of Assistant Sub-Inspectors of Schools, Sub-Inspectors of Schools and Inspectors of Schools in the Directorate of Education under the Delhi Administration ; and

(b) the number of Scheduled Castes persons working against such posts ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) and (b). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Hindi Assistants

2090. Shri Vishram Prasad : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased so state :

(a) whether it is a fact that his Ministry has taken a decision to permit Hindi Assistants to apply for the post of Hindi Officers ; and

(b) if so, the number of Hindi Assistants appointed to the post of Hindi Officers on this basis during 1964-65 ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) Yes, Sir.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Seniority of Hindi Assistants

2091. Shri Vishram Prasad : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Hindi Assistants who have been appointed in the various Ministries on the basis of the Union Public Service Commission Examination are being made permanent in their Ministries separately ; and

(b) what will be the effect thereof on their combined seniority ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) Yes, Sir.

(b) As there is no centralised cadre of Hindi Assistants, the question of their combined seniority does not arise.

Hindi Assistants

2092. Shri Vishram Prasad : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether besides Hindi Assistants, there are other cadres also to which appointments have been made on the basis of U. P. S. C. examinations but they have been denied the chances of promotion ; and

(b) If not, the reasons for such discrimination and the action taken in the matter ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) Information is not readily available.

(b) The question of providing avenues for future promotion for permanent Hindi Assistants has been carefully considered by Government. It had been

suggested that permanent Hindi Assistants who do not have other avenues for promotion at present should have a quota of appointments to higher posts, *e.g.* Hindi Officers, Research Assistants (Hindi) etc. The number of such higher posts is small and they have been created for the most part on a temporary basis. The level of qualifications prescribed for these posts is also generally higher than that for the post of Hindi Assistant. It has, therefore, not been possible to reserve a proportion of such higher posts for promotion of Hindi Assistants. It has, however, been decided that qualified Hindi Assistants should normally be permitted to apply for Class II and Class I (Junior) posts under the Central Government for which higher qualifications in Hindi or a high degree of proficiency in Hindi and experience of Hindi work are required, except where there are compelling grounds of public interest for not doing so.

Hindi Assistants

2093. **Shri Vishram Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of posts of Hindi Assistants filled up in the Various Ministries on an *ad hoc* basis ; and

(b) whether an examination is proposed to be held by the Union Public Service Commission with a view to regularising them ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) No, Sir.

गोआ में उर्वरक संयंत्र

2094. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री किन्दर लाल :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ में उर्वरक संयंत्र लगाने के लिये गैर-सरकारी फर्म से एक करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) गोआ में प्रति वर्ष 160,000 मेसर्ज मीटरी टन नाइट्रोजन की क्षमतायुक्त एक उर्वरक संयंत्र को लगाने के लिये सरकार ने बिरला ग्वालियर प्राइवेट लि० को आशय पत्र जारी किया है ।

(ख) उर्वरक कारखाने की स्थापना में वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग के लिए मैसर्ज़ बिरला ग्वालियर प्राइवेट लि० और अमरीका के मैसर्ज़ आरमर एण्ड कम्पनी के बीच 21 अक्तूबर, 1965 को एक करार पर हस्ताक्षर हुए ।

मैसर्ज़ आरमर एण्ड कम्पनी 3.88 मिलियन डालर की साम्य पूंजी (equity capital) देगा । वे इण्डियन कम्पनी के लिए निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध करेंगे :—

(1) इंजीनियरिंग, निर्माण एवं मार्किटिंग दित्ता ;

(2) संयन्त्र के रुपांकन, निर्माण एवं चालू करने और उत्पादों को बेचने के लिए अपेक्षित निपुणता ;

(3) सम्मिश्रित उर्वरकों के उत्पादन के लिए उनका गुप्त फारमूला जब आवश्यकता हो ; और

(4) गुप्त प्रक्रिया एवं टैकनोलोजी जिस का वे आजकल संयुक्त राज्य अमरीका में इस्तेमाल करते हैं ।

Separate Cadre for Hindi Assistants

2095. Shri Vishram Prasad : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that at the time of the examination held by U. P. S. C. in June, 1959 for the recruitment of Hindi Assistants, it was mentioned in the Notification that for the time being those posts were being classified as ex-cadre posts ;

(b) whether a separate cadre is now being formed for Hindi Assistants or their posts are to be merged in any other cadre ; and

(c) the scope for their promotion ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) Yes, Sir. The Notification stated that the posts of Hindi Assistants were to be treated as "excluded" from the Central Secretariat Service Scheme. The intention was to make it clear to the candidates, all of whom were already members of the Central Secretariat Clerical Service, that in the event of their subsequent promotion in the normal course to Grade IV (Assistant) in the Central Secretariat Service they would not be entitled to any special benefit in that grade by virtue of their selection/Appointment as Hindi Assistants.

(b) No, Sir.

(c) Qualified Hindi Assistants are permitted to compete for appointment to Class II and Class I (Junior) posts under the Central Government for which higher qualifications in Hindi or higher degree of proficiency in Hindi and experience of Hindi work are required except where there are compelling grounds of public interest for not doing so.

Hindi Encyclopaedia

2096. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of volumes of Hindi Encyclopaedia published so far ;

(b) when the remaining volumes were scheduled to be published and when they would actually be published ; and

(c) the causes of inordinate delay in their publication as also the steps being taken to remedy the same ?

Deputy Minister of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) Five.

(b) All the volumes were scheduled to be published by the end of 1964. The remaining volumes are now expected to be published during 1966 and 1967.

(c) (i) Vacancies in the editorial staff remaining unfilled for long periods due to frequent resignations and non-availability of suitable qualified persons ;

(ii) delays on the part of contributors in submitting articles on the topics assigned to them ;

(iii) difficulty in getting paper of the required quality ; etc.

Suitable remedial steps have been taken to overcome all these difficulties.

Dayanand National High School, Delhi

2097. **Shri R. S. Tiwari :** **Shri Lakhmu Bhawani :**
Shri Wadiwa : **Smt. Shyamkumari Devi :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the Dayanand National High School, Pataudi House, Daryaganj, Delhi was granted recognition by Government ;

(b) if so, the years for which the recognition was granted ; and

(c) whether the said school is still running or has been closed down ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (c). The School is not now running. The Delhi Administration do not have with them any records pertaining to this school.

सिविल इंजीनियर

2098. **श्री मि० सू० मूर्ति :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सिविल इंजीनियर आवश्यकता से अधिक हो गये हैं तथा उनके सामने बेरोजगारी की समस्या है ;

(ख) यदि हां, तो उनके लिए रोजगार ढूंढने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या सिविल इंजीनियरी पाठ्यक्रम में और अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश रोकने की आवश्यकता की जांच की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

हैदराबाद में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का प्रशिक्षण निदेशालय

2099. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री किन्दर लाल :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हैदराबाद स्थित भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रशिक्षण निदेशालय का संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि के अन्तर्गत विनियोजन-पूर्व सर्वेक्षण, नक्शे तयार करने तथा दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के तकनीशियनों के प्रशिक्षण के लिये संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण परियोजना के रूप में विस्तार करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर कितना व्यय किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : हैदराबाद में एक मार्गदर्शी उत्पादन एवं-प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने में भारतीय सर्वेक्षण विभाग को संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि से सहायता मिल रही है। विशेषज्ञों, सामान तथा शिक्षावृत्ति के रूप में संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि से पांच वर्ष की अवधि में लगभग 70 लाख रुपये मिलेंगे। इसी अवधि में स्थापना, देसी सामान और इमारत के रूप में व्यय में भारत सरकार का अनुमानित हिस्सा 365 लाख रुपये होगा। परियोजना के अनुसार प्रति वर्ष 500 सर्वेक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने का विचार है। इसमें से कुछ सर्वेक्षक कुछ दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के हो सकते हैं; विद्यमान प्रशिक्षण निदेशालय को प्रस्तावित प्रशिक्षण केन्द्र में मिला दिया जायेगा।

केरल में अध्यापकों को महंगाई भत्ता

2100. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सरकारी कर्मचारियों तथा गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को दी गई महंगाई भत्ते की नई दरें वहां के गैर-सरकारी कालिजों के अध्यापकों पर भी लागू होंगी ; और

(ख) क्या केरल में गैर-सरकारी कालिजों के अध्यापकों के वेतन-क्रम बदलने का कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) मामले पर केरल का शिक्षा विभाग, विचार कर रहा है।

केन्द्रीय सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति

2101. श्री वारियर :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय के कार्यालियों में चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कर्मचारियों की संख्या बहुत बड़ी है जो शिक्षा की दृष्टि से 'लिपिक पदों' के लिये उपयुक्त हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सचिवालय के कार्यालयों में 'लिपिक पदों' पर उनकी पदोन्नति के लिय कोई व्यवस्था की गई है ताकि वे सामाजिक तथा आर्थिक तौर पर प्रगति कर सकें ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1962 में ऐसा उपबन्ध करने पर विचार कर रही है कि नियमित रूप में उनकी लिपिक पदों पर पदोन्नति हो ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) : केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा में भाग लेने वाले मंत्रालयों/कार्यालयों में लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के जरिये की जाती है। चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी लोअर डिवीजन क्लर्क के पद के लिए निर्धारित आयु के होते हैं तथा शिक्षा सम्बन्धी निर्धारित योग्यता प्राप्त होते हैं, वे इस परिक्षा में बैठ सकते हैं तथा सफल होने पर पद पर नियुक्त किये जा सकते हैं।

केन्द्रीय सचिवालय के कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कर्मचारियों की संख्या के बारे में, जो शिक्षा की दृष्टि से लोअर डिवीजन क्लर्क के पद के योग्य हैं, जानकारी उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में विवरण इकठ्ठा करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के जरिये की जाती है। केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा योजना में भागीदार मंत्रालयों/कार्यालयों में लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति करने के लिए केन्द्रीय सचिवालय नियमों, 1962 में कोई पृथक व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि लोअर डिवीजन क्लर्क का पद पदोन्नति वाला पद नहीं है।

वरिष्ठता सम्बन्धी नियम

2102. श्री ईश्वर रेड्डी :

श्री वारियर :

श्री वासुदेवन नायर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-कार्यमंत्रालय के दिनांक 22 दिसम्बर, 1959 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9-11-55 आर०पी०एस० में निहित केन्द्रीय (सिविल) सेवाओं में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों की वरिष्ठता निर्धारित करने सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त किन्हीं केन्द्रीय सिविल सेवाओं में भूतलक्षी प्रभाव से लागू किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां तो इन को भूतलक्षी प्रभाव से किन किन सेवाओं में लागू किया गया है और भूतलक्षी प्रभाव किस तिथि से दिया गया है और प्रत्येक मामलों में ऐसा करने का औचित्य क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

वरिष्ठता नियम

2103. श्री वारियर :

श्री ईश्वर रेड्डी :

श्री वासुदेवन नायर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह-कार्य मंत्रालय के दिनांक 22 जून, 1949 के ज्ञापन संख्या 30/44/48-एपोइंटमेंटस और 30/49-आर में दिये गये सरकार के सामान्य वरिष्ठता आदेश विशेष रूप से भारत सरकार के मंत्रालयों और सम्बध कार्यालयों में काम करने वाले क्लेरीकल और अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में किस तारीख से रद्द किये गये हैं ; और

(ख) क्या उक्त आदेश की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) गृह मंत्रालय का 22 जून 1949 का कार्यालय ज्ञापन 30।44।48-एपोइंटमैंट्स 22 दिसम्बर 1959 को रद्द हो गया जबकि 22-6-49 का कार्यालय ज्ञापन 30।49-और जो केवल मंत्रालयों तथा संलग्न कार्यालयों के लोअर डिवीजन क्लर्कों पर ही लागू होता था, केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप 1-11-1962 को निष्प्रभाव हो गया।

(ख) 22-6-49 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 30।44।48-एपोइंटमैंट्स को रद्द करने वाले गृह मंत्रालय के 22-12-59 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9।11।55-आर० पी० एस० तथा 22-6-49 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 30।49-आर को निष्प्रभाव करने वाले 28-9-1962 के राजपत्रित सामान्य परिनियत नियम संख्या 1308 के नियम 17 की एक-एक प्रति सदन के सभा-पटल पर रख दी गई है।

Naming of Universities after Individuals

2104. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1236 on the 1st September, 1965 and state :

(a) the particulars of the Universities which are still named after individuals ; and

(b) the steps being taken to change their names ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) :

(a) 1. Annamalai University ;
2. Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit Vishwavidyalaya ;
3. Rabindra Bharati University ;
4. Maharaja Sayajirao University of Baroda ;
5. Sardar Vallabhabhai Vidyapeeth ;
6. Shivaji University ;
7. Jiwaji University ;
8. Ravi Shankar University ;
9. Jawahar Lal Nehru Krishi Vishwavidyalaya ;
10. Sri Venkateswara University ;
11. Vikram University ; and
12. Shreemati Nathibai Damodar Thackersey Women's University.

(b) These are all State Universities. It is, therefore, for the State Governments concerned to take necessary steps in this respect, if any.

Pakistani Nationals in Rajasthan

2105. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Pakistani nationals who previously had gone to Pakistan from Barmer and Jaisalmer areas of Rajasthan are returning to those areas and settling there again ; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government to either settle them there or to repatriate them ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supply in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

सम्बलपुर (उड़ीसा) में विश्वविद्यालय कन्द्र

2106. **श्री प्र० के० देव :**
श्री कपूर सिंह :
श्री य० ना० सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बलपुर, उड़ि़सा में एक विश्वविद्यालय केन्द्र खोलने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित केन्द्र क्या कार्य करता है तथा यह विश्वविद्यालय से किस रूप में भिन्न है ; और

(ग) क्या सम्बलपुर में एक विश्वविद्यालय खोलने के लिये उस क्षेत्र के सभी वर्गों ने एक मत से मांग की थी और क्या सभी शर्तें पूरी की गई हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : राज्य सरकार ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री से सम्बलपुर और बरहामपुर में एक-एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने का अनुरोध किया था। शिक्षा मंत्री ने इसके बदले राज्य सरकार को इन स्थानों पर दो विश्वविद्यालय केन्द्रों के स्थापित करने की सलाह दी। इस प्रश्न पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

दिल्ली के स्कूलों में राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये धन एकत्र करना

2107. श्री जेधे :

श्री वि० तु० पाटिल :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली/नई दिल्ली के अनेक स्कूलों में राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये विद्यार्थियों से, विधिवत रसीद दिये बिना, चन्दा लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन स्कूलों के नाम क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यह कैसे सुनिश्चित किया गया कि इस तरह जमा की गई रकम सब सही है तथा उसमें कोई हेरफेर नहीं किया गया ; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है कि भविष्य में कोई संस्था अथवा व्यक्ति सरकार की ओर से किसी अन्य कोष के लिये वास्तविक रूप से प्राप्त होने वाली रकम अथवा वस्तु के लिये विधिवत रसीद दिये बिना कोई चन्दा न ले ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत में निरक्षर

2108. श्री मुथिया : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसार में सब से अधिक निरक्षर लोग भारत में हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस समय देश में कितने निरक्षर लोग हैं ;

(ग) भारत में शिक्षा पर प्रतिव्यक्ति कितना वार्षिक धन व्यय होता है ; और

(घ) क्या भारत में अनुसन्धान-कार्य पर सबसे कम व्यय किया जाता है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) चीन के बारे में नवीनतम आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए कोई विशिष्ट उत्तर देना संभव नहीं है। 1951 में, चीन में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक थी ।

(ख) 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में निरक्षरों की कुल संख्या 33,39,01,801 है ।

(ग) 1961 में यह 7.8 रुपये था ; और

(घ) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

विशाखपट्टणम में उर्वरक परियोजना

2109. श्री प्र० चं० बरूआ : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) विशाखापट्टणम में अमरीकी सहायता प्राप्त कोटोमंडल उर्वरक परियोजना की क्रियान्विति में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उस पर अब तक कितना धन व्यय हुआ है ; और

(ग) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) फरवरी 1965 में परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। अमरीकी एवं देश के अन्दर से सामग्री का लगभग 10

प्रतिशत अंश स्थान पर पहुंच चुका है। दिसम्बर, 1965 में मशीनरी एवं उपकरणों के और पोत-लान (Shipment) के पहुंचने की आशा है।

(ख) सितम्बर, 1965 तक 5.73 करोड़ रूपये।

(ग) 1966 के अन्त तक।

आसाम में उर्वरक कारखाना

2110. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री 18 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 240 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के प्रस्तावित उर्वरक कारखाने में कितनी प्राकृतिक गैस प्रयोग होगी ;

(ख) परियोजना की उत्पादन क्षमता तथा अनुमानित व्यय क्या होगा ; और

(ग) इसको कहां पर लगाने का विचार है तथा इसकी अन्य मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (ग) : प्रस्ताव अभी भी प्रारम्भिक अवस्था में है। बर्मा आयल ग्रुप कम्पनियों द्वारा एक सम्भाव्य अध्ययन किया जा रहा है और सरकार को रिपोर्ट के फरवरी 1966 में प्राप्त हो की आशा है।

पर्यटन विभाग के उप-महानिदेशक के विरूद्ध जांच

2111. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बसुमतारी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 14 अप्रैल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 2248 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग के भूतपूर्व उप-महानिदेशक के विरूद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोपों की जांच पूरी हो गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय जांच विभाग के अधिकारियों ने कुछ समय पहले जांच के सम्बन्ध में कुछ दर्शकों की उपस्थिति में उसके निजी कक्ष पर छापा मारा था जिस से संबधित अधिकारी को काफी परेशानी हुई ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच विभाग की इस कार्यवाही में क्या औचित्य है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) :
(क) जांच अभी तक पूरी नहीं हुई।

(ख) अधिकारी के कक्ष पर छापा नहीं मारा गया था। अधिकारी के निजी कक्ष में पहले से व्यवस्था तथा अधिकारी की सहमति से गए थे।

(ग) इस प्रकार उनके कक्ष में जाने का उद्देश्य वहां लगे हुए साज-सज्जा का मूल्यांकन करना था।

आजन्म कैदी

2112. **श्री किशन पटनायक :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह एक साधारण नियम है कि आजन्म कैदी को कद में दी जाने वाली छूट समेत 20 वर्ष की सजा काटने पर रिहा कर दिया जाता है ;

(ख) क्या दिल्ली (तिहाड़) जेल में कुछ ऐसे कैदी हैं जिन्होंने 20 वर्ष की सजा काट ली है और जेल में जिनका रिकार्ड अच्छा है; और

(ग) क्या कुछ राज्यों में उपरोक्त नियम का पालन नहीं किया जाता तथा उन राज्यों में इस नियम का पालन कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) "आजन्म कैद" शब्द का अर्थ व्यावहारिक रूप में छूट समेत 20 वर्ष की सजा माना जाता है बशर्ते कि राज्य सरकार ने, कैदी के मामले की पुनरीक्षा करने के उपरान्त, उसकी सजा की मियाद बढ़ाने का आदेश न दिया हो ।

(ख) जी, हां। दो "आजन्म कैदी" ऐसे हैं जिन्होंने छूट समेत 20 वर्ष की सजा काट ली है।

(ग) जी, नहीं ।

विशेष पुलिस संस्थान

2113. **श्री राम हरख यादव :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1965 को समाप्त होने वाले तिमाही में केन्द्रीय जांच विभाग के विशेष पुलिस संस्थान ने क्या कार्य किया हैं ;

(ख) विशेष पुलिस संस्थान द्वारा कितने मामले निपटाये गये हैं;

(ग) इस अवधि में इसने कितने मामलों में दण्ड दिलाया ;

(घ) इस अवधि में किन्हीं गैर-सरकारी व्यक्तियों को भी ऐसे ही आरोपों के लिये न्यायालय द्वारा दण्ड दिया गया है और यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को; और

(ङ) ऐसे ही आरोपों के लिये कितने लोगों को विभागीय दण्ड दिया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी): (क) 30 सितम्बर, 1965 को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान विशेष पुलिस संस्थान द्वारा किये गए कार्यों के बारे में जारी की गई प्रैस विज्ञप्ति की एक प्रति संलग्न है (**संलग्निका—i**)

(ख) जिन मामलों पर 30 सितम्बर, 1965 को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान विशेष पुलिस संस्थान ने कार्यवाही की और उस कार्यवाही के परिणाम का ब्यौरा संलग्न है । (**संलग्निका—ii**)

(ग) 52 ।

(घ) जी, हां । ऐसे व्यक्तियों की संख्या 29 है ।

(ङ) 227 ।

शिमला में "आइस स्केटिंग रिंक"

2114. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में एकमात्र "आईस स्केटिंग रिंक" शिमला में है;

(ख) क्या इस 'रिंक' के स्थान पर बस स्टैंड बनाने के प्रस्ताव के कारण इसके तोड़े जाने का खतरा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसे बनाये रखने के लिए कार्यवाही की जायेगी ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां, जहां तक सरकार को जानकारी है ।

(ख) और (ग) : पंजाब सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उल्हासनगर में अनधिकृत रूप में बनाये गये मकान

2115. श्री विघे :

श्री वसवन्त :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में उल्हासनगर में अनधिकृत रूप में कितने मकान बनाये गये हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने हाल में कोई ऐसे आदेश जारी किये हैं कि 11 मई, 1965 से पहले बने मकानों को न गिराया जाये ?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) : (क) जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि उल्हासनगर जिसमें भूमि का निपटारा नहीं किया गया है तथा उस पर जो अतिक्रमण हुआ है उस के बारे में एक सर्वेक्षण करने के लिये प्रस्तावित किया गया है।

(ख) आदेश जारी कर दिये गये है कि सर्वेक्षण के पूर्ण होने तक विस्थापित व्यक्तियों द्वारा किये गये अतिक्रमण के बारे में उनको हटाने की कार्यवाही को रोका जाये।

Migrants in Tripura

2116. **Shri Yudhvir Singh :**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Shri Bade :

Will the Minister of **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the action being taken by the Central Government for the rehabilitation of migrants who are coming to Tripura from East Pakistan at an average rate of 71 per day; and

(b) the number of persons who have come there after the recent Indo-Pak conflict ?

The Minister of Rehabilitation (Shri Mahavir Tyagi) : (a) and (b). From 1-8-1965 to 15-11-1965, 225 families consisting of 1,113 persons have migrated from East Pakistan to Tripura. Most of them came without valid travel documents and were not therefore eligible for normal relief benefits. However, 65 families consisting of 331 persons were admitted in camps, as hard cases.

In the case of migrants admitted in relief camps in Tripura, it has been decided that, to the extent possible, they should be taken to other States for rehabilitation as there is little scope in Tripura for absorption of more migrants.

Motor Wheel Stealing Gang

2117. **Shri Bade :**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Delhi Police have unearthed a gang of thieves stealing the motor wheels ; and

(b) if so, the details thereof ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) Yes, Sir.

(b) In November last Delhi Police arrested two persons belonging to gang of motor wheel thieves. 19 stolen tyres and 2 rims were recovered. Six cases of theft of motor wheels reported from Original Road and Karolbagh Police Stations have been traced to. Two remaining members of the gang are still to be arrested.

Goonda Menace in Ramesh Nagar, Delhi

2118. Shri Bade :

Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a shop-keeper was stabbed by some goondas at Ramesh Nagar, Delhi on the 16th November, 1965;

(b) the action taken by Police against such bad elements and whether they have been apprehended; and

(c) if not, the reasons therefore?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) On the night between 15/16th November 1965 a shop-keeper was assaulted with iron implements by three persons of the same locality.

(b) and (c). A case under section 307/34, I. P. C., was registered at Moti Nagar Police Station. One of the assailants was arrested soon after the incident and the other two were arrested on 24th November, 1965. The case will be sent to court for trial shortly.

Licences for Fire-Works

2119. Shri Bade :

Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any cases of corruption have been registered against some persons for obtaining licences for fire-works and crackers on the occasion of Diwali;

(b) If so, their number and other details in that regard ; and

(c) the action taken by the Delhi Administration against those persons ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) No, Sir.

(b) and (c), Do not arise.

मैसूर सरकार द्वारा मद्य-निषेध नीति में ढील देना

2120. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर की राज्य सरकार ने अपनी मद्य-निषेध नीति में ढील दे दी है ;

(ख) क्या मद्य-निषेध नीति में ढील दिये जाने के विरोध में मैसूर राज्य के उत्तर कनारा जिले में, अंकोला के एक सर्वोदय कार्यकर्ता, श्री शिवलप्पा नायक भूख-हड़ताल कर रहे हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने नीति में परिवर्तन करने से पहले केन्द्रीय सरकार से परामर्श किया था; और

(घ) सर्वोदय कार्यकर्ता द्वारा भूख-हड़ताल और मद्य-निषेध नीति में परिवर्तन पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ) : तक सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

ब्रिटिश चाय बागान मालिक

2121. **श्री उ० मू० त्रिवेदी :**

श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में कुछ ब्रिटिश चाय बागान मालिकों को आसाम से निकाला गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : आसाम में तीन ब्रिटिश चाय बागान मालिकों की नजरबन्दी से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न संख्या 139 के उत्तर में 10 नवम्बर, 1965 को सदन के सभा-पटल पर रखे गए विवरण की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अब चाय बागान के ये तीनों ब्रिटिश मालिक भारत से निकाल दिये गए हैं और 24 नवम्बर, 1965 को दमदम हवाई अड्डे से लंदन के लिये रवाना हो चुके हैं।

विश्वविद्यालयों में सैनिक विज्ञान

2122. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **शिक्षा** मंत्री विश्वविद्यालय शिक्षा में सैनिक विज्ञान के बारेमें 25 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 629 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई विशेष समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) क्या प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : इस समय प्रश्न ही नहीं उठता।

Houses Rented by Vishwa Bharati

2123. **Shri Bade :**

Shri Kashi Ram Gupta :

Shri Gauri Shankar Kakkar :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Vishwa Bharati (Shanti Niketan) has taken on rent some private houses also near its main Guest House;

(b) whether it is also a fact that there are houses belonging to some Central Ministers among them for which the rent charged is much higher than the rates of rent prevalent in that area;

(c) if so, the names of the Ministers whose houses have been so taken on rent ; and

1—15 Lok Sabha/66

(d) the date from which these houses have been taken, the total amount of rent so far paid as also the cost of those houses ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (d). The information has been called for from the University and will be laid on the Table of the House as soon as it is received.

सेवाकाल बढ़ाना तथा पुर्ननियुक्त करना

2125. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अब तक केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में कितने व्यक्तियों का सेवाकाल बढ़ाया गया है तथा कितने व्यक्तियों को फिर से नियुक्त किया गया है ;

(ख) प्रत्येक मामले में सेवा काल बढ़ाने तथा फिर से नियुक्त करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कारण कितने व्यक्ति पदोन्नति से वंचित रहे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

केरल में तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम

2127. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री वारियर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल विश्वविद्यालय अगले शिक्षा वर्ष से तीन वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम की नई प्रणाली आरम्भ कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) विवरण संलग्न है ।

विवरण

पाठ्यक्रमों की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(i) 1964 में शुरू किये गए दो वर्षीय पूर्व-डिग्री पाठ्यक्रम जिसमें उन विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकता है, जिन्होंने 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा के साथ राज्य की एस० एस० एल० सी० अथवा इसी के समकक्ष परीक्षा पास की हो, ये विद्यार्थी नए तीन-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम में दाखिल हो सकते हैं।

(ii) विद्यमान तीन-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रमों के क्षेत्र और विषय-वस्तु का पुनर्गठन किया गया है ।

(iii) शिक्षा संबंधी अथवा अन्य विशिष्ट कार्य के लिए व्यवस्था कर दी गई है।

(iv) बी० एस० सी० (विशेष) पाठ्यक्रम उन विद्यार्थियों के लिए है, जो पूर्व-डिग्री परीक्षा के विज्ञान विषयों में उच्च अंक प्राप्त करने के आधार पर चुने जाते हैं।

इस विशेष पाठ्यक्रम के लिए केवल उन्हीं कालेजों को सम्बद्धन स्वीकृत किया जाता है, जहां उन्नत प्रयोगशाला की सविधाएं हों।

(v) दो-वर्षीय पूर्व-डिग्री पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी इंजीनियरी, चिकित्सा, कृषि और पशु-चिकित्सा-विज्ञान जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सीधे ही दाखिला ले सकते हैं।

भारतीय प्रशासन सेवा के लिये आपात-कालीन भर्ती

2128. **श्री धुलेश्वर मीना :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग भारतीय प्रशासन सेवा के लिये आपात-कालीन भर्ती करने के लिये परीक्षा लेने का विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हा, तो यह परीक्षा कब होगी ; और

(ग) उम्मीदवारों की पात्रता के लिये क्या अर्हतायें रखी गई हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

नेताजी का जन्म दिवस

2129. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल सरकार नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिन, 23 जनवरी, को प्रतिवर्ष समूचे राज्य में सार्वजनिक छुट्टी घोषित करती है ;

(ख) क्या 1966 से समूचे देश में इस दिन को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : ऐसा कोई विचार नहीं है। राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में मनाई जाने वाली छुट्टियां तय करने की पूरी छूट है। जहां तक केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों का प्रश्न है, द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश पर छुट्टियों की संख्या 23 से घटा कर 16 कर दी गई हैं । इन छुट्टियों की संख्या में बढ़ोतरी करना जनहित की दृष्टि से ठीक नहीं होगा।

"स्वराज्य" और "कल्की" के विरुद्ध मुकदमे

2130. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**

श्री वारियर :

श्री वासुदेवन नायर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "स्वराज्य" के सम्पादक और तमिल साप्ताहिक "कल्की" के सम्पादक, श्री पोठन जोसेफ़ के विरुद्ध कोई कानूनी कारवाई की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां। (यह कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की गई थी) ।

(ख) पक्षपातपूर्ण संवाद और एक व्यंगचित्र प्रकाशित करने के कारण।

प्रार्थनापत्र भेजने सम्बन्धी नियम

2131. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री वारियर :

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के अन्यत्र रोजगार के लिये प्रार्थना पत्रों को भेजने के प्रश्न पर विचार करने के बारे में अपनाये जाने वाले सिद्धांन्तों सम्बन्धी गृह-कार्य मंत्रालय के दिनांक 25 फरवरी, 1963 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 70/60-62-एस्ट्स (क) में अन्तर्विष्ट हिदायतों का, जिन्हें भारत सरकार के अन्य सभी मंत्रालयों को भेजा गया था, अनुसरण किया जा रहा है;

(ख) क्या उपरोक्त ापन भारत सरकार के सभी मंत्रालयों के अधीन सरकारी क्षेत्र के संगठनों पर लागू होता है और यदि हां, तो क्या ऐसे संगठन उसका अनुसरण करते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इन हिदायतों का अनुसरण न करने वाले सरकारी क्षेत्र के संगठनों तथा सरकारी उपक्रमों के मामले में क्या पग उठाये जाने का विचार है?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जिन आदेशों का हवाला दिया गया है वे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर उस समय लागू होते हैं जब वे केन्द्रीय सरकार अथा किसी राज्य सरकार; या पूरी तरह केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या अर्ध-सरकारी संगठन के अधीन आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधीन अन्य किसी पद के लिये आवेदन देते हैं। केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा इन आदेशों का पालन किया जा रहा है।

(ख) ये आदेश सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होते। फिर भी, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उन सदस्यों को, अपना भविष्य सुधारने की सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से, जो ऐसे उपक्रमों में काम करते हों, मंत्रालयों को कहा गया था कि वे अपने अधीन आने वाले उपक्रमों को यह परामर्श दें कि वे इस वर्ग के कर्मचारियों के आवेदन पत्रों पर कायवा ी करते समय, जहां तक हो सके और लगातार दक्षता का ध्यान रखते हुए, इन आदेशों का पालन करें।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और व संगठनों द्वारा बनाये गए नियमों से प्रशासित होते हैं।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

फर्टिलाइजरज एण्ड कैमिकल्ज, ट्रावनकोर लिमिटेड, अलवाये

2132. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री वारियर :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली में कटौती होने के कारण फर्टिलाइजरज एण्ड केमिकल्ज, ट्रावनकोर, लिमिटेड, अलवाये, में जबरी छुट्टी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कितने मजदूर बेरोजगार हैं; और

(ग) बिजली में कटौती होने के कारण फर्टिलाइजरज एण्ड केमिकल्ज, त्रावणकोर लिमिटेड, में उत्पादन में अनुमानत: कितनी कमी होगी?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां।

(ख) 25-11-1965 से जबरी छुट्टी / नौकरी से हटाये गये कर्मचारियों की संख्या 561 है जिसमें 27 दैनिक दर पर आकस्मिक मजदूर शामिल हैं।

(ग) बिजली की आवश्यकातओं में 60 प्रतिशत तक कटौती होने के कारण कुछ महत्वपूर्ण संयन्त्र बन्द हो गये हैं। तीन पाशों (Loops) में से केवल एक अमोनिया पाश काम कर रहा है और प्रति दिन 250 मीटरी टन अमोनिया के आशायुक्त उत्पादन के मुकाबले में 85 मीटरी टन अमोनिया उत्पादित किया जा रहा है। एक सल्फयरिक अम्ल संयन्त्र बन्द है और अन्य सारे संयन्त्र कम क्षमता पर काम कर रह है; जिसके परिणाम स्वरुप सल्फ्युरिक अम्ल के 760 मीटरी टन सामान्य उत्पादन के मुकाबले में केवल 250 मीटरी टन उत्पादित किया जा रहा है।

आसाम की आदिम जातियों की ओर से ज्ञापन

2132क. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को उनके आसाम के दौरे के दौरान मिजो आदम जातियों के नेताओं ने कोई ज्ञापन पेश किया था, जिसमें उन्होने अपने क्षेत्र के लिये एक पृथक प्रशासन की मांग की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार एक पृथक मिज़ोरम राज्य के निर्माण को व्यावहारिक अथवा वांछनीय नहीं समझती। हां अपने सन्मख विचारार्थ प्रस्तुत विषयों की सीमा के अन्दर-अन्दर पाटसकर आयोग को यह विचार करना है कि क्या ज़िला तथा क्षेत्रीय परिषदों की शक्तियों तथा कार्य में कोई हेरफेर करने की जरूरत है और इन परिषदों की कार्यप्रणाली की जांच करने के बाद यदि कोई परिवर्तन आवश्यक हों तो यह सिफारिश करनी है कि क्या परिवर्तन किये जाये।

अविलंबनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना डाक्टरों द्वारा हड़ताल की धमकी

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर स्वास्थ मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दे।

"दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के 800 डाक्टरों की हड़ताल की धमकी।"

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशिला नायर) : मैंने समाचार पत्रों में इस सम्बन्ध में कुछ पढ़ा है इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई अन्य जानकारी नहीं है। मैं जानकारी इक्कठी करूंगी ैर सभा को सूचित करने के लिय यदि कोई बात हुई तो मैं कल वक्तव्य दूंगी।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमन् यह हड़ताल दिल्ली के डाक्टरों से सम्बन्ध रखती है। हमने बम्बई अथवा किसी अन्य स्थान के बारे में नहीं पूछा है ....

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रश्न की सूचना मुझे उसी दिन मिले तो मंत्री महोदय को उसका उत्तर देने के लिये कुछ समय मिलना चाहिये। उन्होंने समय मांगा है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

एकाधिकार जांच आयोग का प्रतिवेदन

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं एकाधिकार जांच आयोग के प्रतिवेदन, 1965 (खण्ड 1 तथा 2) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5322/65 ।]**

सूती कपडा मिलों के बन्द हो जाने के बारे में एक वक्तव्य

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): मैं सूती कपड़ा मिलों के बन्द हो जाने के बारे में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5323/65 ।]**

संघलोक सेवा आयोग (परामर्श से छुट) (तीसरा संशोधन) विनियम तथा भारतीय प्रशासन सेवा वेतन नियम

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (5) के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1965, जो दिनांक 20 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1672 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 5324/65 ।]**

(2) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1673 की एक प्रति जो दिनांक 20 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची 3 में एक संशोधन किया गया । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5325/65 ।]**

सीमा सुरक्षा के बल के बारें में तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO SUPPLEMENTARIES TO STARRED QUESTION NO. 1 RE. BORDER SECURITY

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं सीमा सुरक्षा के बारे में 3 नवम्बर, 1965 को पूछ गये तारांकित प्रश्न संख्या 1 के कुछ अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में शुद्धि के बारे में एक विवर सभापटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5326/65 ।]**

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : उन्होंने उत्तर में शुद्धि की है । नियम के अनुसार उन्हें यह सभा को पढ़ कर सुनाना चाहिये ।

श्री ल० ना० मिश्र : लोक-सभा वाद-विवाद (तेरहवां अधिवेशन) तृतीय माला, खण्ड 47 संख्या 1, बुधवार 3 नवम्बर, 1965, स्तम्भ 4, मूल संस्करण (original version) में निम्नलिखित वाक्य

"....हमारी एक समन्वय समिति होगी परन्तु इसमें सीमान्त पुलिस के अधीकारी नहीं होंगे। यह समिति सीमांत पुलिस के नियंत्रणाधीन नहीं होगी।"

के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाये :

"......हमारी एक समन्वय समिति होगी ।"

इसी प्रकार स्तम्भ 5 में निम्नलिखित वाक्य में—

"**श्री ल० ना० मिश्र :** अपेक्षाकृत उनको अधिक अच्छे वेतन और उपलब्धियां मिलेंगी क्योंकि; जहां तक मुझे ठीक ठीक याद है, प्रस्ताव यह है कि उनके वेतन केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस के कमचारियों के वेतन के बराबर कर दिये जायगे जोकि राज्य के सशस्त्र पुलिस सिपाहियों (Policemen) को दिये जाने वाले वेतन से अधिक हैं :"

अन्तिम पंक्ति इस प्रकार पढ़ी जाये :

"........राज्यों के सशस्त्र पुलिस कर्मचारियों (Police personnel) को दिये जाने वाले वेतन से अधिक हैं ।"

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिती
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

छिहत्तरवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : श्रीमन्, मै गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धि समिति का छिहत्तरवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

रेलवे बजट पर चर्चा के दौरान सदस्यों द्वारा उठाई गई कुछ बातों के उत्तर के बारे में वक्तव्य
STATEMENT ON REPLIES TO MATTERS RAISED BY HON. MEMBERS ON RAILWAY BUDGET DISCUSSION

रेलवे मंत्री (श्री स०का० पाटिल) : इस वर्ष के शुरू में रेलवे बजट पर बहस के दौरान में मैंने कहा था कि रेलवे बजट के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रश्न उठाय गये हैं और उनमें से जिन प्रश्नों का समाधान सदन में दिये गये मेरे अपन उत्तरों से नहीं हो सका है, उनके बारे में मैं माननीय सदस्यों को उत्तर भेजने का प्रयास करूंगा ।

माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये है, वे रेल-प्रशासनों के लिए बहुत उपयोगी रहे हैं और उन पर यथासम्भव अमल किया गया है और किया जा रहा है । बजट पर बहस के दौरान माननीय सदस्यों ने जो सामान्य विचार व्यक्त लिये थे और जिनके बारे में कोई निर्दिष्ट उत्तर देना अपेक्षित नहीं है, उन विचारों को भी नोट कर किया गया है और सम्बन्धित अधिकारी उनको ध्यान में रख रहे हैं ।

पिछले वर्ष की परिपाटी के अनुसार इस बार भी अब तक जितने उत्तर अन्तिम रूप से तैयार कर लिये गये हैं, उनके समेकित सट की तीन प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में रखवाने की व्यवस्था मैंने कर दी है ताकि जो माननीय सदस्य उन्हें देखना चाहें, देख लें ।

कूछ जातियों तथा आदिम जातीयों को अनसूचित जातियों तथा आदिम जातीयों की सुची से निकाल देने के बारे में

RE : DE-SCHEDULING OF CERTAIN CASTES AND TRIBES

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): श्रीमन्, साधारणतया यह होता है कि जब सरकार कोई महत्वपूर्ण निर्णय करती है, उनके बारे में लोक-सभा में घोषणा की जाती है परन्तु "स्टेट्समेंन" में यह छपा है कि अनुसूचित जातियों को ऐसी सूची में से निकालने के बारे में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है । सरकार ने इसके बारे में लोक-सभा में कोई घोषणा नहीं की है । मेरा निवेदन है कि क्या सरकार ने ऐसा कोई निर्णय किया है ? सरकार यह निर्णय लोक-सभा में भी घोषित करे । मैंने इसी कारण ध्यान दिलाने वाली सुचना भेजी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री बनर्जी को याद दिला दूं कि वह इस प्रकार प्रश्न नहीं उठा सकते । उन्होंने मुझे ध्यान दिलाने वाली सूचना भेजी है ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : आपने बार बार यह कहा है कि यह वांछनीय है कि सरकार ऐसे महत्वपूर्ण निर्णयों के बारेमें पहले सभा में घोषणा करे ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने बहुत बार यह कहा है कि इससे विशेषाधिकर का उल्लंघन नहीं होता । "वांछनीय" शब्द का प्रयोग किया गया है । कल मंत्री महोदय ने एक विस्तृत विवरण दिया है कि वह इस सूची में संशोधन कर रहे हैं ।

श्री सोनावने (पंढरपुर) : अभी सूची में से किसी अनुसूचित जाति अथवा आदिमजाति को निकालने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है । सरकार को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है और उसमें की गई सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है ।

श्री स० मो० बनर्जी : कृपया आप मेरी बात सुन ले । मैं इस सम्बध में आपका विनिर्णय चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विनिर्णय यह है कि अब आप बैठ जाय ।

श्री स० मो० बनर्जी : आप कृपया मेरी बात सुन ले । यह एक गम्भीर विषय है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अध्यक्षपीठ की अवहेलना कर रहे हैं और बार बार कहने पर भी अपने स्थान पर नहीं बैठते । वह इस प्रकार बहस नहीं कर सकते । मैं उनसे अब यह कहता हूं कि वह सभा से बाहर चले जाय ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं सभा से उठ कर बाहर जा रहा हूं ।

संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक तथा सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—(जारी)

UNION DUTIES OF EXCISE (DISTRIBUTION) AMENDMENT BILL, ADDITIONAL DUTIES OF EXCISE (GOODS OF SPECIAL IMPORTANCE) AMENDMENT BILL AND ESTATE DUTY (DISTRIBUTION) AMENDMENT BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा निम्नलिखित तीन प्रस्तावों पर अग्रेतर चर्चा करेगी :

"कि संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) अधिनियम 1962 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

कि अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, 1957 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ; और

कि सम्पदा शुल्क (वितरण, अधिनियम, 1962 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री दी० चं० शर्मा अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मने कल यह निवेदन किया था कि यह आयोग मनमाने ढंग से गठित किया गया था । अधिकतर एसे लोगों को नियुक्त किया जाता है जो जनता की भावना से दूर होते हैं । चौथे वित्त आयोग को उन कठिनाइयों तथा रुकावटों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है जिनके अन्तर्गत भारत के कुछ राज्यों को कार्य करना पड़ता है, कुछ राज्यों के अनेक अविलम्बनीय दावों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है । पश्चिमी बंगाल और आसाम को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । परन्तु उन्हें कोई विशेष रियायत नहीं दी गई है । वित्त आयोग को चाहिये कि वह केरल को अधिक धन दे ताकि उस राज्य में नियोजन के अधिक अवसर पदा किये जा सके ।

वास्तविकता यह है कि राज्यों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया है । आज दशा यह है कि वित्त मंत्रालय राज्यों को भिखारी की स्थिति में रख रहा है । मैं वित्त मंत्री महोदय को दोषी नहीं ठहराता क्योंकि वह दयावान हैं ; यह दोष वित्त मंत्रालय का है ।

सरकार विनियामक शुल्क, विशेष उत्पादन-शुल्क तथा उपकर आदि के सम्बन्ध में इतनी छूट दे रही है । ये राशियां वितरित नहीं होंगी ।

इन विधयकों के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक ओर वितरण समान रूप से नहीं किया गया है और दूसरी ओर कुछ राशि जो कि पूर्णतया अथवा अंशतः दी जानी चाहिये थी, राज्यों को नहीं दी गई है । राज्यों को लगभग भिखारी बनाया जा रहा है ।

सम्पदा-शुल्क विधेयक के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक सम्पदा-शुल्क का सम्बन्ध है, उसका वितरण अधिक उदारता से किया जाना चाहिये । सम्पदा-शुल्क राज्यों का विशेषाधिकार है ।

अन्त में मैं माननीय वित्त मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि उन राज्यों को वित्त-सम्बन्धी सहायता अधिक दी जानी चाहिये जो विशेष समस्याओं का सामना कर रहे हैं ।

Shri Yudhvir Singh (Mahendragarh) : It is possible that during the assessment made by the Fourth Finance Commission, the conditions in the country might have been normal. But recent conflict between India and Pakistan has created special problems for the Punjab State.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

According to a Statement of the Punjab Government, that State has broadly suffered a loss of Rs. 22 crores. From the Bills brought forward before the House, it appears that the Central Government has not taken into consideration the special difficulties being faced by the Punjab State. No special amount has been allocated to the State for making good the loss suffered by it during Indo-Pak conflict. Different industrial centres of Punjab have been bombarded and wide destruction has been caused to many industriers. If the Central Government did not help the Punjab State, it would become one of the backward States.

[Shri Yundhvir Singh]

Because of the heavy fighting, the crops have been destroyed and the farmers had to leave those places. Batala, Gurdaspur and Amritsar were in the range of bombing. In view of these circumstances, I would like the Government to make special allocaitons to Punjab.

Nothing will be achieved by raising slogans. If the Central Government does not give grant to that State, its condition will deteriorate and the wheat would have to be imported like other deficit States. The question of Punjabi Subha has been allowed to be raised soon after the cease-fire. It was not proper to let this issue be raised at this stage. The need of the hour is to sink tubewells and meet the deficiency in respect of power.

According to a senior Punjab officer, there is a paucity of fertilizers in Punjab. Irrigation facilities are inadequate. Some additional grant should be given to Punjab to tide over the present difficult situation created by the recent conflict. If the Central Government takes an active step in this direction, our 'grow more food' campaign will be successful.

श्री के० दे० मालवीय (बस्ती): मैं यह अनुभव करता हूं कि वित्त निगमों की नियुक्ति के सम्बन्ध में पुनः विचार करने की आवश्यकता है । हमारे सामने नवीन सामाजिक उद्देश्यों के दृष्टिकोण से संसा-धनों के आवंटन के सारे प्रश्न पर नये सिरे से विचार किया जाना चाहिये।

केवल किसी राज्य के क्षेत्र के आकार और वहां से उगाही गई करों की राशि को ही ध्यान में रखते हुये निधि की मात्रा और राज्य की जन संख्या के आधार पर निधि का उचित वितरण करने के सम्बन्ध में प्रयत्न करना ही शायद पर्याप्त नहीं है। जहां तक राशि व्यय करने का सम्बन्ध है, राज्यों के पिछडपन को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये। परन्तु इस से भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है, देश की परिस्थितियों को पूरी तरह समझा जाये। उन सामजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिये मैंने संकल्प कर रखा है ।

हमें यह देखना है कि उन उद्देश्यों की पूर्ति की जाये और उन विद्यमान संसाधनों के बीच सापेक्षता पैदा की जाये जिनको हमने अपने इन उद्देश्यों को पूर्ति के लिये इस प्रकार जुटाया है, कि इस से अच्छा फल प्राप्त हो । धन को व्यय करने के संबंध में अपने विचारों में परिवर्तन करने का समय आ गया है।

श्री युद्धवीर सिंह चौधरी ने पंजाब के उद्योगों की आर्थिक कठिनाईयों का प्रश्न उठाया है। ऐसी समस्याओं को हल करने के संसाधन सरकार के पास है । देश में गन्धक की मूल रुप से कमी है और इस कमी को बाहर से गन्धक मंगाकर और उससे सल्फ्यूरिक एसिड़ तैयार करके दूर नहीं कर सकते । सरकार की नीति बिहार में पाये गये अपने स्थानीय संसाधनों से गन्धक निकालने की होनी चाहिये। सरकार को विभिन्न प्रयोजनों के लिए राष्ट्र को गन्धक उपलब्ध कराने के लिये विशेष रुप से रक्षित निधियों से धन का आवंटन करना चाहिये।

श्री काशीराम गुप्त (अलवर) : इन विधेयकों को प्रस्तुत करने से पूर्व वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा की जानी चाहिये थी। जिस वर्तमान तरीके के आधार पर यह विधेयक सभा में प्रस्तुत किये गये है, वे पुराने सिद्धांत हैं धन राशि के नियत करने की वर्तमान प्रणाली में बहुत ज्यादा परिवर्तन किये जाने चाहिय ।

जनता के ध्यान में यह बात आ चुकी है कि राज्यों में बिक्री कर लगाने से भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। सरकार बिक्री कर के स्थान पर राज्यों के उत्पादन शुल्क के जरिये राजस्व के कुछ भाग का आवंटन करे। यदि राज्य इस बात का अनुरोध करें कि बिक्री कर रहना

चाहिये तो केन्द्र उन्हें धन राशि नियत करने के प्रश्न पर विचार करें। अब समय है कि देश के समचे कर ढांचे में आमूल परिवर्तन किया जाये। यह देखने के लिये एक आयोग स्थापित किया जाये कि राज्यों तथा केन्द्र में धन नियत करने का आधार क्या हो और यदि आवश्यक हो तो संविधान में परिवर्तन किया जाये।

श्री युद्धवीर सिंह ने सीमान्त राज्यों की वर्तमान स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। राजस्थान की स्थिति भी वैसी ही है वह पिछड़ा हुआ राज्य है। यह स्थिति निरंतर बनी आ रही है। इसलिए, इस विधेयक में प्रतिशतता के सम्बन्ध में आमूल परिवर्तन किया जाये और उन बातों को इसमें शामिल किया जाये जिनके बारे में आयोग ने कोई उल्लेख नहीं किया है। धन राशि नियत करने के विषय में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ऐसे राज्यों को दूसरी दिशाओं में अग्रेतर करारोपण की अनुमति न दी जाये जिन्हें कि इस समय भू-राजस्व, बनों और उत्पादन शुल्क से आय प्राप्त है। उन मामलों को केन्द्र स्वयं अपने हाथ में ले। विद्युत् जैसे सभी विषयों को केन्द्र अपने अधिकार म ले ले और निधियों का पुर्नविटन केन्द्र द्वारा किये गये उपायों को विचाराधीन रख कर किया जाये। यदि राज्यों को निधियां किन्हीं निश्चित प्रयोजनों से दी जाती हैं तो सरकार को उन निधियों पर नियंत्रण रखना चाहिये। वर्तमान स्थिति यह है कि राज्य अधिकर राशियों की मांग करते हैं और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार व्यय करना पड़ता है जिससे बहुत खराब परिणाम निकलते हैं और साथ ही राज्य कोई उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लेते।

कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में वास्तविक शक्ति राज्यों के हाथ में है। केन्द्र को इस सम्बन्ध में समन्वय करना होता है। इस सम्बन्ध में सब कुछ केन्द्रीय निदेशों के अनुसार करना होता है परन्तु केन्द्रीय निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करता हूँ कि इस बात की ओर देखें कि देश का समूचा कर ढांचा सरल किया जाये।

श्री अल्वारेस (पंजिम): वित्त आयोग ने अपने प्रतिवेदन में बहुत कुछ मूलभूत प्रश्नों को उठाया है। यह उचित होता यदि वित्त मंत्री के प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर उसी रूप में सभा को विचार करने के लिए कहा होता। राज्यों के प्रतिनिधि संघ सरकार में वित्त सम्बन्धी शक्तियों का और अधिक केन्द्रीकरण करने के सम्बन्ध में वित्त आयोग से लगातार शिकायत करते रहे हैं। सम्बन्धित राज्यों द्वारा बिक्री कर की बजाये कुछ अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों की उगाही करने के सम्बन्ध में यह एक सामान्य शिकायत है कि संघ सरकार स्वविवेक से उन में परिवर्तन कर सकती है। इस के फलस्वरूप राज्यों को मिलने वाले अंश घटता बढता रहेगा और इस कारण वह पहले से ही योजना नहीं बना सकेंगे।

एक महत्वपूर्ण बात, जिस पर इतना अधिक ध्यान नहीं दिया गया है, यह है कि कई राज्यों को सामाजिक विकास प्रयोजनों के लिए धन की आवश्यकता है। संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेवारी है कि ऐसे राज्यों को सहातानुदान दिया जाये जिन्हें विकास कार्यक्रम करना है और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के पुनर्वास के लिये कार्य करना है। सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिये।

राज्य सरकारों ने यह भी तर्क दिया है कि जब पहले वित्त आयोग की नियुक्ति की गई थी तो उस समय योजना सम्बन्धी इतना व्यय नहीं था जितना कि अब किये जा रहे व्यय में शामिल है। सारा आधार ही बदल गया है और इसीलिए राज्यों ने ठीक ही कहा है कि जब उन्होंने बड़े पैमाने पर आयोजित व्यय का उत्तरदायित्व अपने उपर लिया है तो उन्हें विभाज्य आस्तियों में इस समय मिल रही राशि से अधिक राशि मिलनी चाहिये।

[श्री० अल्वारेस]

विचार विमर्श करने का कोई साधन स्थापित करने के सम्बन्ध में कहा गया है। कोई ऐसा उपबन्ध किया जाना चाहिये जिससे लगातार विचार विमर्श किया जा सके। माननीय वित्त मंत्री को इस सुझाव पर विचार करना चाहिए कि विचार विमर्श के लिए कोई स्थायी व्यवस्था की जाये। यह आवश्यक नहीं है कि एसा कुछ अवधि के बाद ही किया जा सके।

राज्य सरकारों द्वारा लिये गये ऋण का प्रबन्ध करने, ब्याज देने और ऋण चुकाने के लिये व्यवस्था करने के प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिये। रिजर्व बैंक ने बार बार यह शिकायत की है कि राज्य इतने अधिक ऋण ले रहे है कि उनकों चुकाने के लिये उनके पास साधन नहीं हैं। जिस प्रकार राज्यों पर बोझा पड़ रहा है, इस पर विचार किया जाना चाहिये। अपनी परियोजनाओं और केंद्रीय सरकार की कुछ परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों ने जो बहुत बड़े सार्वजनिक ऋण लिए है उनको चुकाने की कोई सम्भावना दिखाई नहीं देती है।

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : श्रीमान्, उन विधेयकों पर चर्चा से पूर्व सभा में वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर कुछ चर्चा की जानी चाहिये थी जिसके आधार पर विधेयक तैयार किये जाते। जिस आधार पर वित्त निगम ने अपने प्रस्ताव किये है, उनमें परिवर्तन की आवश्यकता है क्योंकि नई स्थिति पैदा हो गई है और राज्यों तथा केन्द्र में नई आवश्यकताएं पैदा हो गई है। वास्तव में कराधान के समुचे ढ़ांचे पर और विभाज्य आप के आवंटन के आधार पर कुछ पुनर्विचार की आवश्यकता है, क्योंकि राज्य यह अनुभव करने लगे हैं कि उनके पास कोई संसाधन नहीं रह गये हैं केन्द्र के पास कुछ संसाधन हैं।

अधिकांश राज्यों की ओर आवश्यक तथा उचित ध्यान नहीं दिया गया है। पंजाब जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उनको देखते हुये उस पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद से ही पंजाब को बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। वित्त मंत्री को उन राज्यों को आवश्यकताओं पर सहानुभूति से विचार करना चाहिये जो राज्य कठिन परिस्थितियों में फंसे हुये है।

हमारा उद्देश्य यह होना चाहिये कि राज्य उन्नति करें। वितरण के आधार में परिवर्तन किया जाना चाहिये। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री उस पर ध्यान देंगे।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : मेरे से पूर्व वक्ता ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं पूरी तरह सहमत हूं। जिन दृष्टिकोणों से विभिन्न राज्यों को राशियां आवंटित की जाती है, वह दृष्टिकोण उन राज्यों की आवश्यकताओं पर आधारित होने चाहिये। सिंचाई, संचार, शिक्षा और दूसरे मामलों में मध्य प्रदेश बहुत ही पिछड़ा हुआ है। वहां बहुत अधिक कर लगाये गये हैं। अब और कर नहीं लगाये जा सकते। राज्यों के आवंटन का आधार आय या जनसंख्या नहीं होनी चाहिये बल्कि उनका पिछड़ापन होना चाहिय। मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां 34 प्रतिशत लोग अनसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हैं और व बहुत पिछड़े हुये हैं। बहुत से ग्रामों में पीने के जल की सुविधा तक नहीं है। यदि कोई सरकार जल की व्यवस्था भी नहीं कर सकती तो उसे कल्याणकारी राज्य नहीं कहा जा सकता।

इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिये कि कुछ राज्यों में चल रहे बहुत से कारखानों के मुख्यालय बम्बई या कलकत्ता में हैं। इसका परिणाम यह होता है कि इन कारखानों से जो आय होती है, वह उन राज्यों के खाते में डाल दी जाती है जहां उनके मुख्यालये होते हैं। इस से आवंटन के मामले से उन राज्यों को हानि होती है, जहां यह कारखाने स्थापित होते है।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : मैं इस विचार से सहमत हूं कि इस सभा में विधेयकों पर विचार किये जाने से पहले वित्त आयोग के प्रतिवदन पर विचार किया जाना चाहिये था। आजकल बड़ी कठिनाई यह है कि विकास कार्यक्रमों के कारण, राज्य सरकारों की देनदारियां बढ़ रही है परन्तु उनकी आय इतनी नहीं बढ़ी है। अतः राज्य केन्द्रीय सरकार से बहुत अधिक सहायता की आशा करते हैं। इस मामले पर गम्भीरता पूर्वक जांच को जानी चाहिये।

वित्त मंत्री को शीघ्र ही एक आयोग नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये जो राज्यों की देनदारियां और उनको दो जाने वाली राशि के अनुपात के सम्पूर्ण प्रश्न की जांच करे। इस प्रश्न की अधिक विस्तार पूर्वक जांच की जानी चाहिये।

मेरे विचार में वित्त निगम की सिफारिशें और सुझाव जिन्हें इन विधयकों में समाविष्ट किया गया है, ऐसे हैं जिनका सभा द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिये। मैं इन विधेयकों का पूर्ण समर्थन करता हूं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The Bill before us is regarding the allocation of money by the Centre to the States.

The first duty of the Planning Commission is to see that all the parts of the Country develop on equal footing. But I am sorry to say that the Planning Commission have paid no heed to this most important question. So much so that Government did not reply to a question asked by me in the Budget Session as to what is the *per capita* income of the persons residing in various States. If the Government does not know this basic thing then how do they chalk out their Plans ?

But I want to draw your attention to the book named "Distribution of National Income by States 1960-61". Wherein it is Stated that the *per capita* income in Delhi is Rs. 871, in Maharashtra Rs. 468, in Bengal Rs. 464 in Punjab Rs. 451 and in Bihar it is the lowest *i.e.* Rs. 220.

I would also like to draw your attention towards the literacy of the country. The figures reveal that it is eleven per cent in Jammu and Kashmir, 17 per cent in Madhya Pradesh, 17 per cent in Nagaland, 15 per cent in Rajasthan, 17 per cent in Uttar Pradesh and 18 per cent in Bihar.

I have mentioned these figures because in the constitution it has been provided that their should be free and compulsory education in the country.

Then a discussion was going on regarding the food situation of the country. Mention was also made of fertilisers. I give no less importance to fertilisers but these should not be supplied where irrigation facilities are not available. Here also I would like to say that there is a very good arrangement of irrigation in Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh, Madras and Punjab. But in Maharashtra, Gujarat and Mysore irrigation facilities are very less. Hence it becomes the primary duty of the Planning Commission to remove this inequality.

I would request the Government to allocate the amount to States in such a way that the undeveloped and backward areas also progress. It would also be better if grants are allocated on the basis of particular items.

[Shri Madhu Limaye]

I would also like to say something about the Finance Commission. Now either the Finance Commission should be merged with the Planning Commission and given Constitutional recognition or there should be two Committees—one can do the general work of the planning and the other can handle the allocation work. Inequality in any field should also be removed. This is all I have to say today.

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : मेरे विचारसे देश का विकास शरीर के विकास की भान्ति ही होता है। जिस प्रकार से शरीर को किसी भी अंग के शिथिल रहने से सारा शरीर ही शिथिल हो जाता है उसी प्रकार से देश के किसी भी भाग के पिछड़ा रह जाने से उस देश का विकास नहीं हो सकता।

श्री मधु लिमये जी ने जो प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े दिये थे उनसे पता चलता है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय 220 रुपये है। कई इलाकों में तो प्रति व्यक्ति आय 100 रुपये से भी कम है। दरभंगा और सारन में तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय केवल 72 रुपये है। पंडित जवाहरलाल नेहरु जी के समय में जब डा० राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि देश के कुछ भागों में कुछ लोगों की आय तो तीन चार आने प्रति दिन ही है तब इस बात का खण्डन किया गया था। परन्तु इन आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वह ठीक ही था। उत्तर बिहार की भूमि बहुत उपजाऊ है परंतु राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार की उपेक्षा के कारण वह इलाका बहुत पिछड़ा रह गया है। वहां के लोग भी समझदार हैं। वहां डा० राजन्द्रप्रसाद, मौलाना मजरुल हक आदि महान व्यक्ति पदा हुए हैं। परन्तु मनुष्य द्वारा की गई व्यवस्था के कारण वहां के लोग बहुत पीछे रह गये हैं। चीनी उद्योग के अतिरिक्त वहां कोई उद्योग नहीं है। बहुत से लोग बेकार हैं। इस लिये मैं वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करुंगा कि वह कुछ ऐसी योजनायें बनायें ताकि उत्तर बिहार का इलाका भी दूसरें राज्यों के समान विकसित हो सके। इस के लिये वह मोतीहारी में पटसन उद्योग और सारन में खोई उद्योग स्थापित कर सकते हैं।

उत्तर बिहार में दक्षिण बिहार की तरह शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें भी प्रदान नहीं की जा रही हैं। यदि दक्षिण बिहार में साक्षरता 20 है तो उत्तर बिहार में 13 अथवा 14 ही है। अत: शिक्षा के क्षेत्र में अथवा आर्थिक दृष्टि से उत्तर बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। आय के वितरण के बारे में भी यह इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है।

इस विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं किया गया है कि वहां के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये कुछ धन नियत किया जाये। यदि ऐसा करना सम्भव नहीं है तो किसी अन्य तरीके से सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये।

कुछ वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के किसी सदस्य ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में प्रश्न उठाया था। उन्होंने यह बताया था कि वह इलाका पिछड़ा हुआ है। जब पंडित जवाहरलाल जी ने यह सुना तो उन्होंने एक समिति नियुक्त की और उसे उस क्षेत्र में सुधार करने के ऊपाय सुझाने के लिये आदेश दिया। इस लिये मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह भी ऐसी ही समिति नियुक्त करें ताकि उनको पता लग सके कि वह उस इलाके का कैसे सुधार कर सकते हैं।

अन्त में मैं फिर यही कहना चाहता हूं कि बिहार में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है परन्तु वह इलाका फिर भी पिछड़ा हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करने के लिये भी धन की आवश्यकता होती है। इस लिये मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि राज्य को सहायता देने के लिये वह कुछ और उपाय ढूंढे।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : इन विधेयकों पर चर्चा करते समय माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न किये हैं उन सब का उत्तर देना मेरा लिये सम्भव नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि माननीय सदस्यों ने जो बाते कहीं हैं वे सब ठीक हैं। क्योंकि इन सब बातों का सम्बन्ध कुछ विशिष्ट राज्यों से है इसलिये उनपर अवश्य विचार किया जाना चाहिये।

परन्तु समझने की बात तो यह है कि राज्यों को कुछ धन तो काननी जिम्मेवारी के कारण दिया जाता है और कुछ धन स्वविवेक से दिया जाता है। स्वविवेक से धन देते समय समूचे देश की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है और योजना आयोग की सिफारिश से दिया जाता है।

राज्य बहुत हद तक स्वायत्तशासी हैं और इस स्वायत्तता को बनाये रखने के लिये केन्द्रीय सरकार ने स्वविवेक के तत्व को अपने हाथ में ले लिया है अर्थात् राज्यों के प्रशासन के लिये आवश्यक धन देने में वह उसका प्रयोग करती है।

तब भारत का समान विकास करने और आर्थिक विकास करने का प्रश्न आता है। यह कानूनी आधार पर नहीं किया जा सकता। इसीलियें हमने योजना आयोग बनाया है ताकि हमें स्थायी रूपसे परामर्श मिलता रहे।

वित्त आयोग के सदस्यों ने पुन: यह प्रश्न उठाया था कि क्या वित्त आयोग का होना आवश्यक है या योजना आयोग ही उनका काम कर सकता है और एक संविहित निकाय बन सकता है। तथ्य तो यह है कि योजना आयोग संविहित निकाय नहीं बन सकता क्योंकि यह निर्णय करने का अधिकार, कि क्या किया जाना चाहिये और क्या नहीं, राज्यों के अलावा अन्ततोगत्वा इस सभा का होना चाहिये। यह सभा भी परामश देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकती और यह संविधान के अन्तर्गत नियुक्त किये गये आयोग के आधार पर किया जाता है।

अब मैं वित आयोग पर आता हूं। वित्त आयोग सरकार को चलाने के लिये अपेक्षित आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर कुछ अधिक धन राज्यों को देने का सुझाव दे देता है। मुझ इसपर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु जब योजना के लिये संसाधनों की कमी हो जाती है तो हमें कुछ परियोजनाओं को बन्द भी करना पड़ जाता है।

राज्यों को धन देने के आधार पर भी आपत्ति की गई है। यह देखते हुए ही तो हम ने वित्त आयोग नियुक्त किया है। चूंकि हमारे लिये यह सम्भव नहीं है कि हम सब यहां बैठ कर यह निश्चय कर सकें कि किस किस राज्य को कितना कितना धन दिया जाना चाहिये इसी लिये हमने विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है। हो सकता है कि हम में से कुछ सदस्य उनके निर्णय से सन्तुष्ट न हों परन्तु बहुत से राज्यों ने वित्त अयोग की सिफारिशों का अनुमोदन किया है।

कई माननीय सदस्यों ने भिन्न भिन्न सिद्धान्तों का सुझाव दिया है। कुछ ने कहा है कि राज्यों को धन का नियतन 80 प्रति शत जनसंख्या के आधार पर और 20 प्रति शत धन की वसूली के आधार पर न करके 100 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर होना चाहिये। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर अवश्य निर्णय किया जाना चाहिये। उत्तर प्रदेश के लोग तो कहेंगे कि जनसंख्या के आधार पर होना चाहिये और महाराष्ट्र और बंगाल के लोग कहेंगे कि धनवसूली के आधार पर होना चाहिये। परन्तु मेरे विचार से जिन राज्यों से हम धन वसूल करते हैं हमें उनको कुछ अधिक धन नियत करना चाहिये ताकि उनका हित बना रहे। मुझे पता है कि भू राजस्व वसूल करने में कितनी कठिनाई होती है। समाहर्त्ताओं को काफी घूमना पड़ता है। यदि हम सारा ही धन उनसे ले लें तो वे हमें अपना सहयोग नहीं देंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही वित्त आयोग सिफारिशें करता हैं।

[श्री० ति० त० कृष्णमाचारी]

एक माननीय सदस्य जिनके लिये मेरे दिल में बहुत आदर है उन्होंने प्रश्न किया था कि वित्त आयोग के सदस्यों को किस योग्यता के आधार पर चुना गया है। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि यदि कोई निष्पक्ष निकाय इस आयोग के गठन को देख तो वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि चयन बहुत ही अच्छा हुआ है।

इस आयोग का सभापति केवल एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता ही नहीं है बल्कि उन्हें काफी संसारिक ज्ञान भी है। जब श्री राजा मन्नार ने आयोग का कार्यभार सम्भाला था तो मुझे उससे बहुत प्रसन्नता हुई थी। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह चयन मने नहीं किया था। मैंने तो मुख्य न्यायाधिपति से यह पद भरने के लिय कहा था। उन्होंने इस नाम का सुझाव दिया जो हमने प्रसन्नता से स्वीकार किया।

इस आयोग के अन्य सदस्य भी ख्यातिप्राप्त व्यक्ति हैं। श्री मोहन लाल गौतम राजनीति में, प्रोफेसर कारव सामान्य वित्त में, प्रोफेसर बाबतोष दत्त, जो प्रसिद्ध अथशास्त्री भी है, आंकड़ा और सामान्य ज्ञान में प्रारंगित है। इस लिये मैं श्री दी० चं० शर्मा जी से इस बात पर सहमत नहीं हूं कि आयोग के सदस्यों में योग्यता में कमी है। मेरे विचार से तो आयोग के काम के स्वरुप को देखते हुए ऐसे व्यक्तियों का मिलना कठिन ही था।

दूसरी बात जो कुछ काम वित्त आयोग ने किया है उस के बारे में है। प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी कठिनाइयां होती हैं। इस लिये ऋण लेने के लिय उन्होंने सब कठिनाइयों को आयोग के सामने रखा। आयोग ने सब राज्यों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उनको धन का नियतन कर दिया। इस लिये आयोग का उसमें कोई दोष नहीं है। अखिरकार जो कठिनाइयां उनको बताई गई थीं उनको देखते हुए ही तो उन्होंने कोई सिद्धान्त बनाना था।

आप दिल्ली को ही ले लीजिये। यहां की प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। परन्तु यहां भी बहुत लोग गरीब हैं। यदि एक गन्दी बस्ती समाप्त कर दी जाती हैं तो और बन जाती है। हमें इस बात का पता है परन्तु क्या किया जा सकता है।

हमें पता है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की कमी है परन्तु जब तक हमें भारी मात्रा में पानी उपलब्ध न हो हम इस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं। केवल विचार कर लेने से ही समस्या हल नहीं हो जाती है क्योंकि उसका हल तो अन्य कारणों की वजह से रुका हुआ है। इस लिय यह कहना ठीक नहीं है कि वित्त आयोग ने जोवन स्तर, लोगों की कठिनाइयां, पानी की कमी आदि को ध्यान में नहीं रखा है।

मेरे माननीय मित्र श्री मालवीय जी ने कहा था कि वित्त आयोग को "सल्फर और पाइराईटस" की देश की मांग को भी ध्यान में रखना चाहिये। परन्तु इस पर ध्यान करना तो योजना आयोग का काम है। इस लिये वित्त आयोग की जो आलोचना की गई है अपने अपने राज्य का विकास करने की इच्छा को ध्यान में रख कर ही की गई है। उनके सामने जो आधार रखे गये थे उनको देखते हुए ही उन्होंने निर्णय किये। हो सकता है कि उन्होंने जो निर्णय किये हैं वे गलत भी हों। उदाहरण के तौर पर प्रो० शर्मा ने पूछा था कि क्या आयोग ने राज्यों के घाटे को भी ध्यान में रखा था। पृष्ठ 159 कण्डिका 133 को पढ़ने से पता चलता है कि उन्होंने घाटे को भी ध्यान में रखा था। उन्होंने कहा है कि केरल में पाच वर्षों में 104 करोड़ रुपये और उड़ीसा में 145 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा। इसी प्रकार के और उदाहरण भी मिलते हैं।

अब राज्यों की आवश्यकताओं का प्रश्न आता है। इस बारे में बोलने से पहले हमें यह सोच लेना चाहिये कि राज्यों के प्रशासन का मुख्य उत्तरदायित्व स्वयं राज्यों का है। कुछ ऐसी चीजे हैं, जिनके लिये ऊन्हें बाहर की सहायता चाहिये। तब योजना आयोग की आवश्यकता पड़ती है। परन्तु योजना पर अथवा विकास पर, सामाजिक सेवाओं पर अथवा सड़कों पर धन व्यय किया जाये यह सोचना योजना आयोग

का काम है । योजना आयोग सिफारिश कर सकता है कि चूँकि अमक राज्य अनावश्यक वस्तुओं पर धन खर्च कर रहा है इस लिये हम योजना के लिये उन्हें रुपया नहीं दे सकते । हम इस ओर उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं । परन्तु इस पर हमारा नियंत्रण नहीं हैं । श्री काशीराम गुप्त ने तो कहा था कि राज्यों पर हमारा नियंत्रण होना चाहिये । परन्तु ऐसा नहीं हो सकता है । ऐसा करना असंवैधानिक है । हम राज्यों से विचार विमर्श करते हैं, परन्तु हम उन्हें यह नहीं बता सकते कि केन्द्र कौन से कर लगायेगा ।

वित्त के मामलों में लोक सभा का ही उत्तरदायित्व होता हैं । राज्य सभा तो केवल सिफारिश ही कर सकती है परन्तु उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करना लोक सभा पर ही निर्भर करता है । चूंकि हम सब मिल कर यह तय नहीं कर सकते कि किस किस राज्य को कितना कितना अनुदान दिया जाय इस लिये हम ने वित्त आयोग नियुक्त किया हुआ है जिस के लिये संविधान में भी प्रबन्ध किया गया है । हम शिकायतों के साथ साथ नियतन में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं ।

चूँकि पिछडे हुए राज्यों मे विभिन्न परियोजनायें पूरी हो रही हैं इस लिये उन क्षेत्रों की परिस्थिति में भी परिवतन होगा । बिहार में कोसी बान्ध और गंडक बान्ध पूरे हो जायेंगे तो वहां के लोग खुशहाल हो जायेंगे । यदि वहां सेम की समस्या हल हो जाय और यदि हम वहां के किसानों को बीज और अच्छा उर्वरक आदि दे सकें तो वहां खाद्य का उत्पादन भारत मे सब से अधिक हो सकता है । मध्य प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था करने के लिये भी प्रश्न उठाया गया था परन्तु वहा सिंचाई व्यवस्था करना बहुत कठिन है । मैं मानता हूं कि उनकी दशा दयनीय है । राजस्थान मरुस्थल के बारे में भी प्रश्न उठाया गया था । हो सकता है कि राजस्थान कनाल के कारण कुछ फर्क पड जाये ।

हमारे देश की समस्याओं बहुत अधिक हैं । इसलिये हम वित्त आयोग को राज्यों का प्रशासन भार, केन्द्रीय सरकार तथा योजनायें आयोग का काम अपने हाथ मे लेने और सभी प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिये सिफारिश करने के लिये नहीं कह सकते । जो जो बातें माननीय सदस्यों ने कहीं है और जिन्हें किसी हद तक लागू किया जा सकता है हम उनका ध्यान रखेंगे और योजना आयोग को प्रस्तुत कर देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार चर्चा करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 से 5, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधयक में जोड़ दिय जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted*

खण्ड 1 से 5, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये । /*Clauses 1 to 5 the Enacting Formula and the title were added to the Bill*

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को परित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, 1957 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । /*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 से 3, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खंन्ड 1 से 3 अधिनियमन सूत्र और विधेयका नाम विधेयक में जोड दिये गये । / *Clauses 1 to 3 The Enacting Formula and the Title were added to the Bill*

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सम्पदा-शुल्क (वितरण), अधिनियम, 1962 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । /*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि खण्ड 1 से 3 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

खण्ड 1 से 3, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये । /*Clauses 1 to 3 The Enacting Formula and the Title were added to the Bills.*

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये" ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ /*The motion was adopted.*

गोवा, दमण और दीव (समाविष्ट कर्मचारी) विधेयक

GOA, DAMAN AND DEO (ABSORBED EMPLOYEES) BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गोवा, दमण और दीव के संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के संसंग में सेवा के लिये समाविष्ट व्यक्तियों की सेवा को शर्तों के विनियमन के लिये और उससे संसक्त मामलों के लिये उपलब्ध करने वाले विधयक पर विचार किया जाये ।"

यह विधेयक छोटा तो है परन्तु जो लोग गोवा दमण और दीव के प्रशासन में तथा भारत सरकार के विभिन्न विभागों में और कुछ केन्द्रीय संगठनों में कार्य कर रहे हैं, उनकी सेवाओं को एकीकृत करने के विचार से महत्वपूर्ण भी है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इसे बहुत पहले लाना चाहिये था क्योंकि सेवायुक्त लोक पिछले 4 वर्षों से अपने अनिश्चित भविष्य के बारे में चिंतित ह और वे इस बात के इच्छुक है कि उनके भविष्य के बारे में निश्चितता होनी चाहिये। अतः हमने इस विधेयक को इसी सत्र में लाने का प्रयत्न किया है।

यह एक सुविदित बात है कि पुर्तगाली शासन काल में विभिन्न श्रेणियां तो थी परन्तु कोई नियमित वेतन-क्रम नहीं थे। उनकी सेवाओं का विनियमन एक विशेष विधि के अन्तर्गत किया जाता था। कुछ मामलों में उन्हें वसूल की गई राशि से वेतन दिया जाता था। यद्यपि रेलवे, तार आदि जैसे कुछ मामलों में निगम बने हुए थे, परन्तु हमने इन निगमों के अधिकारियों को भी समाविष्ट कर लिया है। समाविष्ट किये गय कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 5,000 है। 1240 कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के विभागों में कार्य कर रहे हैं। हालांकि इन कर्मचारियों को समाविष्ट कर लिया गया है परन्तु उनकी सेवा की शर्तों का विनियमन उक्त पुराने अधिनियम के अन्तर्गत किया जा रहा है क्योंकि हमारा अपना कोई अधिनियम नहीं है। अब हम इस विधेयक द्वारा उन लोगों की सेवाओं का विनियमन करना चाहते हैं।

इस विधेयक के खण्ड 3 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार समाविष्ट पदों के लिये भर्ती को विनियमित करने, समाविष्ट कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को नियमित करने तथा उन लोगों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने, जो दिसम्बर, 1961 के 20वे दिन को किसी निगम अथवा गोवा, दमण तथा दीव के संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन तथा केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग में कार्य कर रहे थे, नियम बना सकेगी।

यह नियम बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जायेगा कि इन से कर्मचारियों को कोई हानि न हो। उनके वर्तमान वेतन में कोई कमी नहीं की जायेगी। जितनी छुट्टी उनको इस समय देय होगी, वह भी उन्हें दी जायेगी। जहां तक भत्तों का सम्बन्ध है, यदि वे केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जा रहे भत्तों को लेना चाहेंगे तो वह ऐसा कर सकेंगे। जो व्यक्ति पहले ही सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, उन्हें उतना ही निवृत्तिवेतन मिलता रहेगा जितना अब मिल रहा है। यदि अन्य कर्मचारी भी चाहेंगे तो उन्हें भी पुराने नियमों के अन्तर्गत सेवा नित्तृत्ति-वेतन दिया जायेगा। परन्तु इस दशा में उन्हें वे लाभ नहीं मिलेंगे जो केन्द्रीय सरकार की निवृत्ति-वेतन सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत मिल सकते हैं अर्थात उपदान, मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति सम्बन्धी लाभ अथवा पारिवारिक निवृत्ति-वेतन आदि। यह सब बातें उनकी इच्छा पर छोड़ दी जायेंगी। इन लोगों के मामले में यथासम्भव उदारता बरती जायेगी।

एक अन्य बात जो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं वह यह है कि पुराने अधिनियम के अनुसार सेवा से निवृत्त होने की आयु की सीमा 65 वर्ष की है, परन्तु चूंकि देश के अन्य भागों में यह सीमा 58 वर्ष की है इस लिये इस सम्बन्ध में हम उन्हें कोई छूट नहीं दे सकते हैं क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ लोग तो 58 वर्ष की आयु में और अन्य लोग 65 वर्ष की आयु में सेवा से निवृत्त हो। अतः इन कर्मचारियों की, जिनको समाविष्ट किया गया है, निवृत्ति वय 65 वर्ष से घटा कर 58 वर्ष की जा रही है।

[श्री हाथी]

इस विधेयक के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये तीन संशोधनों का उद्देश्य पहले ही विधेयक से पूरा हो हो जाता है। अतः इनको स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इन से वास्तव में कोई परिवतन नहीं होता है।

अतः मैं अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाये। आशा है सभा इसका समर्थन करेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

इस विधेयक के लिये एक घंटा नियत किया गया था। चूंकि इस विधेयक पर चार अथवा पांच सदस्य बोलना चाहते हैं। अतः वह लगभग छः से सात मिनट में अपना अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री शिकरे (मरमागोवा) **:** मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि सेवा निवृत्ति वयस 58 वर्ष हो परन्तु मैं केवल यह चाहता हूं कि इस खण्ड में यह जोड़ा जाये कि सेवा निवृत्ति वयस वही होगी जो देश के अन्य सभी भागों में है। इस से मेरे मन में उत्पन्न सभी शंकायें दूर हो जायेंगी।

जहां तक अन्य संशोधनों का सम्बन्ध है, मैं मंत्री महोदय की इस बात से सहमत नहीं हूं कि ये संशोधन आवश्यक नहीं है। अधिनियम में उल्लिखित तिथि अर्थात 20 दिसम्बर, 1961 के बाद ऐसे बहुत से उपक्रमों को, जो पहले गैर-सरकारी क्षेत्र में थे, सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और अब वह उपक्रम सरकारी प्रशासन के अधीन आ गये हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि उक्त उपक्रमों के कर्मचारियों पर यह विधयक क्यों लागू नहीं किया जा रहा है। उन को भी वही सभी सुविधायें दी जानी चाहिये जो अन्य सरकारी कर्मचारियों को देने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। ऐसे कर्मचारियों में विरोध की भावना बढ़ रही हैं। इस सम्बन्ध में मुझे दो तार मिले हैं। इन कर्मचारियों ने हड़ताल की धमकी दी है। चूंकि स्थानीय सरकार ने उन्हे आश्वासन दिया था कि इस विधयक के पारित हो जाने से उनकी सभी शिकायतें दूर हो जायगी, परन्तु खेद है कि इन कर्मचारियों को इस विधान के अन्तर्गत नहीं लाया जा रहा है। ऐसे कर्मचारियों की संख्या लगभग 5,000 है। यदि मंत्री महोदय यह बात स्पष्ट कर दे कि यह विधेयक उन पर भी लागू होगा तो फिर शेष कोई झगड़ा ही नहीं रह जायेगा।

[**श्री सोनवने पीठासीन हुए**
SHRI SONAWANE *in the Chair*]

दूसरी बात मैं जो माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि विधेयक में जो परिभाषा दी गई है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि गोवा नगर निगम के कर्मचारियों पर यह विधेयक लागू नहीं होगा चूंकि इन कर्मचारियों के लिये अन्य कोई अधिनियम नहीं है जिनके अन्तर्गत इन की सेवा की शर्तों का विनियमन किया जाये, अतः मंत्री महोदय को यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि यह विधेयक नगरपालिकाओं के सभी कर्मचारियों पर भी लागू होगा और उन को भी वही सुविधायें दी जायगी जो अन्य सरकारी कर्मचारियों को देने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री अल्वारेस (पंजिम) **:** यदि इस विधेयक को कुछ समय पहले लाया जाता तो उस छोटे-से राज्य क्षेत्र में इतना तनाव और कई शंकायें बिल्कुल पैदा ही नहीं होतीं। इस विधेयक में कई त्रुटियां हैं जिनकी ओर मेरे साथी, श्री शिकरे ने मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया है।

सब से पहले एक स्पष्ट त्रुटि यह है कि इस विधेयक के अन्तर्गत समाविष्ट कर्मचारियों को वे सभी सुविधायें दी जायगी जो कि उन्हे 20 दिसम्बर, 1961 को उपलब्ध थीं। परन्तु उन में एक परिवतन जो किया जा रहा है वह सेवा निवृत्ति वयस के सम्बन्ध में है। जब उन्हें और सभी सुविधायें दी जा रही हैं तो उनको इस सुविधा से क्यों वंचित किया जाना चाहिये। हमें सेवा की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि उन कर्मचारियों को जिनको केन्द्रीय सरकार ने अथवा स्थानीय सरकार ने 20 दिसम्बर, 1961 के पश्चात समाविष्ट किया है और नगरपालिका के कर्मचारियों को भी इस विधेयक के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये और इन्हें भी वही सुविधायें दी जानी चाहिये जो अन्य

सरकारी कर्मचारियों को दी जा रही है। क्योंकि वहां पर प्रशासन बहुत केन्द्रीकृत है और सभी कर्मचारी सरकार द्वारा ही नामनिदशित किये जाते हैं और इसलिये वे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी कर्मचारी ही हैं। उन बिजली कम्पनियों के कर्मचारियों पर भी यह विधेयक लागू किया जाना चाहिये जिनको केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है; ऐसे कर्मचारियों की संख्या 300 अथवा 400 से भी कम ही होगी अत: यह उचित ही होगा कि इनको भी यह सभी सुविधायें दी जाये।

जहां तक रेलवे कर्मचारियों का सम्बन्ध है, मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। 1956 में गोवा की राष्ट्रीय कांग्रेस के कहने पर स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने गोवा तथा भारत के बीच रेल सेवा स्थगित कर दी थी। उस समय 900 रेलवे कमचारी ऐसे थ जो पुर्तगाल की उपनिवेशी सरकार के साथ सहयोग नहीं करना चाहते थे क्योंकि वे भारत के प्रति वफादार थे, जिन्होंने इन राजनीतिक कारणों से भारत आना उचित समझा था। अब यह कर्मचारी वापिस जाना चाहते हैं। परन्तु इस बीच में वहां पर जो पदोन्नतियां हुई अथवा नये लोग भर्ती किये गये, उन्हें अब वरिष्ठ समझा जाता है। इस सम्बन्ध में इन 900 कर्मचारियों ने सरकार के पास कई अभ्यावेदन भी भेजे हैं परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकार को इन कर्मचारियों के प्रति अपने कर्तव्य को अवश्य निभाना चाहिये, जिन्होंने अपने राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा के कारण पुर्तगाल की उपनिवेशी सरकार से असहयोग किया और इस प्रकार वहां चल रहे स्वाधीनता आन्दोलन को सबल बनाया।

श्री वारियर (त्रिचूर) : मैं श्री शिकरे द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों का समर्थन करता हूं।

हमारा सामान्य अनुभव यह रहा है कि जब जब भी इस प्रकार सेवाओं को एकीकृत किया जाता रहा है तो उन में जो अच्छी और लाभकारी बातें होती है उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस लिये मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि गोवा के कर्मचारी वेतन, महंगाई भत्ता तथा निवृत्ति वेतन के सम्बन्ध में पहले कुछ अधिक लाभ उठाते रहे हैं तो उन्हें इस एकीकरण के समय इन से वंचित नहीं किया जाना चाहिये।

ऐसा देखा गया है कि जब सरकार को कुछ नियम बनाने की शक्ति दे दी जाती है तो वह नियम बना देती है और सभा पटल पर भी उन्हें रख दिया जाता है। परन्तु मेरा अनुभव यह है कि हम में से उनमें कोई दिलचस्पी नहीं लेता है और सरकार जो नियम बना देती है उनकी कोई छानबीन नहीं की जाती है। एक बार विधेयक पारित हो गया तो समझ लिया जाता है कि सब कुछ हो गया। अत: मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि इन नियमों तथा विनियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व कम-से-कम गोवा के सदस्यों को अपने विश्वास में लिया जाये ताकि वे सदस्य जो इन बातों से अवगत हैं, संतुष्ट हो जायें कि इन नियमों से कर्मचारियों को उन लाभकारी शर्तों से वंचित तो नहीं किया जा रहा है जिनके अधीन वे पहले सेवा करते रहे हैं।

आशा है कि प्रस्तुत किये गये दो संशोधनों को स्वीकार कर लिया जायेगा। क्योंकि यदि इन्हें स्वीकार नहीं किया जायेगा तो कुछ समय पश्चात मंत्री महोदय को एक संशोधक विधेयक लाना पड़ेगा। सभी कर्मचारियों के असंतोष को दूर करने के लिये इन दो संशोधनों का माना जाना बहुत आवश्यक है।

जहां तक अर्द्ध-सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, इस विधेयक में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह विधेयक किन किन श्रेणियों पर लागू किया जायेगा। गोवा के अन्य दो माननीय सदस्यों ने नगर-पालिका कर्मचारियों तथा बिजली विभाग के कर्मचारियों का उल्लेख किया है। इसी प्रकार और भी कुछ श्रेणियां हैं जिनको इस विधान से बाहर रखा जा रहा है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिये और यह विधेयक कर्मचारियों की भिन्न भिन्न सभी श्रेणियों पर लागू किया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं संशोधनों का समर्थन करता हूं।

Shri Tulsidas Jadhav (Nanded) : I support the Bill but I would, however, like to give some suggestions in this regard. The rules made or going

[Shri Tulsidas Jadhav]

to be made in regard to the obsorbed employees should be implemented properly. There should be no such feeling that those who have now been absorbed are inferior and others who were previously in the service of the Goa Administration, are superior.

My second point is that this law should also be applicable to those who were appointed after 20th December, 1961.

My third point is that it will not be wise to absorb the employees of Goa in the Central Government Services. After some time Goa, Daman and Diu will have to be merged with other States. Then the rules of those States will be applicable to them. In this way there will be double labour. I would, therefore, say that the sooner these Islands are merged with other States the better it is. It will also be helpful for the Central Government.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : I support the amendment of Shri Shinkre. The population of that place is five lakhs and five thousand employees are working there. Out of them twelve hundred employees are likely to get facilities. But I fail to understand why the teachers and the employees of Municipal Corporation will not be provided these facilities. As far as the problem of dearness is concerned it is the same for every body. Before merger they were entitled for all the facilities. But I want to know why Government have not paid any heed towards them after the merger. Some employees have since retired. Had this law been passed earlier they would not been deprived of these benefit.

You will be providing these facilities to 1200 employees but what will happen to the rest 3800 employees. Why they are being deprived of these facilities. Nobody cares for them.

The hon. Member, Shri Jadhav has said just now that after some time these Islands will have to be merged with Maharashtra etc. Then the grades of these employees will have to be altered. It will, therefore, be better if they ar e provided with those facilities just now which they will be given later on.

All the 5000 employees should be treated alike. They should not be discriminated against. They should not feel that they have suffered in any way on account of merger with India.

श्री हाथी : माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं मैं उनसे सहमत हूं। मैं उनकी इस बात से भी सहमत हूं कि नौकरी पेशा व्यक्तियों के सन्देह को जितनी जल्दी दूर किया जाये उतना ही अच्छा है।

अब प्रश्न दो संशोधनों के बारे में है। पहला संशोधन तो श्री अल्वारेस ने पेंशन के बारे में दिया है। उनका कहना है कि इसे खण्ड 3 (2) में मिला दिया जाये। इसके अनुसार यदि किसी सेवानिवृत्त व्यक्ति की पेंशन इन नियमों के अनुसार मिलने वाली पेंशन से अधिक बैठती हो तो उसे वापिस न लिया जा सके। मैं यह बताना चाहता हूं कि केवल सेवानिवृत्ति के बारे में ही अपवाद किया जा रहा है और वेतन, छुट्टी और भत्ते आदि की शर्तें वहीं रहेंगी।

श्री शिंकरे : माननीय मंत्री जी ठीक कह रहे हैं परन्तु जब तक वह वचन न दे दें तब तक पेंशन वापिस ली जा सकती है।

श्री हाथी : मैं आश्वासन देता हूं और वचन देता हूं कि अन्य सभी चीजें समान रहेंगी केवल सेवानिवृत्ति की आयु बदली जायेगी। वह 65 वर्ष के स्थान पर 58 वर्ष कर दी जायेगी। मैं कोई ऐसा आश्वासन नहीं देना चाहता हूं जिसे मैं पूरा न कर सकूं।

नगर निगम के कर्मचारियों का भी उल्लेख किया गया था। मैं यहां भी साफ साफ कह देना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों को केन्द्रीय सरकार की सेवा में नहीं लिया जा रहा है वे भी वर्तमान कानून के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधायें प्राप्त करते रहेंगे। हम वर्तमान कानून को रद्द नहीं कर रहे हैं। इसलिये नगर निगम के कर्मचारियों को जो सुविधायें पहले मिलती हैं वे मिलती रहेंगी। परन्तु यदि नगर निगम चाहे तो वह इन नियमों को अपना सकता है इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वर्तमान कानून से मिलने वाली सुविधाओं से उनको वंचित किया जायेगा। केवल कानून को इस हद तक ही रद्द किया जा रहा है कि सेवानिवृत्ति की आयु को 65 से कम करके 58 किया जायेगा। इस के अतिरिक्त सब अन्य सुविधायें उनको मिलती रहेंगी।

जहां तक रेलवे आदि अन्य कर्मचारियों का सम्बन्ध है यह एक तकनीकी विषय है क्योंकि वे कर्मचारी हुबली में पहले ही काम कर रहे थे। यह एक विशेष विषय है इस बारे में मैं रेलव मंत्रालय से बातचीत करुंगा। क्योंकि वे पहले ही भारत सरकार की सेवा में काम कर रहे थे। इस लिये उनका समाविष्ट नही किया गया। इस बारे में मैं रेलवे मंत्रालय के बातचीत करुंगा।

वहां के सरकारी कर्मचारी बहुत चिन्तित हैं कि उनका क्या बनेगा। इस लिये वे चाहते हैं यह कानून शीघ्र बने। 1200 कमचारियों को तो भारत सरकार की सेवा मेंले लिया गया है। उनमें से कुछ महाराष्ट्र राज्य के हैं और यहा प्रतिनियुक्त किये गये हैं, उनके बारे में तो कोई कठिनाई नही हैं परन्तु वे चाहते हैं कि कोई अन्य निर्णय लेने से पहले नियम बनाये जायें।

जहां तक कानून बनाने का सम्बन्ध है मैं यह आश्वासन देता हूं कि गृह-काय मंत्रालय कानून और व्यवस्था को ही नहीं देखता है वह नौकरी पेशा लोगों के हित को भी देखता है। हम यह भी चाहते हैं कि उनके वेतन और भत्तों को ठेस न पहुंचे और उनका अर्जित अवकाश भी ज़ाया न जाये। यदि वे सेवानिवृत्त हो गये हैं और उनको पेंशन मिल रही है तो हम उन्हें कुछ भी वापिस करने के लिये नहीं कहेंगे।

मुझे आशा है कि इन स्पष्टीकरणों के देखते हुए माननीय सदस्य अपने अपने संशोधन वापिस ले लेंगे और विधेयक को ऐसे ही स्वीकार कर लेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गोवा, दमन और दीव के संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के संसर्ग में सेवा के लिये समाविष्ट व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के विनियमन के लिये और उससे संसक्त मामलों, के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

सभापति महोदय : अब खण्डवार चर्चा होगी। तीन संशोधन हैं।

श्री शिकरे : गृह मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं करता हूं।

श्री अल्वारेस : मैं भी अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करता हूं।

सभापति महोदय : क्योंकि कोई भी सदस्य अपना संशोधन प्रस्तुत नही कर रहे हैं इसलिये मैं सभी खण्डों को इकट्ठे लेता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 5, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/ *The motion was adopted.*

खण्ड 2 से 5 खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।/
Clauses 2 to 5, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री हाथी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पास किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पास किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक
INDIAN TARIFF (AMENDMENT) BILL

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 में अग्रेसर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह विधेयक भारतीय प्रशुल्क अधिनियम 1934 की पहली अनुसूची में संशोधन करने के लिये प्रस्तुत किया गया है ताकि प्रशुल्क आयोग द्वारा की गई कुछ सिफारिशों पर जो सरकार ने निर्णय किये हैं उन्हें कार्य-रूप दिया जा सके। माननीय सदस्यों को विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों सम्बन्धी विवरण से पता चल गया होगा कि यह विधेयक छः महत्वपूर्ण उद्योगों को दिये जा रहे संरक्षण को 1 जनवरी, 1966 से हटाने के लिये लाया गया है। इन छः उद्योगों के बारे में प्रशुल्क आयोग ने जो सिफारिशे की हैं उनको संक्षेप से बताने वाले पत्र माननीय सदस्यों को दिये जा चुके हैं इस लिये मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा।

मैं सबसे पहले प्रशुल्क आयोग की कार्य प्रणाली के बारे में और उद्योगों को दिये जा रहे संरक्षण के बारे में संक्षेप से वर्णन करूंगा।

प्रशुल्क आयोग अधिनियम, 1951 के अंतर्गत जनवरी 1952 में एक स्थायी प्रशुल्क आयोग स्थापित किया गया था। उनके मुख्य कार्य ये हैं (एक) प्रशुल्क सम्बन्धी संरक्षणों के बारे में सरकार से पत्रव्यवहार करना (दो) संरक्षण के कार्यकरण के बारे में जांच पडताल करना (तीन) संरक्षण पा रहे उद्योगों की प्रगति के बारे में निरन्तर ध्यान रखना (चार) वस्तुओं के उचित मूल्य निर्धारित करने पर सरकार से पत्रव्यवहार करना [आदि।

सभा को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि देश के इतने उद्योगों में से 1 जनवरी 1965 को केवल 15 उद्योगों को ही संरक्षण की आवश्यकता थी। इसमें वे उद्योग भी सम्मिलत हैं जिनको इस वर्ष के अन्त तक संरक्षण देना बन्द हो जायेगा। इनके अतिरिक्त दियासलाई उद्योग भी है जिसे 1928 में अनिश्चित काल के लिये संरक्षण देना प्रारम्भ किया गया था और जिसे अब संरक्षण देना बन्द करने के लिये मैं सभा से निवेदन करूंगा।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि प्रशुल्क आयोग ने जब दियासलाई उद्योग को संरक्षण बन्द करने की सिफारिश की है तो साथ ही साथ उन्होंने चादर कांच अलौह धातु, बिजली के मोटर, विद्युत् और वितरण टांसफार्मर और स्वचालित चिंगारी प्लग उद्योगों को संरक्षण अभी देते

रहने की सिफारिश की है। सरकार ने दियासिलाई उद्योगों को संरक्षण देना बन्द करने की सिफारिश स्वीकार कर ली है। अन्य पांच उद्योगों को अभी संरक्षण देते रहने की सिफारिश पर अच्छी तरह से विचार किया गया है और यह उचित समझा गया है कि वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि हमारी योजनायें सफलतापूर्वक चलती रहें और यह भी देखते हुए कि हमने इन वस्तुओं का आयात बन्द कर दिया है और इसलिये इनको किसी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ेगा उनको संरक्षण देना बन्द कर दिया जाना चाहिये। इसलिये मुझे आशा है कि सभा सरकार की इस नीति से सहमत होगी। जब ये उद्योग अच्छी तरह से चल रहे हैं और इन्हें प्रशुल्क संरक्षण के अलावा अन्य तरीकों से भी संरक्षण मिल सकता है तो इसलिये इस संरक्षण को हटाने से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिये सरकार इन वस्तुओं पर 1 जनवरी 1966 से वर्तमान दर के हिसाब से शुल्क लगाना चाहती है। दियासिलाई उद्योग पर भी वही दर लागू होगी।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री व० बा० गांधी (बम्बई नगर-मध्य दक्षिण) : इस विधेयक के बारे में कहने लायक कोई विशेष बात नहीं है। इस लिये सरकार द्वारा किये गये निर्णयों का मैं समर्थन करता हूं।

37 वर्षों से दियासलाई उद्योग को जो संरक्षण दिया जा रहा था उसको अब न देने के निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं। मैं इस उद्योग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस उद्योग को 1928 से संरक्षण दिया जाता रहा है। उस समय की और आजकल की स्थितियों में बहुत अन्तर है। अंग्रेज भारत में उद्योगों को विकसित नहीं करना चाहते थे परन्तु कुछ परिस्थितियों के कारण उनको भी अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ा। 1914 के प्रथम युद्ध के कारण उनको अपना दृष्टिकोण बदलना ही पड़ा। उन दिनों में जो दियासलाई बाहर से आती थी उसका आना बन्द हो गया और भारत को दियासिलाई के बिना ही गुजारा करना पड़ा। इन परिस्थितियों में अंग्रेजों को भी अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ा और उन्होंने 1921 में प्रथम फिसकल आयोग नियुक्त कर दिया। आयोग ने सरकार को सुझाव दिया कि भारत में उद्योगों को संरक्षण दिया जाना चाहिये केवल तब ही ये उद्योग चल सकते हैं। वैस्टर्न इण्डिया फेंच कम्पनी को सब से पहले विदेशी कम्पनी का सहयोग प्राप्त हुआ। यह खुशी की बात है कि संसार में प्रसिद्ध कुछ फर्मों ने भारतीय फर्मों को सहयोग दिया है और भारतीय भागीदारों से मिलकर भारत की प्रगति के लिये काम कर रहीं हैं।

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur) : I am glad that Government atonce takes decisions on the reports of Tariff Commission but I fail to understand why it is not so in the case of reports submitted by other Commissions. I hope that Shri Manubhai Shah will tale us the reason for that.

As more of the industries which are going to be deprotected are mainly associated with motor industries, may I therefore know from the hon. Minister whether the prices of scooter, motor-cycles etc. will be decreased as a result thereof?

When duty will not be charged on these goods and import will also be stopped then what will be its effect on the prices. I hope that the hon. Minister will throw some light on it.

The match boxes are also not available at the rates mentioned on them. The shopkeepers charge the prices they like. I hope Government will pay attention to it.

In case any concern fails to show its break ups even then the Tariff Commission does not take any action. I hope the hon. Member will tell the reason for that. Government should take a serious note of to it.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : The industries which will be deprotected are electric motors, power and distribution transformers and automobile sparking plugs etc. The products of these industries are mostly used by the agriculturists. It is therefore Government's duty to see that after deprotection agriculturisits do not suffer. Government is refusing help to small industrialits, but is giving crores of rupees to big industrialists. It would be better if Government stops help to big industrialists and gives to small ones.

Government is deprotecting these industries since 1966. I would submit that protection should continue till India becomes self-sufficient in foodgrains.

Shri Tulsidas Jadhav (Nanded) : In order to give protection to industries we will have to change our basic policy. The old policy to give protection to big industries which have nothing to do with the interest of the common persons should no longer be there. I think that agro-industrial policy would be more useful for the agriculturists and labourers of our country. We have to chalk out a policy which is in the interest of the people of our country. The small industrialists as are in Maharashtra should get the greatest encouragement and protection. The agriculturists too, on whom depends the whole nation should also get protection.

श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्यों ने जो इस विधेयक का समर्थन किया है इससे पता चलता है कि सरकार के निर्णयों की पुष्टि की गई है।

श्री ओंकार लाल जी ने जो भाषण दिया है उससे पता चलता है कि उन्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। संरक्षण बन्द करने का अर्थ यह नहीं है कि गरीब किसानों को आजकल की दरों से अधिक दरों पर वस्तुएं मिलेंगी। इस विधेयक का सम्बन्ध तो विदेशों से आयात होने वाली वस्तुओं से संरक्षित करने का है। इसलिये मैं यह आश्वासन देता हूं कि इस विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे किसानों द्वारा अपेक्षित मोटरों, इंजनों तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों पर कोई प्रभाव पड़े और न ही संरक्षण हटने से बड़े उद्योगों की तुलना में छोटे उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा।

इस सम्बन्ध में मैं सभा को एक बात बताना चाहता हूं। प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन के पृष्ठ 27 को देखने से पता चलेगा कि बिजली की मोटरों का उत्पादन जो 1948 में 12,000 था अब 2,20,000 तक पहुंच गया है जो लगभग 20 गुणा अधिक है। मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि कम "हार्स-पावर" तथा आंशिक "हार्स-पावर" की मोटरों बनाने में देश स्वावलम्बी हो चुका है। अब हम बड़े जनरेटरों, सर्किट ब्रेकर्स, स्विचगियर तथा टर्बाइनों का उत्पादन करना चाहते हैं। भोपाल में एक कारखाना पहले ही काम कर रहा है। हरिद्वार परियोजना भी शीघ्र ही चालू हो जायगी। आन्ध्र प्रदेश और मद्रास के कारखाने भी काम करना आरम्भ कर देंगे अतः सभा यह महसूस करेगी कि इन उद्योगों को संरक्षण देने की अब आवश्यकता नहीं है। इन उद्योगों ने काफी मात्रा में निर्यात करना भी आरम्भ कर दिया है।

चूंकि मैंने बहुत से प्रश्नों का उत्तर दे दिया है इसलिये मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह कि :

"भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

सभापति महोदय : खण्डों के बारे में कोई संशोधन नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 और 2, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये जायें"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/ *The motion was adopted.*

खण्ड 1 और 2, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये / *Clauses 1 and 2, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

श्री मनुभाई शाह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/ *The motion was adopted.*

रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : REPORT OF RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा सामान्य वित्त की तुलना में रेलवे उपक्रम द्वारा इस समय सामान्य राजस्व में दिये जाने वाले लाभांश की दर और रेलवे वित्त से संबंधित अन्य अनुषंगी मामलों का पुनर्विलोकन करने के लिये नियुक्त की गई समिति के प्रतिवेदन में, जो कि 29 नवम्बर, 1965 को संसद् में प्रस्तुत किया गया था, की गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

इस सभा के 12 सदस्यों और राज्य सभा के 6 सदस्यों की समिति लोक सभा में 11 मई, 1965 और राज्य सभा में 13 मई, 1965 को पास किये गये संकल्प के अनुसार बनाई गई थी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह चौथी अभिसमय समिति है जो इन मामलों पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई है। मैं यह कहूंगा कि इस अवधि में रेलवे तथा सामान्यवित्त में सन्तोषजनक कार्यकारी सम्बन्ध स्थापित किये गये हैं तथा 1949 की अभिसमय समिति के सिद्धान्तों को बाद नियुक्त की गई समितियों ने ऐसे परिवर्तनों के साथ, जो अभिसमय के प्रत्येक संविधिक पुनर्विचार के समय की परिस्थितियों के अनुसार उचित हों, मुख्यत: स्वीकार किया है। अभिसमय के सामने मुख्य प्रश्न यह था कि रेलवे पर लगाई गई पूँजी पर कितना लाभ दिया जाये। पहली अभिसमय समिति तथा बाद की समितियों ने निर्णय किया कि पहले से निर्धारित की गई दर संतोषजनक और उचित है।

सभा को याद होगा कि 1949 की अभिसमय समिति ने लाभांश की दर 4 प्रतिशत निर्धारित की थी। यह दर 1950 और 1961 के बीच 11 वर्ष की अवधि तक चलती रही। और बाद में 1961 से 1966 की अवधि के लिये यह दर बढ़ाकर 4.25 प्रतिशत की गई। परन्तु 1 अप्रैल 1964 से उसे बढ़ाकर 4.5 प्रतिशत किया गया और बाद में फिर बढ़ाकर 5.75 प्रतिशत कर दिया गया।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKAR *in the Chair*]

1960 की अभिसमय समिति ने यह भी व्यवस्था की थी कि रेलवे सामन्य वित्त को 4.25 प्रतिशत की दर से लाभांश के अतिरिक्त यात्री कर के स्थान पर 12.50 करोड़ रुपये वार्षिक दे और इस रकम को वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को दिया जाना था।

[श्री स० का० पाटिल]

वर्तमान अभिसमय समिति ने न केवल रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश में वृद्धि की सिफारिश की है अपितु उसने राज्यों को दी जाने वाली सहायता की रकम बढ़ाने की भी सिफारिश की है। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि 4.5 प्रतिशत की बड़ी दर को, जो पूर्णतः केन्द्रीय सरकार को दी जाती है, आगे के पांच वर्षों की अवधि के लिये जारी रखा जाये और रेलवे इसके अतिरिक्त वर्तमान 12.5 करोड़ रुपये के स्थान पर राज्यों को पहले से दी जा रही रकम से 1 प्रतिशत अधिक रकम दे। इस 1 प्रतिशत अतिरिक्त रकम को विशेष तरीके से खर्च किया जायेगा। राज्यों के लाभ के लिये रेलवे का अंशदान अब पहले से काफी अधिक होगा। इस अतिरिक्त 1 प्रतिशत से चौथी योजना के पहले वर्ष में 17.82 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे और योजना के अन्तिम वर्ष में यह रकम बढ़कर 18.5 करोड़ रुपये हो जायेगी।

सरकार का विचार है कि राज्यों को इस समय यात्री कर के स्थान पर दी जा रही अर्थ सहायता को 12.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 16.25 करोड़ रुपये किया जाय। राज्यों को अपने विभिन्न सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिये अपेक्षित वित्त में सहायता देने के हेतु लगभग 1.8 करोड़ रुपये की औसत रकम वार्षिक दी जाये। इसके अतिरिक्त रेलवे द्वारा अप्रैल, 1964 से सामान्य वित्त में से दी जाने वाली समूची रकम पर 6 प्रतिशत वार्षिक व्याज दिया जायेगा और यह रकम केन्द्रीय सरकार अपने पास रख लेगी। रेलवे के अपने दृष्टिकोण से चौथी योजना में दो दरें होंगी अर्थात् 31 मार्च 1964 तक लगाई गई समस्त पूंजी पर 5.5 प्रतिशत तथा बाद में लगाई गई पूंजी पर 6 प्रतिशत दर होगी। रेलवे द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त रकम का अनुमान पंच वर्ष में लगभग 39 करोड़ रुपये लगाया गया है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में रेलवे सम्पत्ति को बदलने का संभावित स्तर अभिसमय समिति द्वारा इस व्यावहारिक ढंग से स्वीकार किये गये स्तर से लगभग 650 करोड़ रुपये से अधिक अथवा औसत 130 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष है क्योंकि यह सम्पति बहुत पुरानी हो चुकी है और उसे अब बदलने की आवश्यकता है। समिति ने कहा है कि केवल इस बात की व्यवस्था करने के बजाय कि दिया जाने वाला वार्षिक अंश प्रतिवर्ष होने वाले मूल्य ह्रास के लिये प्राप्त है, यदि संभव हो तो एक साथ पांच वर्ष में होने वाले खर्च को पूरा किया जा सके, जिसका इस अवधि में बदला जाना आवश्यक है। इससे यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि यदि पांच वर्ष में एकत्र हुई थोड़ी सी शेष निधि में से और कमी किये बिना सम्पति को बदलने की आवश्यकताओं को पूरा करना है तो यह दर आवश्यक है। तथापि समिति ने यह सिफारिश की है कि वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अंशदान यथा संभव बढ़ा कर औसत 130 करोड़ रुपये वार्षिक या इस रकम के लगभग कर दिया जाये।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 1924-25 से पहले मूल्य-ह्रास निधि की व्यवस्था नहीं थी। बाद में भी इस पहले की अवधि में हुए मूल्य-ह्रास को पूरा करने का प्रयत्न किया गया क्योंकि बाद में कीमतें बहुत बढ़ गई थीं। इसका परिणाम यह हुआ कि स्वतंत्रता के बाद इसमें काफी धन की आवश्यकता पड़ी। मुझे आशा है एक बार मूल्य-ह्रास निधि पर्याप्त हो जाने पर बाद में इसके लिये अधिक धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होगी।

सभा को याद होगा कि पिछली अभिसमय समितियों ने कहा कि रेलवे की प्रयुक्त पूंजी में से कम से कम कुछ अनुत्पादक तत्वों के लिये ऋण नहीं दिया जाना चाहिए। इस समिति ने यह सिफारिश की है कि इस बारे में कुछ पहल किये जाने की आवश्यकता है और रेलवे रक्षित निधि की बाकी राशि पर ब्याज का उपयोग इस कार्य के लिये किया जाये तथा रेलवे रक्षित निधि में इतनी और रकम दे जो प्रतिवर्ष वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए व्यवहार्य हो। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि रेलवे विकास निधि में से उपभोक्ता सुविधाओं के लिये नियत 3 करोड़ रुपये की रकम को बढ़ाकर अगले पांच वर्षों के लिये 4 करोड़ रुपये कर दिया जाये।

समिति ने यह भी कहा है कि सामान्य राजस्व से आवश्यकता पड़ने पर रेलवे विकास निधि को अस्थाई ऋण देने की व्यवस्था की जाये।

सभा को विश्वास करना चाहिए कि ये सिफारिशें रेलवे तथा सामान्य राजस्व के हितों के लिये सर्वोत्तम हैं और यह संतोष की बात है कि ये सिफारिशें सर्वसम्मति से की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अल्वारिस : अभी हम वित्त आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें।

कार्यवाही वृत्तान्त से कुछ अंश निकाले जाने के बारे मे
RE : EXPUNCTION

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने रिकार्ड की जांच कर के कतिपय वाक्यांशों * को कार्यवाही वृत्तान्त से निकालने का आदेश दिया है। समाचार पत्र सभा की कार्यवाही वृत्तान्त से निकाले गये वाक्यांशों को प्रकाशित न करें।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : सभा को बताया जाये कि कौन कौन वाक्यांश निकाले गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ये रिपोर्टरों के पास हैं। माननीय सदस्य जा कर देख सकते हैं।

---

†पंजाब में नलकूपों के लिये बिजली का दिया जाना
‡SUPPLY OF ELECTRICITY FOR TUBE-WELLS IN PUNJAB

Shri Rameshwaranand (Karnal) : Mr. Deputy Speaker Sir, water is essential for increasing food production. If rains fail we will not have water in rivers for irrigation purposes. Therefore, we have to depend on some other sources of irrigation for the purpose.

Due to failure of rains in Punjab in the current year the cannals are drying up and the water is not available for irrigation purposes. Even the little water which is there is not being distributed properly. There is a general complaint among the villagers that they are not getting water for irrigation. They are also being deprived of electricity connections on the plea that there is a shortage of transformers where as the hon. Minister has stated in his reply that there is no shortage of transformers in Punjab. Hundreds of applications are pending for electricity connections for several years but no action has been taken on them.

So far as the sinking of tube-wells the progress is very slow. During the last six months only 4215 tube-wells have been sunk in Punjab whereas the target for the year was fixed 11,000 tub-wells. There is a widespread corruption in the department. The officers concerned take bribes for doing a work. There is much delay for sanctioning loans to farmers for the sinking of tube-wells. People have to spend a lot before getting loans for the purpose. The hon. Minister may go there and ascertain the facts personally.

I hope the government will look into the matter and do the needful.

---

*देखिये अल्पसूचना प्रश्न संख्या 8।

Please See S. N. Q. No. 8.

†आधे घंटे की चर्चा।

‡Half-an Hour Discussion.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : May I know whether the electricity is being supplied to the agriculturists and industrialists at different rates and whether any steps proposed to be taken to remove this discrimination?

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : May I know whether Government have instructed the Municipal Committee that the water should not be used for gardening and if it is used whether the rates would be lower or higher ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कु० ल० राव) : यह सराहनीय बात है कि स्वामी जी ने दो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं। एक नहरों के पानी के सम्बन्ध में और दूसरा नलकूपों से पानी के सम्बन्ध में उठाया है। नहरों के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि पंजाब में नहरों से 40 लाख एकड़ भूमि में रबी की फसल के लिये और 40 लाख एकड़ भूमि में खरीफ की फसल के लिये सिंचाई होती है। यह सराहनीय बात है कि इस वर्ष नदियों में पानी की कमी होते हुए भी पंजाब सरकार ने 40 लाख एकड़ से भी अधिक भूमि में सिंचाई की। पंजाब सरकार अन्य साधनों का उपयोग करके मांग को यथासंभव पूरी करने का प्रयत्न कर रही है। पंजाब की जनता ने शत्रु के साथ युद्ध के मोर्चे पर और देश में खाद्य मोर्चे पर अत्यन्त सराहनीय कार्य किया है जिसके लिये हम सब उसके आभारी हैं। नदियों में कम पानी होते हुए और वर्षा न होते हुए भी पंजाब अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करता है और अन्य राज्यों की सहायता करता है जिसके लिये राज्य सरकार बधाई की पात्र है।

यह सच है कि स्वामी जी तथा पंजाब के सिंचाई और विद्युत मंत्री ने मुझसे कई बार पंजाब आने का अनुरोध किया। समय मिलने पर मैं वहां जाऊंगा। वहां पर कृषि का काफी विकास हुआ है। यदि उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी मिले तो वहां और अधिक विकास किया जायेगा।

जहां तक पंजाब में नलकूपों के लिये बिजली देने का सम्बन्ध है, यह ठीक है इस सम्बन्ध में अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। पंजाब में तीन किस्म के—साधारण, निजी और सरकारी—ढाई लाख कुएं हैं जिनसे 25 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होती है। अभी तक केवल 22,500 कुओं के लिये बिजली की व्यवस्था है। इस प्रकार अभी बहुत काम शेष है। हमारी भी कुछ सीमायें हैं जिनके अन्तर्गत हमें काम करना पड़ता है। आज से चार-पांच वर्ष पहले प्रति-वर्ष केवल 2,000 कुओं को बिजली दी जाती थी किन्तु पिछले वर्ष यह संख्या बढ़ कर 6,900 तक पहुंच गई और आशा है यह अगले वर्ष बढ़ कर 16,000 तक पहुंच जायेगी। इस के लिये पर्याप्त मात्रा में धन की आवश्यकता है। फिर भी पंजाब सरकार आवश्यक धन की व्यवस्था करके बिजली की व्यवस्था करने का कार्य बड़ी तेजी से कर रही है।

इस समय राज्य बिजली बोर्ड के पास 16,400 प्रार्थनापत्रों पर कार्यवाही की जानी शेष है। यह संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि प्रति माह 1,600 प्रार्थनापत्र आते हैं और उनमें से केवल 1,500 प्रार्थनापत्रों पर निर्णय किया जाता है। बोर्ड को प्राप्त हुई 16,400 प्रार्थनापत्रों में से 5,500 पर आदेश जारी किये गये हैं। परन्तु वर्तमान आपातकालीन स्थिति में राज्य बिजली बोर्ड को ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि औपचारिकताओं को पूरा करने में कम समय लगे। मैं इस सम्बन्ध में राज्य बिजली बोर्ड से कहूंगा कि वह अपने पदाधिकारियों को उपभोक्ताओं से सम्पर्क स्थापित करने के लिये भेजे जो आवश्यक औपचारिकताओं को कम समय में पूरा करने का प्रयत्न करें। इसी प्रकार प्राक्कलन तैयार करने के लिये 6,200 प्रार्थना-पत्र अनिर्णित पड़े हैं। बोर्ड को इस कार्य के लिये और अधिक अधिकारी लगाने चाहिए। यह कार्य शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए :

Shri Rameshwaranand : As I have already stated that the State Electricity Board has sufficient electricity but there is a mismanagement in its supply. I may tell you about Karnal.

डा० कु० ल० राव : स्वामी जी की बात की सत्यता के बारे में कुछ नहीं कह सकता। किन्तु हमें बड़ी तेजी से कार्य करना पड़ता है। हम सदा यह प्रयत्न करते हैं कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो। मैं इस ओर पंजाब सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा।

जहां तक सामान का सम्बन्ध है, यह सराहनीय बात है कि पंजाब में ट्रांसफार्मरों की कमी नहीं है। किन्तु एल्यूमिनियम, तांबे, जस्ते आदि आवश्यक वस्तुओं की कमी न केवल पंजाब में अपितु समूचे देश में है। मैंने इस सम्बन्ध में सभी बिजली बोर्डों के प्रधानों को सुझाव दिया है कि वे अगले दो वर्ष के लिये अपनी आवश्यकता एक साथ भेज दें ताकि उसकी व्यवस्था की जा सके। हम इस बात का प्रयत्न कर रहे है कि सामान मांग यथासंभव पूरी की जाये।

मैं समझता हूं कि इस समस्या को बहुत अच्छे ढंग से हल किया जा रहा है फिर भी कुछ ऐसे पहलू है जिनमें सुधार करने की आवश्यकता है। जहां तक बिजली की दरों का सम्बन्ध है, पंजाब में ये दरें देश के अन्य भागों की तुलना में कम हैं। यह ठीक है कि उद्योगों को दी जाने वाली बिजली की दरों की तुलना में कृषिकार्यों के लिये दी जाने वाली बिजली की दर अधिक हैं। किन्तु यह भारत में कोई विशेष बात नहीं है। सारे विश्व में उद्योगों को अन्य क्षेत्रों की तुलना मे कम दर पर बिजली दी जाती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, 9 डिसम्बर, 1965/18 अग्रहायण, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, December 9, 1965/*Agrahayara*, 1887 (*Saka*).

GIPN—S6—15 Lok Sabha/66—600